UPAU010050122019

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः कैलाश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code UP 1684

ST No. 159/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

(अभियोजन–श्री अरविन्द राजपूत)

प्रति

01– सोमवीर सिंह पुत्र उन्मेद सिंह, उम्र 27 वर्ष, पेशा, खेती, निवासी ग्राम अमौआहार, थाना दिबियापुर, जिला औरैया।

..................................**अभियुक्त**

(अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–श्री डी०डी० मिश्रा एडवोकेट)

सत्र परीक्षण संख्या–159/2019
मुकदमा अपराध संख्या–189/2019
धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
थाना–दिबियापुर, जनपद–औरैया।

एवं

UPAU010050142019

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

प्रति

01–सोमवीर सिंह पुत्र उन्मेद सिंह, उम्र 27 वर्ष, पेशा, खेती, निवासी ग्राम अमौआहार, थाना दिबियापुर, जिला औरैया।

Digitally signed by KAILASH KUMAR
Date: 2026.07.17 16:07:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र परीक्षण संख्या–160/2019
मुकदमा अपराध संख्या–227/2019
धारा–3/25 शस्त्र अधिनियम
थाना–दिबियापुर, जनपद–औरैया।

निर्णय

1.थाना दिबियापुर , जिला औरैया की पुलिस द्वारा अभियुक्त **सोमवीर** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–189/2019 में धारा– **304** भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया। जो अवर न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द उपरांत विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2.थाना दिबियापुर, जिला औरैया की पुलिस द्वारा अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–227/2019 में धारा–**3/25/27** आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जो अपराध संख्या–189/2019 धारा–**304** भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बद्ध होने के कारण अवर न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया तथा विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

3.सत्र परीक्षण संख्या–160/2019, सत्र परीक्षण संख्या–159/2019 से सम्बद्ध होने के कारण आदेश दिनांकित 29.11.2019 से सत्र परीक्षण संख्या–159/2019 के साथ संमेकित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या–159/2019 को अग्रणी वाद बनाया गया तथा साक्ष्य इसी अग्रणी वाद में अंकित की गयी। अतः उक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है।

4.संक्षेप में **अभियोजन कथानक** इस प्रकार है कि– वादी मुकदमा सुन्दर लाल द्वारा दिनांक 02.05.2019 को थाना दिबियापुर, जिला औरैया पर तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि– प्रार्थी सुन्दरलाल पुत्र केवला जोकि अकबरपुर के निवासी हैं। दिनांक 01.05.2019 दिन बुधवार सायं 9.30 बजे अपनी पुत्री का तिलक लेकर अमौआहार उड़नवापुर ग्राम के विजय सिंह यादव के यहां उनके पुत्र उपेन्द्र सिंह यादव पुत्र विजय के दरवाजे पर आये थे। उनके दरवाजे पर डी०जे० साउण्ड की व्यवस्था थी, जिसमें लड़के पक्ष के लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच लड़के पक्ष के कुछ छोटे–छोटे बच्चे भी डी0 जे0 साउंड के पास पहुंच गए और वहां खड़े होकर डांस देखने लगे। इसी बीच ग्राम अमौआहार उड़नवापुर के एक युवक सोमवीर पुत्र उन्मेद सिंह हाथ में तमंचा लेकर आया और हर्ष फायरिंग शुरू कर दी, जोकि काफी देर तक करता रहा और इतना मदान्त हो गया कि पास में लड़की पक्ष से आया बालक सौरभ यादव पुत्र अरविंद जोकि ग्राम सबसुकपुरवा का रहने वाला है के पेट में गोली मार दी।

सौरभ यादव लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया, जिसे दिबियापुर स्थित सी.एस.सी. केंद्र लाया गया जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान लड़की पक्ष के कुछ लोगों को गांव अमौआहार उड़नवापुर के कुछ अज्ञात युवकों ने बेरहमी से जानलेवा तरीके से पीटा और गांव के बाहर खदेड़ दिया। अतः थाना अध्यक्ष दिबियापुर, जिला औरैया से निवेदन है कि प्रार्थी की उचित मदद की जाए तथा अपराधी को कठोर से कठोर कानूनी सजा दिलवाई जाए।

5.वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना दिबियापुर, जिला औरैया पर मुकदमा अपराध संख्या– 189/2019 ,अंतर्गत धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना अधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

6.इसी क्रम में दिनांक 11.05.19 को SHO संजीव सिंह राठौर मय SSI श्री चन्द्रिका प्रसाद, उनि० श्री मो० शाकिर मय का0 961 रमन शर्मा के मय जीप सरकारी नं0 UP 79 G 0187 चालक आरक्षी अजय सिह के हवालात मर्दाना से निकलवाकर अभियुक्त सोमवीर पुत्र उम्मेद सिह नि० अमौआहार थाना दिवियापुर औरैया के वहवाले रपट संख्या 17 समय 10.25 बजे वास्ते बउम्मीद बरामदगी आलाकत्ल सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 189/19 धारा 302 भादवि थाना दिबियापुर के थाने से रवाना होकर ग्राम अमौआहार आया गाँव के किनारे स्थित प्राइमरी स्कूल के पास अभियुक्त ने गाडी रोकने को कहा इस पर गाडी को रोकने के वाद वहाँ पर आस पास के लोगो को मकशद बताकर गवाही हेतु फराहम करने का प्रयास किया, किन्तु आपसी भलाई बुराई व डर के कारण कोई तैयार नहीं हुआ कि वमजबूरी आपस में एक दूसरे जामा तलाशी ले दे कर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई जुर्म जरायम सम्बन्धी कोई वस्तु नहीं है यहाँ पर अभि० सोमवीर उपरोक्त को आजाद किया गया कि वह आगे आगे चलकर दिबियापुर कंचौसी रोड से गाँव अमौआहार जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया के पास प्राइमरी स्कूल की तरफ खडी जंगली बबूल व बेसरम को झाडियो को इधर उधर हटाकर निकालकर एक तमंचा 315 बोर समय 11.05 बजे दिया व बताया कि यही वह तमंचा है जिससे दिनाँक 01/05/19 को लगुन के कार्यक्रम मे मुझसे फायर हो गया था व गोली एक बच्चे को लग गयी थी उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैने भागते हुये तमंचा छिपा दिया था कि तमंचा को कब्जा पुलिस मे लिया गया जिसकी नाल करीब 9 अंगुल, बाडी लोहा पांच अंगुल, बट चार अंगुल दोनो तरफ लकडी की चाप लगी है। बट मे नीचे डोरी बांधने के लिये गोलनुमा स्क्रू लगा है जिसमे सफेद काले रंग की डोरी बंधी है। ट्रेगर कार्ड लगा है तथा हैमर व नाल को खोलने व बन्द करने के लिये नाल के ऊपर एक पत्ती लगी है जो चालू हालत मे है। नाल को खोलकर देखा गया तो

नाल मे एक खोखा कारतूस 315 बोर का फंसा है। अभियुक्त सोमवीर पुत्र उम्मेद सिंह नि०अमौआहार दिबियापुर को उसके जुर्म धारा 3/25/27 A act से अवगत कराया गया। बरामद तमंचा व कारतूस खोखा को एक सफेद कपडे मे रखकर सिलकर सर्व मोहर किया गया, नमूना शील बनाया गया। बरामद तमंचा व खोखा कारतूस, थाना दिवियापुर के मु0 अ 0 सं0 189/1, धारा 302 भादवि आलाकल्त है। फर्द बरामदगी मौके पर लिखकर पढ़कर हमराहीयान को सुनाकर गवाही के हस्ताक्षर बनवाये जाते है। फर्द मुझ SHO ने ssi श्री चन्द्रिका प्रसाद से बोल बोल कर लिखवायी गयी। फर्द की नकल अभियुक्त को देकर हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं तथा अभियुक्त को जुर्म धारा 3/25/27 A. Act से अवगत कराया गया। थाने लाकर फर्द के आधार पर अभियुक्त **सोमवीर** के विरूद्ध मु०अ०सं० **227/2019** अंतर्गत धारा **3/25/27** आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

7.विवेचकों द्वारा उपरोक्त दोनों मामलो में दौरान विवेचना घटना स्थल व बरामदगी स्थल के नक्शा नजरी बनाये। वादी व गवाहान के बयान अंकित किये गये। तदोपरांत विवेचक द्वारा विवेचना की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 05.08.2019 को मु०अ०सं० 189/19 में अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा–**304** भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया तथा दिनांक 03.07.2019 को अभियुक्त **सोमवीर** के विरूद्ध मु०अ०सं० 227/2019 में अंतर्गत धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया।

8.मामले में प्रेषित आरोप पत्र **धारा 304** भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा दिनांक 13.08.2019 को मामले का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त **सोमवीर** को तलब करने के उपरान्त धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन कर मामले को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

9.मामले में प्रेषित आरोप पत्र **धारा 3/25/27** आयुध अधिनियम के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा दिनांक 13.08.2019 को मामले का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त **सोमवीर** को तलब करने के उपरान्त धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन कर मामले को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

10.मामला सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त सत्र न्यायाधीश, औरैया द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मु०अ०सं० 189/2019 में अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध धारा–304 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया एवं उसी दिनांक को मु०अ०सं० 227/2019 में अभियुक्त **सोमवीर** के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध

अधिनियम का पृथक से आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

11.अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू–1 सुन्दरलाल, पी०डब्लू 2 अमित कुमार, पी०डब्लू०–3 डा० मनीष कुमार, पी०डब्लू–4 का० ओमप्रकाश , पी०डब्लू–5 उपनिरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद, पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक मो० शाकिर, पी०डब्लू–7 एस०आई० रजनीश कुमार, पी०डब्लू०–08 का० ओम प्रताप सिंह, पी०डब्लू०–09 एस.ओ. नवीन कुमार एवं पी०डब्लू०–10 एस.एच.ओ. अनिल कुमार को प्रस्तुत किया गया है।

12.अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में–

क्रम संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**	**साबित किये गये प्रपत्र**
01	सुन्दरलाल	पी०डब्लू०–01	थाने में दी गयी तहरीर को प्रदर्श क–1,
02	अमित कुमार	पी०डब्लू०–02	–
03	डा० मनीष कुमार	पी०डब्लू०–03	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 चली हुयी बुलेट वस्तु प्रदर्श –1 मृतक की शर्ट पर वस्तु प्रदर्श –2 बनियान पर वस्तु प्रदर्श –3 जीन्स पर वस्तु प्रदर्श –4 बैल्ट पर वस्तु प्रदर्श –5 अण्डरवियर पर वस्तु प्रदर्श –6 कलावा पर वस्तु प्रदर्श –7 काला धागा पर वस्तु प्रदर्श –8
04	का० 981/HC ओमप्रताप	पी०डब्लू०–04	मु०अ०सं० 189/2019, धारा 304 से संबंधित जी०डी० प्रदर्श क–3 प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 189/2019, धारा 304 प्रदर्श क–4
05	उपनिरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद	पी०डब्लू०–05	पंचायतनामा प्रदर्श क–5 चिट्ठी सीएमओ प्रदर्श क–6 चालान शव प्रदर्श क–7 फोटो नाश प्रदर्श क–8

			पुलिस फार्म नं० 33 प्रदर्श क –9 मु०अ०सं० 227/2019, धारा 3/25 से संबंधित फर्द प्रदर्श क –10 तमंचा वस्तु प्रदर्श –9 खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श –10
06	उपनिरीक्षक मो० शाकिर	पी०डब्लू०–06	मु०अ०सं० 189/2019, धारा 304 से संबंधित नक्शा नजरी प्रदर्श क 11 अपराध संख्या–189/2019, धारा 304 से संबंधित आरोप पत्र प्रदर्श क–12
07	एस०आई० रजनीश कुमार	पी०डब्लू०–07	नक्शा नजरी प्रदर्श क–13 तमंचा व कारतूस की DM से अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शक –14 अपराध संख्या–227/2019, धारा 3/227 से संबंधित आरोप पत्र प्रदर्श क–15
08	का० ओमप्रताप सिंह	पी०डब्लू०–08	मु०अ०सं० 227/2019, धारा 3/25/27 से संबंधित जी०डी० प्रदर्श क–16 प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 227/2019, धारा 3/25/27 प्रदर्श क–17
09	एस०ओ० नवीन कुमार	पी०डब्लू०–09	अ०सं० 189/2019 व अ०सं० 227/2019 से संबंधित एक सर्व मोहर बंडल (एक अदद 315 बोर देशी पिस्तौल, 315 केएफ का चला कारतूस, 315 बोर एक चली बुलेट) की एफ०एस०एल० रिपोर्ट टेण्डर प्रदर्श क–1
10	एस०एच०ओ० अनिल कुमार विश्वकर्मा		अ०सं० 189/2019 से संबंधित एफ०एस०एल० रिपोर्ट टेण्डर प्रदर्श क–2

13.अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त **सोमवीर** के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 07.03.2024 को तथा अतिरिक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 01.07.2025 को अंकित किये गये।

14.अभियुक्त सोमवीर का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्रं०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध गलत मुकदमा पंजीकृत कराना बताया, समस्त साक्ष्य झूठा एवं उक्त कार्यक्रम में शामिल न होना एवं डांस करना नही बताया। तथा पंचायतनामा एंटीटाइम, नक्शा नजरी गलत, तमंचे की बरामदगी गलत तथा विवेचनाधिकारी द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित करना बताया। तथा सफाई साक्ष्य देना स्वीकार किया।

15.अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में सफाई साक्षी के रूप में डी०डब्लू–1 उदयवीर, डीडब्लू–2 विपिन कुमार, डीडब्लू–3 सोदन सिंह को परीक्षित कराया है।

16.मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

17.अभियोजन द्वारा अपने कथन को साबित करने के लिए वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 सुन्दरलाल** को प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " दिनांक 01.05.2019 समय 9.30 बजे रात की बात है। मैं अपनी पुत्री का तिलक लेकर ग्राम अमौआहार उड़नवापुर थाना दिबियापुर जिला औरैया विजय सिंह यादव के यहाँ गया था और तिलक अपनी बेटी का उपेन्द्र सिंह यादव को चढ़ाना था। तिलक की व्यवस्था विजय के दरवाजे पर ही थी। जब हम लड़की पक्ष के लोग दरवाजे पर पहुँचे तो पहले से ही डी.जे. बज रहा था। तिलक में उसके साथ बच्चे भी गये थे और उसकी लड़की का पुत्र सौरभ यादव उम्र लगभग 10 वर्ष तिलक में शामिल होने के लिए साथ में गया था। वहाँ तिलक में डांस हो रहा था तो सोमवीर अपने हाथ में तमंचा लिये डांस कर रहे थे और हर्ष फायरिंग कर रहे थे तो सोमवीर द्वारा हर्ष फायरिंग के दौरान उसके नाती सौरभ यादव के पेट में गोली लगी। वह लहूलुहान हो गया था। खून नहीं निकला था। सोमवीर की ही गोली उसके नाती के लगी थी, क्योकि और किसी के पास तमंचा नहीं था। सोमवीर ही तमंचा लेकर डांस कर रहे थे और कोई डांस नहीं कर रहा था। वर पक्ष व लड़का पक्ष ने सोमवीर को हर्ष फायरिंग करने से रोका था, लेकिन वह नहीं माने और अपनी मनमानी करते रहे। सोमवीर वही व्यक्ति है, जो उस दिन तिलक में डांस करके हर्ष फायरिंग कर रहे थे। फिर मैं अपने नाती सौरभ यादव को दिबियापुर में ही डाक्टर साहब के पास ले गया। डाक्टर साहब ने मेरे नाती सौरभ को देखकर बताया कि इसको थाने ले जाओ। जब अपने नाती को लेकर दिबियापुर गये, तब गाँव वालों ने लड़की पक्ष के लोगों को मार कर भगा दिया था। मैंने थाने के बाहर अपने नाती सौरभ के शव को रखकर अमित से बोलकर तहरीर लिखवाई थी। पत्रावली में

कागज संख्या– 4क/2 तहरीर है गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा यही तहरीर बोलकर लिखायी थी। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान कर इसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस को इस घटना के संबंध में बयान दिया था। यह घटना साढ़े 9 बजे रात की है। वर पक्ष व लड़का पक्ष ने इस व्यक्ति को हर्ष फायरिंग करने से रोका था लेकिन वह नहीं माना और अपनी मनमानी करता रहा।

18.**इस पी०डब्लू०–1 सुन्दरलाल वादी मुकदमा से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता** द्वारा **जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा** में यह कथन किया है कि " मैं मार्शल गाड़ी से, मेरा लड़का चंद्रशेखर, पूरन यादव, श्री पुत्र अंग्रेज सिंह, अमित पुत्र बलवीर रामआसरे पुत्र श्यामलाल गाड़ी में थे। इनके अलावा किराए की गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर था। मैं ड्राइवर का नाम नहीं बता सकता हूं। हम लोग उसकी मार्शल गाड़ी से अपने गांव से 6:00 बजे चले थे और लड़के वालों के यहां 9:00 बजे पहुंच गए थे। नाश्ता पानी करते समय डीजे बज रहा था। सोमवीर डांस कर रहा था। इतनी देर में आधा घंटे का समय लग गया था। इसी दौरान गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद हम बच्चे को लेकर दिबियापुर आ गए थे। डीजे साउंड लड़के वालों ने किया था किसका था नाम पता मालूम नहीं है। डांस जब उनके बीच हो रहा था उनमें चार–पांच लड़के डांस कर रहे थे। जो लड़के डांस कर रहे थे उनके नाम नहीं बता सकता हूं। डांस होने वाली जगह व तिलक होने वाली जगह एक ही थी। तिलक चढ़ाने की जहां व्यवस्था हुई थी उस स्थान से डीजे बजने वाली जगह 10 –12 फिट की दूरी पर थी। मैं तिलक चढ़ाने वाले स्थान पर बैठा था। उस समय मेरे पास विजय सिंह, लड़के पक्ष के नाई व पंडित मौजूद थे। विजय सिंह का बड़ा लड़का (तिलक चढ़ाने से बड़ा लड़का उपेंद्र से बड़ा लड़का) मौजूद थे। उपेंद्र उस समय वहां नहीं आया था। सोमवीर डांस स्थल पर मेरे पहुंचने से पहले ही डांस कर रहा था। मैंने अपनी तहरीर रिपोर्ट में भी बात लिखी थी कि मेरे डीजे स्थल पहुंचने पर सोमवीर वहां पर डीजे स्थल पर डांस कर रहा था। मैंने सोमवीर को डांस करते समय उसके हाथ में तमंचा देखा था। वह पतली नली का था। जो मैंने थाने में अपनी सोमवीर को हाथ में तमंचा लेकर डांस करने वाली बात लिखी है, यह बात मेरी तहरीर में नहीं लिखी है। मैंने तहरीरी रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखायी थी कि "मेरे साथ बच्चे भी गए थे और मेरी लड़की का पुत्र सौरभ यादव लगभग उम्र 10 वर्ष तिलक में शामिल होने के लिए मेरे साथ में गया था" लेकिन मैंने दरोगा जी को यह बात बताई थी। यदि मेरे बयान 161 सीआरपीसी में थाने में दरोगा जी ने ना लिखा हो तो मैं वह वजह नहीं बता सकता हूं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात लिखी थी कि "इसी बीच गांव अमौआहार उडनवापुर के एक युवक सोमवीर पुत्र उन्मेद सिंह हाथ में तमंचा लेकर आया और हर्ष फायर कर दी" कैसे लिख गई मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। मदांत का मतलब मेरे

हिसाब से यह है कि व्यक्ति दारू पीकर नशे में किसी की बात ना माने तो उसे मदांत कहेंगे। सोमवीर ने मेरे सामने शराब नहीं पी थी। मैंने अपने दिमाग से अंदाजा लगा लिया था कि यह दारू पिए हुए हैं। मैंने सोमवीर को नशे में होने की बात उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए अपने अंदाज में लिखवाई थी। मैंने हर्ष फायरिंह करते देखा था। जिस समय घटना हुई उस समय दरवाजे के उत्तर दिशा में था। लड़के वाले का मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में है। लड़के के मकान के सामने पश्चिम दिशा में समर लगा है। लड़के के मकान के पश्चिम दिशा में मकान है और पूर्व में कुछ जगह खाली पड़ी है उसके बाद किसी का मकान है। मकान पर आने के लिए अंदर अंदर की रोड है मृतक व अभियुक्त के बीच घटना की दूरी सात आठ फीट की थी। यह कहना गलत है कि लड़की पक्ष के लोग के द्वारा ही हर्ष फायरिंग किए जाने से मेरे नाती सौरभ को गोली लगी थी। यह सच है कि इस घटना के बाद लड़के के गांव के अज्ञात लोगों ने बेरहमी से लड़की पक्ष के लोगों को मारा था। जब मैं इलाज के लिए चला गया था तब बचे हुए लड़की पक्ष को लड़के पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। मैंने अपने तहरीर रिपोर्ट में घटना के बाद जो लड़की पक्ष पर मारपीट की बात लिखी है यह बात लड़की पक्ष की मारपीट की जानकारी थाने पर भी मिल गई थी। जिसने तहरीर लिखी थी उसे गांव वालों ने बताया था कि लड़की पक्ष के लोगों को मारा पीटा गया है। लड़की पक्ष में जिनकी मारपीट हुई उनमें जहांन सिंह पुत्र सुंदरलाल मेरे गांव के हैं। इन्हें मारने वालों के मुझे नाम मालूम नहीं हो सके थे। मुझे उनके बारे में जानकारी इसलिए नहीं हुई कि वह लड़का पक्ष के गांव के थे। घटना के दिन मेरी बेटी की शादी के कार्यक्रम लगुन का नहीं हुआ था। मेरे गांव के जहांन सिंह की जो मारपीट हुई थी उसके बाबत कोई मारपीट का मुकदमा नहीं लिखवाया गया था। उपरोक्त जहांन सिंह का बयान विवेचक ने मेरे सामने नहीं लिखा था। मैं घटना के बाद चुटहल को लेकर 11:00 बजे अपनी इस मार्शल गाड़ी में लेकर चला गया था। मुझसे विवेचक ने थाना में ही पूछताछ की थी। इसके बाद मुझसे पूछताछ नहीं की थी। मैंने दरोगा जी को अपने बयान 161 में डीजे पर लड़के पक्ष के छोटे–छोटे बच्चों के डांस करने वाली बात बताई थी। लड़के पक्ष के लोग डांस नहीं कर रहे थे यह नहीं बताया था। मैंने दरोगा जी को यह बयान दिया कि "वहां पर खड़े होकर डांस देखने लगे इसी बीच ग्राम अमौआहार उडनवापुर का एक युवक सोमवीर पुत्र उन्मेद सिंह हाथ में तमंचा लेकर आया।" उक्त बयान मैंने नहीं दिया था यदि दरोगा जी ने यह उक्त बात लिखी थी तो मैं नहीं बता सकता हूं। चुटहिल सौरभ को मैं अस्पताल के लिए मार्शल गाड़ी से लेकर गया था तब वह बोल रहा था। रास्ते में उसने बोलना बंद कर दिया था। जब बोलना बंद कर दिया था तब वह बेहोश हो गया था। मैंने यह विवेचक को बयान नहीं दिया था कि पेट में गोली मार दी और सौरभ यादव ललुहान होकर मौके पर ही गिर गया। उक्त बात मैंने दरोगा जी को नहीं बताई थी। उन्होंने कैसे लिख दी मैं उसकी वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत

है कि मेरे द्वारा विजय सिंह के घर लगुन चढ़ाने के लिए जाने पर, लगुन चढ़ने वाले स्थान पर मेरे पक्ष द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में मेरी बेटी के लड़के सौरभ को गोली लगी हो। यह कहना भी गलत है कि इसी कारण लड़के पक्ष के गांव अमौआहार उड़नवापुर के लोगों ने हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति की मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि मैं घटना होते हुए देखी ना हो। लोगों के कहने के अनुसार मैंने जहान सिंह को बचाने के लिए सोमवीर के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया। इसी कारण जहान सिंह ने अपनी मारपीट की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं की। यह कहना भी गलत है कि जहान सिंह के द्वारा की गई हर्ष फायरिंग से बचने के लिए मैंने जानबूझकर झूठी गवाही दी हो। हर्ष फायरिंग 5– 6 मिनट तक हुई थी। मेरे द्वारा बताए गए सोमवीर सफेद रंग की शर्ट व जींस नीले रंग की पहने थे। हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति सोमवीर घर की ओर होते हुए भाग गया था व विजय सिंह के मकान के दक्षिण दिशा की ओर भाग गया था। मैंने दरोगा जी को यह बात बताई थी कि मुल्जिम घटना के बाद विजय सिंह के घर की ओर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया था। विवेचक ने मेरी निशानदेही पर मेरे सामने नक्शा नहीं बनाया था। मैं यह नहीं बता सकता कि विवेचक ने किसके निशान देही पर कब और कैसे नक्शा बनाया था। विवेचक ने मुझे कभी फोन करके यह सूचना नहीं दी कि मौके पर आकर नक्शा नजरी का मोआयना करवा दो। मेरे नाती सौरभ को अस्पताल में हुई मृत्यु घोषित करने के बाद में उसकी लाश को लेकर थाने गया था। मैं जब थाने में गया तो उन्होंने कहा की लाश वहां रखो। उसके बाद लाश को पुलिस वालों ने वही सील किया था। लाश को जब सील कर पंचायतनामा भरा गया था तब उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं कराए गए थे। अन्य लोगों के हस्ताक्षर कराए गए थे। पंचायतनामा पर मेरी ग़ैर मौजूदगी में पंचों के हस्ताक्षर कराए गए थे इसलिए मैं किसी पंचनामा गवाह का नाम नहीं बता सकता हूं। सील होने पर लिखा पड़ी होने के बाद लाश पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए औरैया लेकर चले गए थे। लाश आने से पहले ही मैंने थाने पर तहरीर दे दी थी। तहरीर लेखक अमित ने लिखी थी। लाश अपने से पहले मैंने जो तहरीर लिखी थी वहीं थाने पर दरोगा जी को दी गई। मैंने जो तहरीर दी थी उसकी नकल मुझे दरोगा जी ने दी थी। पुलिस ने मेरे दस्तखत कराए थे। साक्षी को पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 4क/1 जिस पर गवाह ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं लेकिन हस्ताक्षर के नीचे तारीख नहीं है समय भी नहीं लिखा गया है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा तहरीर पंचनामा भर जाने के पश्चात लिखी गई हो और जो तहरीर मेरे द्वारा लिखी गई वह पुलिस के राय मशवरा से लिखी गई हो इसलिए मैंने यह बयान दिया हो की लाश सील होने से पहले मैंने तहरीर लिखी थी और दरोगा जी को दे दी थी। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मुकदमा की FIR एंटी टाइम में की गई हो। मेरे साथ जो लडके तिलक में मेरे नाती सौरभ के अलावा गये थे मैनें जानबूझकर उनके नाम नहीं लिखाये थे। मैनें विवेचक को मेरे नाती मृतक सौरभ के अलावा अन्य किसी के नाम नहीं

बताये थे, इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकता कि किसी और के नाम क्यों नहीं बताये थे। मेरे अमौआहार पहुँचने से पहले से ही डी० जे० बज रहा था। हम लोग 09 बजे रात में पहुँचे थे। हमलोगों के पहुँचने पर लडके पक्ष ने पहले नास्ता व खाना हमलोगों को खिलाया इसके बाद लगुन का कार्यकम शुरू हुआ मैनें व मेरे साथ गये सभी बच्चों ने भी खाना खा लिया था। जहाँ लगुन चढने के लिये चौक पूरा गया था उसी ग्राउण्ड में एक तरफ डी०जे० बज रहा था मेरे सामने लडके डांस कर रहे थे। मेरे साथ के बच्चे जब खाना खाने के बाद डांस करने गये तभी सौरभ के साथ घटना हई थी। डांस करने वाला स्थान व लग्न चढने वाला स्थान पूरा एक ही सतह वाला स्थान विजय सिंह के मकान के बाहर का हिस्सा था। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या–16क नक्शा नजरी दिखाया गया तो उसने कहा कि मकान विजय सिंह के सामने उत्तर दिशा में लगुन चढने की व्यवस्था थी पूरब तरफ दीवाल के पास डी० स्थान पर डी० जे० बज रहा था, सी० स्थान पर पंडित जी तिलक आदि की व्यवस्था कर रहे थे, इस स्थान के उत्तर में चौडा खरंजा वाली रास्ता है और पश्चिम में पतली गली है, गली के बाद पश्चिम में जो खाली स्थान मकान रामशंकर के सामने का है वहाँ गाडियाँ खडी हो गयी थी। डी० स्थान के पूरब में खाना खिलाने की व्यस्था हुई थी और उत्तर दिशा में खरंजा के उत्तर–पश्चिम में खाना बनने की व्यवस्था थी। जहाँ डी०जे० बज रहा था उसके सामने सामने जो एक्स स्थान दर्शाये गये हैं वहीं पर सौरभ को गोली लगी थी। गोली लगने की घटना रात 11.00 बजे की है। उस समय जब गोली लगी तब मैं पूजन बाले स्थान सी० पर नहीं बैठा थे। साक्षी ने नक्शा प्रदर्श–क 11 देखकर कहा कि यह नक्शा विवेचक ने मुझसे पूछकर नहीं बनाया था क्योंकि मैनें अपने को घटना स्थल पर डी० स्थान पर खडे होना बताया था जो विवेचक ने नहीं दर्शाया था। ग्राम अमौआहार के निवासियों को पहले से नहीं जानता हूँ, विजय सिंह के परिवार को पहले से जानता हूँ। घटना के बाद मैं अपने नाती सौरभ को लेकर मार्शल गाडी से लेकर 11.30 बजे रात में लेकर दिबियापुर के सरकारी अस्पताल लेकर गये थे उस अस्पताल का नाम मुझे याद नहीं है। अमौआहार से अस्पताल बीस–पचीस मिनट में पहुँच गया था। सौरभ के पिता अरविन्द्र अमौआहार से अस्पताल नहीं गये थे। अस्पताल पहुँचकर सौरभ को पहले भर्ती किया गया था. फिर डॉक्टरों ने सौरभ को देखकर मृत घोषित कर दिया था. फिर मैं दस–पन्द्रह मिनट वहाँ रूकने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि सौरभ को थाने ले जाओ तो फिर हम लोग सौरभ को मार्शल गाडी से थाने लेकर गये थे। अमौआहार से लेकर थाने पहुँचने तक सौरभ का खून मार्शल गाडी में सीटों पर नहीं आया था। यह कहना गलत है कि सौरभ की मौके पर ही मृत्यु होने के बाद अमित उसे मोटरसाइकिल से सीधा थाने लेकर गया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं अमौआहार लगुन लेकर गया ही न हूँ इसीलिये बार–बार ब्यानों में घटना का समय बदल रहा हूँ और मार्शल में खून न होने की बात कह रहा हूँ। सोमवीर का नाम किसी और ने मुझे नहीं

बताया था मैं स्वंय सोमवीर को जानता हूँ। मैनें तहरीर में यह नहीं लिखाया था कि मैं सोमवीर को पह जानता हूँ। पहले से सोमवीर के बारे में मैनें दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि मैं सोमवीर को पहले से जानता हूँ, क्योंकि दरोगा जी ने मुझसे पूछा ही नहीं था। दरोगा जी ने जो बात मुझसे सवाल के रूप में पूछी उसी का मैनें जबाब दिया था। यदि दरोगा जी ने मेरा बयान प्रश्नोत्तर के रूप में नही लिखा तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकता। मैं थाने लाश लेकर जब पहुँचा तो थाने में अन्दर बैठे दीवान जी को मैनें तहरीर देते हुये यह कहा था कि यह लाश थाने में रखी है मेरी तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करें, यह बात कहते समय लगभग दो बज गया होगा। मैं लाश के पास ही रहा था, पुलिस ने मेरे सामने ही लाश को सील किया गया था उस सबेरा हो गया होगा समय लगभग पाँच–छः बजे का रहा होगा और शव लगभग सात बजे सुबह पोस्टमार्टम के लिये थाने से भेज दिया गया था। मैं शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस नहीं गया था। लाश का पंचनामा भरते समय मेरे भी हस्ताक्षर करवाये गये थे। पंचनामा भरने वाले दरोगा जी ने राय पंचान मुझसे पूछकर व लिखाकर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी को पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा प्रदर्श–क 5 दिखाकर पूछा गया कि न तो आपका नाम पंचान में अंकित है और न ही राय पंचान में आपके हस्ताक्षर हैं तो साक्षी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि प्रदर्श–क 5 पर मेरा नाम व राय पंचान में मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं है। यह कहना गलत है कि न मैं मौके पर रहा हूँ, और न ही मैनें घटना देखी हो और न ही मैं मार्शल गाडी से शव को लेकर अस्पताल आया हूँ और न ही मैं शव को लेकर बताये गये समय पर थाने पहुँचा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी के लगुन के कार्यकम में घटना होने तक मेरे न पहुँचने के कारण कार्यकम शुरू न हुआ हो।यह कहना भी गलत है कि बिलम्ब होने के कारण डी० जे० पर लडकी पक्ष के लोगों द्वारा डांस करते समय मेरे पक्ष के साथ गये लडकों ने एक ने मारूती वैन की छत से जब हर्ष फायरिंग की तो उसकी गोली सौरभ को लगी हो जिससे उसके चोट आयी हो।

19.अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 अमित कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि " दिनांक 01.05.2019 को अपनी बुआ गीता देवी निवासी भगवंतपुर की पुत्री पूनम का तिलक चढ़ाने के लिए ग्राम अमौआहार थाना दिबियापुर जिला औरैया विजय सिंह यादव के यहां आये थे। चन्द्रशेखर, अजीत, छोटे, अमित पुत्र शिवगोपाल, सुन्दरलाल, सौरभ जो उसके फूफा का नाती है, आये थे। मैं 9 बजे अमौआहार पहुँच गया था। नाश्ता पानी होने के बाद तिलक चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। हम लोग तिलक चढ़ाने के स्थान पर जा रहे थे और उसी स्थान के बगल में डी.जे. लगा था। वही हाजिर अदालत मुल्जिम सोमवीर तमंचा लेकर डांस कर रहे थे और फायरिंग भी कर रहे थे। तभी उसके भांजे सौरभ यादव के सोमवीर द्वारा गोली चलाने से उसके पेट में लग गयी। मैंने सोमवीर को गोली चलाते हुए देखा था। फिर लोग सौरभ को

लेकर दिबियापुर अस्पताल आये तो वहाँ डाक्टर साहब ने देखकर बताया कि वह खत्म हो गया। फिर हम लोग शव को लेकर थाना दिबियापुर आये और यह घटना 9.30 बजे रात की है। इस घटना की रिपोर्ट मेरे फूफा सुन्दरलाल ने लिखाई थी। जो मैंने आज बात बतायी है वही पुलिस को बतायी थी।"

20.पी०डब्लू०–2 अमित कुमार से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा सुंदरलाल मेरे सगे फूफा है हम लोग शाम को 6:00 बजे मार्शल गाड़ी से 15–20 लोग चले थे। दो गाड़ियां चली थी। मेरे गांव से अमौआहार 60–65 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी लोग एक साथ 9:00 बजे आसपास पहुंच गए थे। मैं नहीं बता सकता कि कार्यक्रम में डीजे व खाना बनाने का काम राजा बाबू राजपूत निवासी भगवंतपुर कर रहे थे। मेरे गांव के जहान सिंह पुत्र सुखीलाल यादव, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र बालक राम यादव, मनोज पुत्र विश्वनाथ सिंह यादव, रजोल पुत्र बापू सिंह यादव, देव सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह यादव साथ गए थे। फिर कहा कि यह उपरोक्त लोग मेरे फूफा सुंदरलाल के गांव के निवासी हैं। मेरा गांव दूसरा है। डीजे बजाने वाले व डांस करने वाले व्यक्तियों को मैंने देखा था। जब मैंने घटना देखी उस समय केवल सोमवीर डांस कर रहा था। इसके अलावा और कोई डांस नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से आने वाले सभी लड़के डांस कर रहे हो। लड़की का भाई चंद्रशेखर गया था। मैं भी लड़की का ममेरा भाई हूं। मेरे साथ लगुन लेकर जाने वालों में ऊपर जो जहान सिंह आदि नाम लिए इनके अलावा कौन–कौन से लड़के गए थे उनके नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं इन्हें जानता नहीं हूं। घटना होने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने लड़की पक्ष के किन–किन लोगों को मारपीट की यह नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सामने मारपीट नहीं हुई थी। घटना होने से आज तक मैंने यह नहीं जाना की घटना के तत्काल बाद मेरे पक्ष के किन–किन लोगों को और क्यों मारा पीटा गया था। ऐसा नहीं है की लड़की के भाई चंद्रशेखर व इनके अन्य साथियों ने मिलकर पहले दारू पी हो और इन्हीं लोगों ने अपने साथ अभियुक्त सोमवीर को जबरदस्ती दारू पिलाई और सभी लोगों ने लड़की पक्ष के हर्ष फायरिंग शुरू कर दी हो और इसी डांस करते समय हो गई हो। हर्ष फायरिंग में मेरे भांजे सौरभ को गोली लगी थी। यह कहना गलत है कि हमारे पक्ष द्वारा दारू पीकर हर्ष फायरिंग की गई है इसीलिए मैं जहान सिंह आदि के अलावा दारु पीने व हर्ष फायरिंग करने वाले स्थल जाने वालों के नाम नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं घटना होने के बाद मोटरसाइकिल से देवसिंह के साथ अमौआहार पहुंचा हूं इसलिए अपने फूफा सुंदरलाल के कहने व प्राइवेट अधिवक्ता की सलाह पर अपने पक्ष से शराब पीकर हर्ष फायरिंग करने वाले के नाम ना बता रहा हूं। मेरे अमौआहार पहुंचने से पहले से ही डीजे बज रहा था और डांस हो रहा था। उस समय जो सोमवीर डांस कर रहे थे तब उनके साथ

कितने लोग डांस कर रहे थे मैं देख नहीं पाया। हम लोग 9:00 बजे पहुंच गए थे नाश्ता पानी करने में आधा घंटे का समय लग गया था। फिर कहा 20 मिनट का समय लग गया था। हम लोग जब पहुंचे तो विजय सिंह के मकान के सामने वाली जगह पर हम लोगों को रूकाया गया वहीं चाय नाश्ता हुआ था। जहां पर हम लोग रुके थे उस जगह के पश्चिम में खाली जगह है और पूर्व में मकान है किसका है नहीं मालूम। उपरोक्त जगह विजय सिंह के मकान से 15 –20 फुट की दूरी पर है। जहां पर चाय नाश्ता हुआ था वहां से घटना होने तक लगून का सामान निकाला ही नहीं गया था। समान गाड़ियों में ही रखा था। जहां हम लोग नाश्ता पानी के लिए रुके थे वहां से डीजे बजने वाला स्थान 30–35 फुट की दूरी पर दक्षिण दिशा में था। मैं चाय नाश्ता वाले स्थान से 20–22 फुट की दूरी पर पहुंच गया था। वहीं से मैंने घटना देखी थी। मेरे से पहले सुंदरलाल लगुन चढ़ने वाले स्थान पर पहुंच गए थे। सुंदरलाल के बाद मैं जिस स्थान पर था उससे मेरे पीछे और लोग थे। उनके नाम इस समय ध्यान नहीं है। गोली चलने के स्थान से मेरा भांजा 4 फुट की दूरी पर था। मैंने दरोगा जी को कट्टे के बारे में बताया था। मेरे बयान 161 में यदि तमंचे के बारे में ना लिखा गया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। गोली का आर पार का घाव नहीं था। चुटहिल को नाभि से कितनी दूरी पर चोट आई थी मैं नहीं बता सकता हूं। नापी नहीं थी लेकिन बाई दिशा में नाभि से ऊपर लगी थी या नीचे लगी थी मैं नहीं बता सकता। डांस व डीजे इन्हीं दरवाजे (विजय सिंह के दरवाजे से) 15 –20 फुट की दूरी पर उत्तर दिशा में बज रहा था। लगुन चढ़ने का स्थान डीजे से दक्षिण दिशा में 5 फुट की दूरी पर था। कलश नहीं रखा गया था बिछौना बिछ गए थे नाई आया था या नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। पंडित जी का नाम नहीं जानता। जहां मुझे रूकाया गया था वह स्थान किसका था मैं नहीं बता सकता। वह खाली जगह नहीं थी वह मकान था। घटनास्थल से 15 लड़के जो मार्शल गाड़ी से सुंदरलाल, अमित पुत्र शिवगोपाल व ये ड्राइवर चले थे। ड्राइवर का नाम मैं नहीं बता सकता हूं। मार्शल गाड़ी का नंबर भी नहीं बता सकता हूं। मैं अस्पताल दिबियापुर गया था 6:00 बजे पहुंचा था। अमौआहार से दिबियापुर कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम। अस्पताल में सौरभ को मृत घोषित होने के बाद डॉक्टर के कहने पर थाने के लिए आया था। अस्पताल में 15 – 20 मिनट लगने के बाद इसी गाड़ी से थाने के लिए आए थे। थाने गया था वहां 6:00 बजे पहुंचे थे। थाने पहुंचने पर मेरे फूफा सुंदरलाल ने रिपोर्ट अमित पुत्र शिवगोपाल से बोल बोल कर लिखायी थी। रिपोर्ट लिखकर थाने मे दी थी। मैं नहीं बता सकता की रिपोर्ट लिखने में कितना समय लगा था। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद न हूं और मैंने घटना होते ना देखी हो और ना ही मैं चुटहिल के साथ अस्पताल अथवा थाने आया हूं। ऐसा नहीं है कि जिन लड़की पक्ष के लोगों की मारपीट हुई बाद में मैं पहुंचने पर पिटा हूं। यह कहना गलत है कि मैं वादी मुकदमा के साले का लड़का होने की वजह

से जानबूझकर झूठी गवाही दे रहा हूं। मैंने दरोगा जी को यह बयान दिया था कि विजय सिंह जिनके लड़के का तिलक था दरवाजे पर डीजे बज रहा था। जिस पर लड़के पक्ष के लोग डांस कर रहे थे तथा पंडित जी जमीन पर बैठकर तिलक कार्यक्रम कर रहे थे। तभी हम लोगों के पक्ष के छोटे–छोटे बच्चे भी डीजे साउंड के पास जाकर डांस देखने लगे तभी अमौआहार का लड़का सोमवीर पुत्र उन्मेद सिंह अपने हाथ में तमंचा लेकर आया और हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैंने दरोगा जी को सोमवीर का मदांत होना बताया था। मदांत होने की बात मैंने मुख्य परीक्षा में नहीं बताई है। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को कोई बयान न दिया हो और ना ही मैंने कोई घटना देखी हो। यह कहना गलत है कि मैंने कानूनी मशविरा से न्यायालय में रिश्तेदार होने की वजह से झूठा बयान दिया हो।

21.अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 डा० मनीष कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " वह दिनांक 02. 05.2019 को सी.एच.सी. अजीतमल में सीनियर मेडिकल आफीसर के पद पर तैनात था। उस दिन मृतक सौरभ यादव पुत्र अरविन्द निवासी सबसुख पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र करीब 10 वर्ष जिसके शव को सीपी 992 सचिन वर्मा व पीआरडी 738 अरूणेश थाना दिबियापुर से लेकर आये थे और शव की पहचान की थी. जिसका पोस्टमार्टम उसने दिनांक 02.05.2019 को 2 बजे दिन में प्रारम्भ किया था व 2.25 पीएम पर पूर्ण किया था। मृतक की लम्बाई 121 से.मी. थी व मृतक के शरीर पर शर्ट, बनियान, पैण्ट, बैल्ट, अण्डरवियर, कलावा, कमर में काला धागा, कुल 7 चीज थी। मृतक को देखने पर उसके शरीर में अकड़न मौजूद थी व शरीर पर डिपेण्डेण्ट पार्ट में पीएम स्टेनिंग मौजूद थी व मृतक की आँखे बंद थी। मृतक के शरीर पर उसने निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटे पाई थी–

Entry wound size– 1.75 से.मी. 1 से.मी. ओवल आकार में जिसके किनारे बाहर की तरफ उधड़े थे, जिससे पेट के अदर के अन्दरूनी हिस्से बाहर की तरफ आ रहे थे। यह चोट बाये कमर के ऊपरी उभार (ASIS) से 11 से.मी. व नाभि से 5 स.मी. की दूरी पर था जो शरीर के बांयी तरफ थां प्रोबिंग करने पर बुलेट दायी ओर की कमर की हड्डी में अन्दरूनी हिस्से में फंसी हुई थी।

Enternal Examination–दिमाग की अन्दरूनी हिस्सा एवं उसकी झिल्लियां पेल थी। दोनों तरफ के फेफड़े पेल थे। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। पेट एवं आंत में छेद था व एब्डोमिनल कैविटी में लगभग 2 लीटर रक्त जमा हुआ उपस्थित था। पेट में लगभग 150 एमएल खाना था। आंत में निचले हिस्से में छेद था। सभी आंतरिक अंग लीवर, स्पलीन, किडनी पेल थे। मृत्यु का सम्भावित समय दिये गये समय से लगभग 3/4 दिन पूर्व था। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव से होना पाया गया जो कि फायरआर्म्स इंजरी के कारण था।

दौरान पोस्टमार्टम शव के पेट के निचले हिस्से से एक बुलेट मिली थी, जो कि सम्बन्धित पुलिस कर्मी को एक लिफाफे में रखकर सील करके प्राप्त करायी थी। लिफाफा एवं अन्य वस्तुए पुलिस कांनिस्टेबल को प्राप्त कराने का हवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंतिम पेज कागज सं0 11 क/7 में अपने हाथ से अंकित किया था, जिसे प्राप्त करने के हस्ताक्षर कां० सचिन वर्मा व अरूणेश ने किये थे। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर मृतक की दिनांक 01.05.2019 को रात्रि 9.30 बजे फायरआर्म से मृत्यु होना सम्भावित है। मृतक सौरभ यादव के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार की, जो पत्रावली में कागज सं0 11 क/1 लगायत 11 क/11 संलग्न है। इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में सिद्ध किया। माल मुकदमाती सील किया हुआ बण्डल विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था. जो वहाँ से वापस प्राप्त हुआ। यह सील बण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी बण्डल के ऊपर काली स्याही से 403–बीएएल–2019 औरैया, म० अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं, अ०सं० 227/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना दिबियापुर राज्य बनाम सोमवीर अंकित है। इस सील बण्डल को न्यायालय के समक्ष खोला गया। सफेद सूती कपड़े वाले सील बण्डल खोलने पर उसके अन्दर से एक तमंचा तथा एक पन्नी में तीन खोखा कारतूस और दो बुलेट व उसी पन्नी में एक सफेद कागज से लिपटा हुआ एक 315 बोर की चली हुई बुलेट तथा एक खाली लिफाफा जिस पर सील की लाख लगी है, जिस पर नम्बर 109867407 (one metalic Bullet) अंकित है। इसमें से निकला तमंचा पहले जिस कपड़े में सील किया गया था, उसी कपड़े में लिपटा हुआ बरामद हुआ। इस कपड़े पर यह लिखा है कि एक बण्डल सर्वमुहर एक अदद तमंचा 315 बोर जो सम्बन्धित अ०सं० 189/2019 धारा 302 मा०दे०स व अ०सं० 227/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना दिबियापुर जिला औरैया। कथित रूप से अभियुक्त सोमवीर से बरामद तमंचा बण्डल खोलने पर न्यायालय में निकला है। सीलबंद बण्डल में से पन्नी के अन्दर कागज से लिपटी हुई बुलेट, मृतक सौरभ यादव के पोस्टमार्टम में उसके शरीर से प्राप्त हुई थी। इस बुलेट से सम्बन्धित कागज पर चिन्हित ईबी। चली हुई बुलेट अंकित है और इस पर 403–बीएएल–2019 भी अंकित है और दिनांक 20.10.22 अंकित है और किसी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार इस साक्षी बुलेट को वस्तु प्रदर्श । के रूप में सिद्ध किया है। शव विच्छेदन के समय मृतक के शरीर में जो कपड़े व वस्तु पाई थी और सर्वसील करके सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के सुपुर्द किया था। वह सील बण्डल उसके सामने है और न्यायालय के आदेश से खोला गया, जिसमें से एक सफेद रंग की शर्ट जिस पर काले व पीले रंग के चिन्ह अंकित है, जिसकी वह पहचान करता है। इस बण्डल में से नीले रंग का जींस पैण्ट मय बैल्ट के निकला तथा कत्थई रंग का एक अण्डरवियर व एक लिफाफा में रखा एक कलावा व दूसरे लिफाफे में रखा काले रंग का धागा

निकला। उपरोक्त कमीज, जीन्स मय बैल्ट, अण्डरवियर, कलावा तथा काला धागा के अतिरिक्त सफेद रंग का बनियान भी निकला। इन सामानों के सम्बन्ध में साक्षी ने कहा कि यह वही सामान है, जो पोस्टमार्टम करते समय मृतक के शरीर पर थे, जिन्हें पलिस को सील बंद कर सुपुर्द किये गये थे, जिनकी इस साक्षी ने शिनाख्त की। शर्ट पर वस्तु–2. बनियान पर वस्तु प्रदर्श–3, जीन्स पर वस्तु प्रदर्श–4, बैल्ट पर वस्तु प्रदर्श–5, अण्डरवियर पर वस्तु प्रदर्श–6, कलावा पर वस्तु प्रदर्श 7 व काला धागा पर वस्तु प्रदर्श 8 को इस साक्षी ने सिद्ध किया है। "

22.**पी०डब्लू०–3 डा० मनीष कुमार से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा** में कथन किया है कि"जो बुलेट न्यायालय में फोरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ से प्राप्त लिफाफा से निकली है उस बुलेट में एक छोटा भाग रांगा का है फिर पूरा भाग तांबे का है जिसमें रांगे के भाग के बराबर ऊपर खांचा बना है। ऐसी बुलेट का विवरण मैंने पोस्टमार्टम में निकलने वाले बुलेट के आकार के बारे में नहीं लिखा है। इस बुलेट वाले लिफाफे से जो तीन खोखे निकले हैं

प्रश्न –बंडल में जो तीन खोखे निकले हैं क्या उनकी पेंदी पर 315 बोर खुदा हुआ है?

उत्तर–खोखे मेरी जांच से संबंधित नहीं है

प्रश्न– क्या मृतक के शरीर से पोस्टमार्टम में वस्तु प्रदर्श 1 315 बोर से संबंधित है या नहीं?

प्रश्न–क्या वस्तु प्रदर्श 1 बंडल में से निकले खाली कारतूस से चली हुई है ?

उत्तर–मेरी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है मैं नहीं बता सकता

मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक सौरभ यादव के शरीर से कपड़े निकले हुए जिसमें शर्ट आदि के कलर अंकित नहीं किए हैं तथा जींस के स्थान पर पेंट लिखी है। मृतक के शरीर की अकड़न 36 से 48 घंटे पर समाप्त हो जाती । मृतक सौरभ यादव के पोस्टमार्टम में उसके हाथ पैर में अकड़न मौजूद थी जो यह दर्शाता है कि उसकी मृत्यु हुए 36 से 48 घंटे नहीं हुए थे। pm staining पीठ व कूल्हे पर मौजूद थी। pm staining से यह प्रतीत हुआ है कि बॉडी लेटी हुई अवस्था में काफी देर से रखी है। मृतक के शरीर में जहां गोली लगी थी वह स्थान फोटोनाश में उसे गोला बनाकर दर्शाया है जो नाभि से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में तथा ASIS(कमर की हड्डी के उभार)से 11 सेंटीमीटर की ओर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वह स्थान अंकित नहीं है जहां पर मृतक के शरीर में अंतिम रूप से लगी गोली मिली है। लेकिन वह गोली इंजरी में दर्ज है कि वह कूल्हे की हड्डी में दाएं तरफ हड्डी में धंसी मिली हुई थी। इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर था। जब व्यक्ति कठोर तल पर गिरेगा तो उसके शरीर में गिरने की चोट का निशान आ सकते हैं। मृतक के आमाशय में 150 मल पेस्टी फूड मेटेरियल

मिला था। पेस्टी से मतलब अधपचे भोजन से है और छोटी आंत में पचा हुआ भोजन मिला था। जो मृत्यु का समय मैंने बताया है मृत्यु उससे 3 घंटे पहले संभावित हो सकती है और 3 घंटे बाद संभावित हो सकती है। पोस्टमार्टम मैंने दिनांक 02.05.2019 को 2:00 पीएम पर शुरू कर दिया था और 2:25 पर समाप्त कर दिया था। बुलेट के एंट्री व उसके पाए जाने वाले स्थान के बीच में बुलेट से हड्डी टूटी नहीं पाई गई। यह संभव है की गोली ऊपर की तरफ से ऊंचाई से नीचे की ओर मारी गई हो। मेरी राय में मृतक सौरभ यादव की मृत्यु पीएम के समय से लगभग 18 घंटे पहले हुई थी। इस समय से 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद में मृत्यु होना संभव हो सकती है।मृतक सौरभ यादव की पी०एम० रिपोर्ट प्रदर्श क 2 के अनुसार मृतक की मृत्यु चोट लगने के समय से एक दो घण्टे के अंदर हो जाने की सम्भावना है। क्योंकि अंदर के जो भाग डैमेज हुए थे, उनसे एक्सिस ब्लीडिंग हुई थी, एक्सिस ब्लीडिंग में इस समय में मृत्यु होना सम्भव है। "

23.साक्षी **पी०डब्लू० 4 का० 981/HC ओमप्रताप** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि " दिनाक 01.05.2019 को उसकी ड्यूटी कम्प्यूटर कार्यलेख पर थी। थाना दिबियापुर जनपद औरैया हे०कां० अमित कुमार के साथ थी। उसी दिनांक को मध्य रात्रि के उपरांत डेढ़ पौने दो बजे वादी मुकदमा अपने हमराहियों के साथ थाना उपस्थित आये थे। वादी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर थानाध्यक्ष को वास्ते कायमी दिया गया था। थानाध्यक्ष श्री संजीव सिंह राठौर के मौखिक आदेश पर उसके द्वारा कम्प्यूटर सीसीटीएनएस पर नियुक्त अपने सहकर्मी कां० क्लर्क श्री अमित कुमार को बोल–बोल कर टाइप करवायी थी। सर्वप्रथम उसके द्वारा कम्प्यूटर पर जी०डी० रोजनामचा सं० 6 दिनांक 02.05. 2019 समय 2.02 बजे जी०डी० मुकदमा अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं० घटना दिनांक 01. 05.2019 समय 9.30 बजे रात्रि बनाम सोमवीर द्वारा हर्ष फायरिंग करते समय वादी के नाती सौरम यादव के गोली लग जाने व बेहोश हो जाने व सीएचसी दिबियापुर में मृत घोषित हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुई थी। पत्रावली पर कागज सं0 6क/1 जी.डी. के रूप में संलग्न है, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क–3 के रूप में सिद्ध किया है। इसी क्रम में उसके द्वारा वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अ०सं० 189/2019 उसने बोल–बोलकर एफ०आई०आर० अंकित करायी थी। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को कागज सं0 4क/1 व 4Phi / 2 को प्रदर्श क–4 के रूप में सिद्ध किया है।

24.साक्षी **पी०डब्लू० 4 का० ओमप्रताप अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा** में कथन किया है कि" चिक रिपोर्ट प्रदर्श क 4 के कागज संख्या 4क/2 पर वादी सुंदरलाल के हस्ताक्षर उसके

तहरीर दिए जाने के बाबत कराए थे। सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर हमने कराए थे। इसमें हमने प्राप्ति के संबंध में उल्लेख नहीं किया है लेकिन FIR की एक प्रति सूचनादाता को प्रदान किए जाने के आशय से उसके ये हस्ताक्षर कराए गए थे। यह कहना गलत है कि सूचनाकर्ता को FIR की प्रति प्राप्त नहीं करायी गयी इसलिए उसकी हस्ताक्षर के पास यह अंकित नहीं किया गया है कि उसे प्रति प्राप्त कराई गई है। प्रदर्श क 1 तहरीर के नीचे दिनांक में 05 के बाद 02 के अंक पर ओवरराइटिंग है जो मुझे किया हुआ मिला था। यह सच है कि ओवरराइटिंग का तस्करा मैंने जीडी में नहीं खोला है। यह सच है कि चिक रिपोर्ट प्रदर्श क 4 की प्रति न्यायालय सीजीएम औरैया कब और किस माध्यम से भेजी गई इसका कोई हवाला ना तो प्रदर्श क 4 में अंकित है और न जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क 3 में उल्लेख है। हमारा थाना परिषर, सीएससी दिबियापुर अस्पताल से लगभग 700 मीटर दूर है। थाना कैंपस से थाने के सामने की मुख्य सड़क लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा दो चार कदम दूर हैं। हमारे थाने कैंपस और उसके सामने रात में हमेशा बिजली की रोशनी रहती है। मुझे जानकारी नहीं है कि कैंपस के सामने स्ट्रीट लाइट है या नहीं है। मैं घटना के समय भी वहां पर स्ट्रीट लाइट के बारे में नहीं बता सकता। थाना परिसर में कार्यालय में जहां मैं बैठता था वहां से थाना परिसर का मुख्य गेट दिखाई देता था। थाने में इनवर्टर की व्यवस्था है जब वादी आया तब थाने परिसर के बाहर सड़क पर रोशनी थी या अंधेरा मैं नहीं बता सकता। यह सच है कि मैंने अपनी जीडी मुकदमा कायमी सं० 6 प्रदर्श 3 में SHO व पुलिस बल के थाने से रवानगी का स्थान अंकित नहीं किया है। तहरीर प्रदर्श क 1, जीडी मुकदमा कायमी प्रदर्श का 3 लिखे जाने के समय तक तहरीर पढ़ने से मैंने यह जाना था कि मृतक का शरीर CHC दिबियापुर में रखा हुआ है। फिर भी मैंने पुलिस बल की रवानगी का स्थान नहीं खोला था। मेरी ड्यूटी थाना दिबियापुर में दिनांक 01.05.2019 को रात 8:00 बजे से लेकर अगली तारीख 02.05.2019 की सुबह 8:00 बजे तक थी मुझे इस बाबत ध्यान नहीं है कि 02.05.2019 को सुबह 8:00 बजे तक थाने से रवानगी पर भेजा गया फोर्स जिसे मैंने इंद्राज जीडी मुकदमा कायमी में किया है, वह फोर्स सुबह 8:00 बजे तक वापस आया था या नहीं। यह सच है कि जीडी नंबर 6 प्रदर्श क 3 से रवाना फोर्स जब थाने वापस आएगा तो उसका जीडी में इंद्राज अवश्य होगा। पत्रावली में रवानाशुदा फोर्स का कोई कागज संलग्न नहीं है और मैं अपनी याददाश्त से भी नहीं बता सकता कि रवानाशुदा फोर्स मेरे थाने पर रहने तक वापस आया था। साक्षी को पत्रावली में शामिल पंचायतनामा शव सौरभ यादव का साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने पंचायतनामा की पुश्त पर लिखी गई भाषा के बारे में बताने से इनकार किया है। यह कहना गलत है कि FIR व पंचायतनामा एंटी टाइम है और इसी कारण मैं आज न्यायालय में सही बयान नहीं दे रहा हूं बल्कि सही तथ्यों को छुपा रहा हूं। यह कहना गलत है कि

FIR एंटी टाइम थी इसलिए उसकी प्रति न्यायालय भेजने का तस्करा चिक रिपोर्ट व जीडी में नहीं किया है।

25.साक्षी **पी०डब्लू० 5 उपनिरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि " दिनांक 02.05.2019 को थाना दिबियापुर में एस.एस.आई. के पद पर कार्यरत था, उस दिन थाने में मु०अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०स का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी श्री संजीव सिंह राठौर कर रहे थे, थाना प्रभारी के निर्देशन पर वह मृतक सौरभ यादव के शव का पंचायतनामा भरने हेतु थाना गेट दिबियापुर पर पहुँचा था। उसने शव की दशा हुलिया, कपड़े व चोटे देखी थी और मौके पर उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त करके शव का पंचायतनामा भरा था और पंचान की राय लेकर और अपनी राय प्रकट कर शव को सर्व सील मुहर करके शव विच्छेदन हेतु कां० सचिन वर्मा, पी.आर.डी. अरूणेश के सुपुर्द कर दिया था। इस साक्षी ने पंचायतनामा कागज संख्या 13क/1 व 13क/2 को प्रदर्श क–5 के रूप में सिद्ध किया है तथा पंचायतनामा से सम्बन्धित प्रपत्र चिट्ठी सी०एम०ओ. कागज सं० 14क/4 को प्रदर्श क–6 के रूप में, चालान शव कागज सं0 14क/5 को प्रदर्श क–7 के रूप में, फोटो नाश कागज सं0 14क/6 को प्रदर्श क–8 के रूप में तथा पुलिस फार्म–33 चालान शव कागज सं0 14क/7 को प्रदर्श क–9 के रूप में सिद्ध किया है। दिनांक 11.05.2019 को अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं० के अभियुक्त सोमवीर को पुलिस कस्टडी में लाये थे। वह उस दिन एस.एच.ओ. संजीव सिंह राठौर, एस.आई. शाकिर, कां० रमन शर्मा मय अभियुक्त के सरकारी जीप, जिसे अजय सिंह कां० चला रहे थे, थाने से रपट नं0 17 समय 1.25 बजे थाने से रवाना होकर आप अभियुक्त के बताये अनुसार ग्राम अमौआहार आये। आप अभियुक्त ने गाँव किनारे स्थित प्राइमरी स्कूल केपास गाड़ी को रूकवा कर कहा कि यहीं पर गाडी रोक दो, वह आगे–आगे चलकर आलाकत्ल तमंचा बरामद करायेगा। वहाँ उपस्थित लोगों को मकसद बताया गया और साथ में गवाही के लिए चलने को कहा गया, परन्तु कोई व्यक्ति गवाही भलाई–बुराई के कारण साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद आप अभियुक्त ने आगे–आगे चलकर दिबियापुर कन्चौसी रोड से गाँव अमौआहार जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया के पास प्राइमरी स्कूल की तरफ खड़ी जंगली बबलू व बेशर्म की झाड़ियों से निकालकर एक तमंचा 315 बोर का समय करीब 11.5 बजे आप अभियुक्त ने निकालकर दिया था और उसने यह भी बताया था कि दिनांक 01.05.2019 को लगुन के एक कार्यक्रम में उससे इसी तमंचे से फायर हो गया था. जिसमें एक लड़के को गोली लग गयी थी और उसकी मौत हो गयी थी। मौके पर ही थाना प्रभारीद्वारा बरामद कराये गये तमंचे को खोलकर देखा गया था तो उसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर निकला था। बरामद कराये गये तमंचे के लाइसेंस के

बारे में पूछा गया, तो लाइसेंस नहीं दिखा सका था। थाना प्रभारी संजीव सिंह ने मौके पर ही उससे फर्द बोल–बोलकर लिखवाई थी और तमंचा व कारतूस को सर्व सील मुहर कराया था और फर्द को पढ़कर पुलिस कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराये थे। मौके पर ही फर्द की नकल देकर अभियुक्त सोमवीर के हस्ताक्षर कराये गये थे। यह फर्द एस.टी. नं0 160/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की पत्रावली में कागज सं0 4क/3 के रूप में संलग्न है, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क–10 के रूप में सिद्ध किया। आलाकत्ल बरामद तमचा का सील बण्डल न्यायालय के आदेश पर खोला गया. उस सील बण्डल में से एक तमंचा 315 बोर निकला जिसे इस साक्षी ने देखकर कहा कि यह वही तमंचा है, जिसे अभियुक्त सोमवीर ने दिनांक 11.05.2019 को उसके समक्ष झाड़ियों से निकाल कर दिया था और खोखा कारतूस तमंचे की नाल से निकला था। इस साक्षी ने तमंचा को वस्तु प्रदर्श–9 व खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–10 के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने भी कथन किया कि मौके पर सील किया हुआ कपडा जिस पर अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं० व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सोमवीर लिखा हुआ है, जिस पर अभियुक्त सोमवीर के हस्ताक्षर है, और थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर के हस्ताक्षर है। थाना प्रभारी की मृत्यु हो चुकी है। वह उनके साथ कार्यरत रहा है। उसने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। इस प्रकार इस साक्षी ने द्वितीयक साक्षी के रूप में सील किये हुए कपडे को वस्तु प्रदर्श–11 के रूप में सिद्ध क्रिया।"

26.साक्षी **पी०डब्लू० 5 उपनिरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद से अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि " मैंने जिस आलाकत्ल की अपने बयान में सोमवीर से बरामद होना तथा नाल में चला हुआ खोखा लगा होना कहकर बयान दिया है उस समय मौके पर मैं मौजूद था और यानी की रवानगी व वापसी थाना तक SHO के साथ रहा था। बरामद दर्शाया गया माल तमंचा व खोखा जिसे मौके पर सील करना कहा गया है वह नमूना सील इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कट्टे को, खोखा कारतूस को, वस्तु प्रदर्श 10 को, साक्षी को दिखाकर वह पूछा गया कि आपने बरामद कट्टा व खोखा कारतूस 315 बोर का होना बताया है क्या खोखा की पेंदी पर 315 बोर लिखा था, तो साक्षी ने कहा कि खोखा की पेंदी पर 315 बोर नहीं लिखा था। यह सच है कि जो खोखा पीतल धातु का है उसकी पेंदी पर 8 mm खुदा हुआ दिख रहा था। खोखो की यह पहचान फर्द बरामदगी प्रदर्श क 10 में अंकित नहीं है। यह सच है कि थाने की सरकारी जीप जहां भी जाती है उसका विवरण गाड़ी में रहने वाली रन डायरी में भरा जाता है। दिनांक 11.5.19 को मैं SHO के साथ सरकारी जीप गाड़ी नंबर UP79G0187 चालक अजय के चलाकर ले जाने पर तमंचा बरामद स्थल पर पहुंचा था। हम

लोग थाने से चलकर सीधे अमौआहार प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे थे। मुझे रास्ते में 20 मिनट का समय प्राइमरी स्कूल के पास लगा था। मैं जिस प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचा था वहां पर अमौआहार के लोग मिले थे। SHO ने उनसे गवाही के लिए कहा था। उनके मैं नाम, रंग, कद काठी इस समय नहीं बता सकता हूं। लगभग 4–5 लोग थे। गवाही के लिए कहा था। मेरी तलाशी SHO महोदय ने की थी और SHO की जामा तलाशी मैंने की थी। ड्राइवर अजय सिंह कांस्टेबल रमन शर्मा, एस.आई. मोहम्मद शाकिर की जामा तलाशी किसने की मैं नहीं बता सकता। हवालात से अभियुक्त सोमवीर को मैं व SHO दिनांक 11..5.19 को लेकर चले थे तब SHO साहब ने बयान मेरे सामने नहीं लिया था। SHO साहब ने यह भी नहीं बताया था कि सोमवीर ने आलाकत्ल बरामद करने की बात कही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं दी थी। प्रश्न. क्या जीप से उतरने के बाद प्राइमरी स्कूल अमौआहार के पास सोमवीर ने किसी निश्चित स्थान जिसकी पहचान दूरी व दिशा पर कट्टा छुपा होना कोई बयान दिया हो और एसएचओ ने उसे लिखा हो? उत्तर–अभियुक्त सोमवीर को स्कूल के पास आगाह करने के बाद सोमवीर ने आगे आगे चलकर बनी पुलिया के पास से निकलकर तमंचा व खोखा दिया था व बताया था कि दिनांक 01.05.2019 को लगुन कार्यक्रम में इसी तमंचे से गोली चल गई थी जो एक बच्चे को लग गई थी यही बात बताई थी, जिसका उल्लेख फर्द में है। अलग से बयान लिखा है या नहीं मुझे नहीं मालूम। प्रश्न– क्या हथकड़ी से हटकर आलाकत्ल बरामद दर्शाये गये स्थान पर जाने के पूर्व क्या सोमवीर ने यह बताया कि प्राइमरी स्कूल से अमुज दिशा व अमुज दूरी पर चलकर मैने कट्टे को एक निश्चित स्थान का विवरण बताया हो वह स्थान SHO ने अपने बयान मैं लिया हो इस बाबत उत्तर दो? उत्तर –ऐसा कोई बयान सोमवीर ने नहीं दिया ना मेरे सामने लिखा। यह सच है कि प्रदर्श क 10 में दर्शायी गई बरामदी स्वीकारोक्ति के बाबत फर्द की समाप्ति पर जहां पर मेरे , SHO व रमन शर्मा आदि के हस्ताक्षर हैं वहां पर अभियुक्त सोमवीर के हस्ताक्षर नहीं है। मौके पर फर्द की एक कार्बन कॉपी तैयार हुई थी। उसमें अभियुक्त को प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। वह प्राप्ति SHO साहब ने प्राप्त करायी थी। जब अभियुक्त थाने पहुंचा तब मेरे सामने अभियुक्त की तलाशी नहीं की गई थी। मेरा पुलिस बल थाने पर एक बजे वापस आ गया था। मुल्जिम को SHO द्वारा दी गई फर्द की प्राप्ति कहां गई मैं नहीं बता सकता। सोमवीर से दर्शाये गए कट्टे को चलाकर नहीं देखा गया था कि वह चालू हालत में है या नहीं है। यह सच है की पत्रावली में नमूना सील नहीं है इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि कट्टे पर वही सील लगी है जो मौके पर लगाया जाना दर्शाया गया है या लॉक पर बदली हुई सील है। आज सील बंडल से जितने पीतल के खोखे निकले हैं उनकी पेंदी पर 315 बोर नहीं लिखा है। मेरा SHO ने इस केस में बयान नहीं लिया था। इस केस में मेरा बयान एस०आई रजनीश बाबू ने लिया था। उस समय मैं व रजनीश बाबू, SHO के मातहत थे। हम दोनों उनके मातहत काम रहे

थे। साक्षी को नक्शा नजरी आलाकत्ल बारामदगी के बावत बनाने वाले रजनीश कुमार के हस्तलेख में है। जो का० सं० 10क दिखाकर पूछा गया तो क्रमांक एक व दो में दिबियापुर से कंचौसी रोड से दक्षिण दिशा को जाने वाली सड़क में पुलिया बना होना संकेत में नहीं है। तथा नक्शा में जो भाषा लिखी गई है उस भाषा में भी पुलिया लिखा होना नहीं दर्शाया है। मेरा बयान लेने की तारीख ध्यान नहीं है, यह सच है कि बयान 161 सीआरपीसी में बरामदगी स्थल पर किसी जनता के गवाह का नाम, कद काठी, रंग अंकित नहीं है तथा यह भी अंकित नहीं है कि सोमवीर ने बरामदगी स्थल के बाबत SHO को कोई बयान नहीं दिया हो और उन्होंने केस डायरी में अंकित किया हो। जिस समय का यह केस है उस समय मेरे थाने पर बिजली के बाबत जनरेटर, इनवर्टर की व्यवस्था थी। थाना परिसर गेट व कार्यालय में रोशनी का साधन रहता है। थाना कैंपस कस्बे के अंदर है। कस्बे में लाइट व्यवस्था के साधन रहते हैं। मृतक के पिता का नाम अरविंद है जो मेरे द्वारा पंचायत नामा भरे जाते समय पंचांग के रूप में मौके पर मुझे मिले थे। मृतक सौरभ अरविंद का बेटा है। और मुकदमा की तहरीर सुंदरलाल ने लिखी है। सुंदरलाल व मृतक का क्या रिश्ता है। मैं नहीं बता सकता हो सकता है। मृतक के सुंदरलाल नाना हो मुझे नहीं पता। यह सच है कि राय पंचान व राय एस०आई० स्वयं ने यह नहीं लिखा है कि ग्राम अमौआहार में सुदुरलाल की पुत्री के तिलक चढ़ने के दौरान डीजे पर डांस करते समय सोमवीर की गोली सौरभ को लगी हो जिससे उसकी मौत हो गयी हो। जबकि तहरीर प्रदर्श क 1 में उपरोक्त बात लिखी है। यह भी सच है कि राय पंचान में अरविंद सहित जितने लोगों के हस्ताक्षर है, उनमें से किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि ग्राम अमौआहार में सुन्दरलाल की लड़की के तिलक में सौरभ यादव को हर्ष फायरिंग में सोमवीर के द्वारा गोली लगी हो। यह कहना गलत है कि पंचायतनामा भरे जाते समय मुझे मुकदमें की चिक रिपोर्ट व जी.डी. न मिली हो, इसीलिए राय एस.आई. (पंचायतनामा भरने वाले एस.आई.) ने सोमवीर द्वारा हर्ष फायरिंग में गोली लगने की बात न लिखी गयी हो। " यह कहना गलत है कि तहरीर व लाश थाने पर दिनांक 02.05.2019 को सुबह 7.00 बजे थाने पर आय हो, इसीलिए 01.05.2019 रात से लेकर दिनांक 02.05.2019 सुबह 7.00 बजे तक पंचायतनामा की कार्यवाही न की गयी हो। यह कहना गलत है कि जी.डी० रोकी गयी हो और वादी मुकदमा ने सुबह 7.00 बजे तक तहरीर दी ही न हो। यह कहना गलत है कि ग्राम अमौआहार में लड़की पक्ष की ओर से हर्ष फायरिंग की गई हो जिससे सौरभ यादव को गोली लगी हो और अमौआहार निवासियों ने लड़की पक्ष के लोगों की मारपीट की हो, इसलिए तहरीर आने में विलंब हुआ हो। मुझे जानकारी नहीं है कि अमौआहार वाले ने लड़की पक्ष के लोगों की मारपीट की थी या नहीं। मेरे थाना जहां पंचायतनामा भरा गया से जिला हेड क्वार्टर करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। हेड क्वार्टर पर शव पहुंचने का समय दिनांक 2.5.19 को जीडी नंबर 12 समय

11.10 अंकित है। मैंने कांस्टेबल सचिन वर्मा व अमरेश कुमार को सुबह 9:00 बजे रवाना कर दिया था। मैं पोस्टमार्टम हाउस पर नहीं था। किस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि एफ.आई.आर. पंचनामा व विवेचना की कार्यवाही एंटी टाइम हुई हो, इसलिए शव विलंब से पंचायतनामा के लिए थाने के बाहर रखा गया हो। यह कहना गलत है कि थाना परिसर के व थाना के बाहर पर्याप्त रोशनी होने के बाबत कम रोशनी का आधार बताकर शब सुबह 7:30 बजे रोशनी होने पर पंचनामा भरने की कार्यवाही की गई हो और 7:00 बजे शव आना थाने पर छुपाया गया हो और रात में ही शव व तहरीर आना गलत लिखा गया हो ताकि तहरीर व पंचायतनामा की कार्रवाई एंटी टाइम साबित होना ना हो।"

27.साक्षी **पी०डब्लू० 6 उपनिरीक्षक मो० शाकिर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि "दिनांक 11.05.2010 को वह थाना दिबियापुर में तैनात था। उसी दिनांक को एस.एम.ओ. संजीव सिंह राठौर के साथ वह एस.एस.आई. चन्द्रिकाप्रकाश, कां० रमन शर्मा मय सरकारी जीप चालक अजय सिंह के साथ अभियुक्त सोमवीर को पुलिस कस्टडी में लाये थे, उसको मर्दाना हवालात से निकाल कर थाने से रपट नं0 17 समय 10.25 बजे थाने से रवाना होकर अभियुक्त सोमवीर के बताये अनुसार ग्राम अमौआहार आये। गाँव के किनारे स्थित प्राइमरी स्कूल के पास आप अभियुक्त ने गाड़ी रोकने को कहा तो आपके कहने पर वही पर गाड़ी रोकी गयी और आपको भी गाडी से उतारा। वहाँ उपस्थित लोगों को मकसद बताकर गवाही के लिए कहा गया, परन्तु वहाँ पर कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, तब उन लोगों ने आपस में जामातलाशी ली और इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। आप अभियुक्त ने आगे-आगे चलकर अमौआहार के पास पुलिया के पास जंगली बबलू व वेशर्म की झाड़ियों से एक तमंचा 315 बोर का समय करीब 1.05 बजे उन सबके सामने निकाल कर थाना प्रभारी को दिया था और पूछने पर बताया था कि दिनांक 01.05. 2019 को लगुन के कार्यक्रम में उससे इसी तमंचे से गोली चल गयी थी, जो एक बच्चे को लग गयी थी। तमंचे की नाल को खोलकर देखा गया था, तो 315 बोर का एक खोखा कारतूस निकला था। बरामद तमंचा व कारतूस को मौके पर सील लिया गया था। थाना प्रभारी संजीव सिंह ने एसएसआई चन्द्रिकाप्रसाद से बोल बोल कर फर्द बनायी थी और हस्ताक्षर बनवाये थे। यह फर्द एस.टी. नं0 160/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली में कागज सं0 4क/3 के रूप में संलग्न है, जिसे इस साक्षी ने भी प्रदर्श क 10 के रूप में सिद्ध किया है। तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर उसके साथ कार्यरत रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है, वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। उनकी मृत्यु हो गयी है। उनके द्वारा अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०द०सं० की विवेचना ग्रहण करके प्रारम्भ

की गयी है। उनके द्वारा दिनांक 02.05.2019 को नक्शानजरी घटनास्थल बनाया। इस साक्षी ने नक्शानजरी कागज सं० 16 (प्रदर्श क–11) को द्वितीयक साक्षी के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर द्वारा विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आप अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 304 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने एस.टी. नं0 159/2019 बनाम सोमवीर में संलग्न आरोपपत्र कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/3 (प्रदर्श क–12) को द्वितीयक साक्षी के रूप में सिद्ध किया है।

28.साक्षी **पी०डब्लू० 6 उपनिरीक्षक मो० शाकिर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि " मैं SHO महोदय द्वारा अभियुक्त सोमवीर को हवालात से निकालकर जीप में बैठने से लेकर बरामदगी स्थल तक व बरामदगी स्थल से हवालात वापस लाने तक मै साथ रहा। इस दौरान SHO साहब मेरे सामने कोई सोमवीर से सवाल किये हो, या सोमवीर ने उन्हें कोई जवाब दिये हो, मुझे ध्यान नहीं है। प्रश्न–क्या अभियुक्त सोमवीर की हवालात से निकलते समय से लेकर बरामदगी स्थल पर पहुंचने से पूर्व क्या SHO महोदय ने सोमवीर से क्या यह प्रश्न पूछा था की घटना में प्रयोग होने वाला तमंचा आपने ग्राम अमौआहार के आसपास प्राइमरी स्कूल से कितनी दूर, किस दिशा में, किसी निश्चित स्थान पर, कपड़े में, पॉलिथीन में या खुली अवस्था में कट्टा कहां छुपाया है? उत्तर –एस.एच.ओ महोदय ने मेरे सामने सोमवीर से ऐसा कोई बयान नहीं लिया है। इस संबंध में विवेचक ने मेरा भी बयान या पूछताछ नहीं की थी,लेकिन आलाकत्ल बरामदगी के संबंध में मेरा बयान लिया था। मैंने अपने बयान 161 सीआरपीसी में बरामद दर्शाए गये खोखे की पेंदी पर 315 बोर किता होना नहीं बताया था। मैंने बयान में 315 बोर का तमंचा होना बताया था। कारतूस की पेंदी पर (खोखा) क्या लिखा है, खोखा किस धातु का था, ना दरोगा जी ने पूछा था ना मैंने बताया था। जिस स्थान से सोमवीर से तमंचा बरामद होना दर्शाया गया है उस स्थान पर कितने क्षेत्रफल में बबूल व बेशर्म की झाड़ियां थी मैं नहीं बता सकता। अतः खुद कहा कि बेशर्म व बबूल की झाड़ियां थी। जिस जगह झाड़ियां थी उसके आसपास किस दिशा में स्कूल है मुझे ध्यान नहीं है। बरामदगी स्थल के उत्तर दिशा में स्कूल है। मेरा बयान रजनीश दरोगा जी ने लिया था। मैंने विवेचक को घटनास्थल नहीं दिखाया था। ऐसा नहीं है कि जहां से SHO ने आलाकत्ल बरामद होना दर्शाया है, वहां पर बबूल व बेशर्म की झाड़ियां ना हो। इसीलिए विवेचक ने अपने नक्शा नजरी में बरामदगी स्थल नक्शे में दर्शाया ना हो। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10 क नक्शा नजरी आलाकत्ल बरामदगी स्थल दिखाए है। यह सच है कि10 क नक्शा नजरी की इन्डेक्स में x क्रास चिन्ह में घटना स्थल दर्शाया जाना अंकित नहीं है। यह भी सच है कि नक्शा

नजरी में पेड़ों के निशान बनाकर झाड़ियां दर्शायी गई हैं उनमें बबूल के पेड़ों के अलावा बेशर्म के पेड़ होना नहीं दर्शाया गया है। यह भी सच है कि नक्शा नजरी में लिखी हुई भाषा में पुलिया नहीं लिखा है पुलिस लिखा है। मैं जब घटनास्थल बरामदगी आला कत्ल गया था, तो वहां पर बबूल व बेशर्म की झाड़ियां मौजूद मिली थी। उसी झाड़ियां में से सोमवीर ने आलाकत्ल बरामद करना व इस पर एसएचओ ने प्रदर्श का 10 बनाया जाना व उसी फर्द पर मेरे हस्ताक्षर होने का मैंने मुख्य बयान दिया है, लेकिन नक्शा नजरी में क्रास स्थान विवेचक रजनीश कुमार ने दर्शाया है। उस क्रास स्थान से पूरब में गांव की सड़क , पश्चिम में प्राइमरी भवन अमौआहार, उत्तर में दिबियापुर कंचौसी रोड, दक्षिण भवन भूमि पर स्कूल अमौआहार नक्शे में दिख रहा है। इसी स्थान क्रॉस पर प्राइमरी स्कूल व गांव की सड़क के बीच में जो खाली स्थान है, में पेड़ के निशान है । चार पेड़ों के निशान दर्शाये गए हैं जो उत्तर से दक्षिण में दर्शाये गए हैं, लेकिन क्रॉस स्थान के उत्तर में कोई पेड़ व झाड़ी होना नहीं दर्शाया गया है। जो गांव की सड़क दर्शायी गई है वह सड़क दिबियापुर कंचौसी रोड आना दर्शाया गया है। या सच है कि जो फर्द बरामदगी की भाषा संजीव सिंह एसएचओ ने लिखी है उसके नीचे रमन शर्मा, मेरे व चंद्रिका प्रसाद के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उस भाषा के सत्यापन में सोमवीर के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि प्रति देने के बाद फर्द देने के हस्ताक्षर कराए गए हैं। घटनास्थल से थाना वापसी व हवालात में सोमवीर को बंद किए जाने तक मैं साथ रहा था। संतरी पहरा ने मेरे सामने अभियुक्त सोमवीर को हवालात में बंद किया था। संतरी ने अभियुक्त की जामातलाशी की थी या नहीं नहीं मालूम। फर्द की प्रति जो सोमवीर को प्राप्त करना लिखा है वह प्रति हवालात में बंद थाने से पूर्व कहां गई ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है की झूठी फर्द की प्राप्ति कराना किया गया हो और अभियुक्त को प्रति ना दी गई हो और इसीलिए संतरी को मुल्जिम सोमवीर की हवालात दाखिले के पूर्व प्रति न मिली हो। यह सच है की घटना स्थल के समय मैं SHO संजीव सिंह के मतहत हो। यह कहना गलत है कि मैं मातहत होने की वजह से मैं SHO के द्वारा बनाई फर्द फर्जी पर दबाव में अपने हस्ताक्षर किए हो। पुलिसकर्मी होने के नाते आज न्यायालय में झूठी गवाही दी हो।

29.साक्षी **पी०डब्लू० 7 एस०आई० रजनीश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि " दिनांक 11. 05.2019 को वह थाना दिबियापुर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उसे मु०अ०सं० 227/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सोमवीर थाना दिबियापुर की विवेचना एस.एच.ओ. दिबियापुर के मौखिक आदेश पर मिली थी। इस साक्षी ने गवाहों के बयान लिये और वादी मुकदमा संजीव सिंह की निशानदेही पर नक्शानजरी कागज सं० 10क तैयार किया जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क 13 के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि

तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट औरैया से अभियोजन स्वीकृति कागज सं० 9क प्राप्त की गयी, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क 14 के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आप अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम कागज सं० उक प्रेषित किया, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क 15 के रूप में साबित किया है।"

30.साक्षी **पी०डब्लू० 7 एस०आई० रजनीश कुमार से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि** यह सच है कि अपराध संख्या–227/2019 जिसमें सोमवीर से आलाकत्ल तमंचे की बरामदगी करने वाले मेरे थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर थे। यह भी सच है कि जिस दिन सोमवीर से आलाकत्ल की बरामदगी एस.एच.ओ संजीव सिंह द्वारा दर्शायी गयी उस दिन से लेकर इस आला कत्ल की विवेचना मेरे द्वारा आरोप पत्र बनाया गया। इस पूरे प्रकरण के दौरान SHO संजीव सिंह राठौड़ मेरे थाना प्रभारी थे और मैं उनके मातहत था। यह भी सच है कि SHO संजीव सिंह राठौर आलाकत्ल बरामदगी के बाबत थाना दिबियापुर की रपट नंबर 17 समय 10:25 बजे एस. एच. ओ ने जो रवानगी दर्शीयी है। उस जीडी की कोई प्रति दौरान विवेचना ना मैंने संकलित की ना उसकी सत्यता के बाबत उसका कोई विवरण सीडी कितना किया। अतः खुद कहा कि दिनांक 11 .5 .19 को रपट संख्या 19 की प्रति लगाई है जिसमें बरामदगी के बाद SHO महोदय की वापसी के बाबत मुकदमा कायमी आर्म्स एक्ट का हवाला अंकित है। मेरी पूरी विवेचना में मेरे SHO महोदय ने यह नहीं बताया था कि सोमवीर के जेल में रहते हुए सोमवीर के लिए गए बयान 161 सीआरपीसी अथवा थाने की हवालात से रपट संख्या 17 समय 10:25 बजे सोमवीर को हवालात से लेकर चलने से पूर्व सोमवीर ने ऐसा बयान दिया हो, ग्राम अमौआहार से निश्चित दूरी व दिशा में स्थित प्राइमरी स्कूल व प्राइमरी स्कूल से निश्चित दूरी व निश्चित दिशा में निश्चित पहचान वाली जगह पर पेड़ों, फसल वा झाड़ियां अथवा खुले स्थान पर जमीन के अंदर निश्चित बोर का तमंचा छुपाया है जिसे वह बरामद कर सकता है, ऐसा बयान नहीं बताया था, इसीलिए मैंने अपने विवेचना में इसका हवाला दिया है। अतः खुद कहा कि उन्होंने फर्द बरामदगी में लिखा है। पब्लिक के गवाहों से प्राइमरी स्कूल से पुलिस बल से गवाह बनने के लिए जिन लोगों से कहा जात, नाम हुलिया व गवाहों की संख्या नहीं बताई थी। इसलिए मैंने विवेचना में उनका विवरण अंकित नहीं किया है। मैं SHO महोदय के निशान देही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क 13 बनाया था, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि नक्शा नजरी में दिबियापुर से कंचौसी रोड दक्षिण दिशा में गांव को जाने वाली सड़क लिखा है। यह रोड किस गांव को जा रही है यह नक्शा नजरी से साबित नहीं होती है, लेकिन सड़क के दक्षिण दिशा में प्राइमरी भवन अमौआहार दर्शाया गया है। यह भी सच है कि जो स्थान क्रॉस नक्शे में तमंचा बरामदगी का दर्शाया

है उसके दक्षिण दिशा में जंगली पेड़ बबूल का होना दर्शाया है। क्रॉस स्थान के क्रॉस स्थान से लगी हुई दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर के नक्शे में कोई झाड़ियां होना नहीं दर्शाया है। अतः खुद कहा कि क्रॉस स्थान से पूर्व दिशा में जो जाने वाली सड़क दर्शायी है उस सड़क बाद पूर्व दिशा में जंगली बबूल झाड़ियां मैने दर्शायी हैं। यह सच है कि मेरी पूरी विवेचना में मुझे घटनास्थल के क्रॉस स्थान के आसपास मुझे बेशर्म की झाड़ियां नहीं मिली थी। यह कहना गलत है कि SHO महोदय द्वारा वादी से मिलकर वादी पक्ष द्वारा दिया गया तमंचा बरामदगी से पूर्व थाने में लाकर रखा गया हो और थाने में बैठे बैठे फर्द बरामदगी दर्शायी गई हो, इसीलिए सोमवीर के जेल में रहते व हवालात से बरामदगी स्थल पर ले जाना दर्शाए गए समय के पूर्व कोई सोमवीर का बयान 161 सीआरपीसी का सटीक स्थान, निश्चित बोर, के बाबत ना लिखा गया हो। मैंने उपरोक्त आलाकत्ल तमंचे की अभियोजन स्वीकृति लेने के पूर्व मालखाना इंचार्ज थाना दिबियापुर को कोई लिखित प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। अतः खुद कहा कि अभियुक्त सोमवीर सिंह से बरामद तमंचा मालखाने से प्राप्त किया था। इस बात का हवाला अभियोजन स्वीकृति में नहीं है कि मैंने किस समय आलाकत्ल लेकर मय केस डायरी लेकर जिला मजिस्ट्रेट औरैया के यहां गया। अतः खुद कहा की पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8 क मेरे द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.5.19 है। एस.ओ. साहब ने उसी दिन संस्तुति की थी। 18.5.19 को अपर पुलिस अधीक्षक ने उसे सबमिट किया था। इस प्रार्थना पत्र को देखकर मैंने स्वीकृति मांगी थी। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क 14 में यह बात नहीं लिखी है कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने आलाकत्ल स्वीकृति देने के लिए विवेचक फर्द बरामदगी केस डायरी सहित विवेचक को किस तारीख, किस स्थान (निवास/ कार्यालय) बुलाकर उसके समक्ष आलाकत्ल कागजात कब देखे अथवा अपने पास जमा कराये। अतः खुद कहा कि अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 20.5.19 को तैयार होकर मुझ विवेचक को 30.5.19 को प्राप्त कराई गई थी। यह सच है कि प्रर्दश क 14 में यह भी नहीं लिखा है कि अभियोजन स्वीकृति अभियोग दैनिकी व समस्त कागजात का मय नमूना मोहर, माल का मिलान जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कब किया अर्थात 18.5.19 को विवेचक द्वारा लाया गया माल 20.5.19 तक जिला मजिस्ट्रेट महोदय के पास अथवा उनके सहायक के पास रखा गया, अथवा उसके बाद माल देखा गया। यह कहना गलत है कि प्रदर्श क 14 वास्तविक बिना माल व कागजात देखे मैकेनिकल प्रोसेस में तैयार की गई अभियोजन स्वीकृति हो। यह कहना भी गलत है कि SHO संजीव सिंह राठौड़ द्वारा दर्शाया गया आलाकत्ल तमंचा वादी मुकदमा द्वारा अपने पास से दिया गया जिसे SHO ने फर्जी बरामदगी दिखाकर आलाकत्ल का नाम दिया हो। यह कहना भी गलत है कि संजीव सिंह का मातहत होने की वजह से मैंने दबाव में सही विवेचना ना की हो और गलत

आरोप पत्र प्रेषित किया हो। यह कहना गलत है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श का 14 विधि विरुद्ध तैयार की गई हो।

31.साक्षी **पी०डब्लू० 8 का० ओम प्रताप सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि"दिनांक 11.05 2019 को उसकी तैनात बतौर कॉ० क्लर्क थाना दिबियापुर में कार्यलेख पर थी। उस दिनांक को प्रभारी निरीक्षक संजीव सिंह राठोर की बरामदगी फर्द उनके द्वारा उसे दी गयी थी. के आधार पर मु०अ०स० 227/2018 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की कायमी जी०डी० नं0 19 समय 13.07 बजे टाइप की गयी थी तथा उसी दिनांक को उपरोक्त अपराध की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट टाइप की गयी थी। इस साक्षी ने जी०डी० कायमी मुकदमा कागज सं0 6/1 को प्रदर्श क 16 के रूप में तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज स० 4 क/1 व 4 क/2 को प्रदर्श क 17 के रूप में सिद्ध किया है।"

32.साक्षी **पी०डब्लू० 8 का० ओम प्रताप सिंह अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि** यह सच है कि जीडी नंबर 19 दिनांक 11.5.19 समय 13:07 बजे की जीडी में प्रदर्श क 16 से यह साबित नहीं हो रहा है कि SHO संजीव सिंह मय फोर्स माल मुल्जिम के थाने वापस आए हैं। वह SHO इस जीडी नंबर से और किन–किन सहयोगी कर्मचारी के साथ किस समय और कहां से आलाकत्ल बरामदगी के लिए गए थे प्रदर्श क 16 से यह भी साबित नहीं हो रहा है कि जीडी नंबर 19 के पूर्व की जीडी नंबर 10 से 18 तक किस समय और किस कार्य के लिए लिखी गई। क्योंकि मुझे थाने से दिनांक 11.5.19 की प्रारंभ होने की जीडी बुक की कार्बन कॉपी की प्रति मुझे नहीं दी गई। पूरी पत्रावली को देखने से पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि SHO महोदय अभियुक्त सोमवीर को किस तारीख को किस समय जेल से लेकर थाने आए थे इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त को हवालात से निकालकर आलाकत्ल बरामदगी के निश्चित स्थान के बाबत कोई बयान किया गया था या नहीं। यह कहना गलत है कि अभियुक्त सोमवीर को जेल से लाकर हवालात में बंद करने के बाद बरामदगी के लिए हवालात में उसका बयान 161 सीआरपीसी लेकर अथवा बिना बयान लिए उसे बरामदगी स्थल पर ले जाया ही ना गया हो। यह कहना भी गलत है कि इसीलिए मैं SHO के कहने पर उस समय उनके मातहत होने के वजह से थाने से अभियुक्त को वह पुलिस बल को बिना रवानगी दर्शाये वापसी की जीडी 19 में थाने में आना दर्शाया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं सरकारी कर्मचारी होने के कारण SHO द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शायी गई को सही साबित करने के लिए मैं झूठा बयान दे रहा हूं।

33.साक्षी **पी०डब्लू० 9 एसओ नवीन कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि" दिनांक 23.01. 2019 को वह थाना दिबियापुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिनांक को उसे थाना कार्यालय से अ०सं० 189/2019 बनाम सोमवीर व मु0अ0स0 227/2019 से सम्बन्धित एक सर्व मोहर बण्डल जिस पर दिनांक 03.06.2015 एक अदद 315 बोर देशी पिस्तौल व 315 बोर केएफ का चला कारतूस व 315 बोर एक चली बुलेट जो पूर्व में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गयी, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस साक्षी ने परीक्षण रिपोर्ट कागज सं0 37क को टेण्डर प्रदर्श क–1 के रूम में सिद्ध किया है।

34.साक्षी **पी०डब्लू० 9 एसओ नवीन कुमार से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि** जो खोखा कारतूस व कट्टा लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया इसकी कार्यवाही मेरे द्वारा नहीं की गई। जो रिपोर्ट मैंने न्यायालय में दिनांक 23.1.23 को दाखिल की है उस रिपोर्ट की नकल मुल्जिम को देने के लिए प्रति कोर्ट में दाखिल नहीं की है और यह सच है की विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्रति आज अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त करा दी गई है। जब कट्टा व कारतूस विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था तब मैं नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि कारतूस व तमंचे पर 315 बोर अंकित है या नहीं, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अंकित है। यह कहना सही है की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मेरे सामने तैयार नहीं हुई है। प्रश्न–जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कट्टा व कारतूस भेजे गए थे उस समय कट्टे व कारतूस पर 315 बोर की भाषा खुदी हुई थी या नहीं क्या इसका विवरण जीडी पर अंकित है। उत्तर–315 बोर का पिस्टल व 315 बोर का चला हुआ कारतूस भेजा गया था। मुझे नहीं पता कि तमंचे व कारतूस पर 315 बोर खुदे होने के संबंध में जीडी में किता किया गया है या नहीं। आज मेरे सामने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने वाले कट्टा व कारतूस नहीं है। प्रश्न–जीडी में कट्टा हुआ कारतूस को 315 बोर को किस आधार पर बनाया गया है? उत्तर –पूर्व विवेचक द्वारा जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था उस पर 315 बोर पिस्टल व 315 बर खोखा कारतूस लिखकर भेजा गया था।

35. साक्षी **पी०डब्लू० 10 SHO अनिल कुमार विश्वकर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि दिनांक 16.07.2019 को थाना दिबियापुर में एस०एच०ओ० के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु०अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं० में सम्बन्धित परीक्षण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त हुई थी। मैंने परीक्षण रिपोर्ट का का अवलोकन किया और इसका हवाला एस०सी०डी० के पर्चा नं० 5 किया और केस डायरी में संकलन किया। परीक्षण

रिपोर्ट में प्रदर्श P.M.बंडल रखी हुयी वस्तुओ में वस्तु सं० 1 –6 तक रखी हुयी वस्तुओ में वस्तु सं० 1–4 पर मानव रक्त पाया गया था, वस्तु सं० 5 व 6 रक्त् (वियोजित) डिस इन्डीग्रेडिड पाया गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० लखनऊ को परीक्षण रिपोर्ट मय लिफाफा संलग्न पत्रावली का.सं. 20क है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मेरे पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया थां परीक्षण रिपोर्ट पर वैज्ञानिक अधिकारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० महानगर लखनऊ के हस्ताक्षर हैं परीक्षण रिपोर्ट पर टेण्डर प्रदर्श क 2 डाला गया।

36.साक्षी **पी०डब्लू० 10 SHO अनिल कुमार विश्वकर्मा से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि** उपरोक्त मुकदमे में विवेचक द्वारा दिनांक 19.6.19 को आरोप पत्र प्रेषित करके विवेचना समाप्त कर दी गई थी। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3क/1 आरोप पत्र दिखाकर पूछा गया कि इस आरोप पत्र के अंतिम कागज 3क/3 के अंत में विवेचक द्वारा विवेचना जारी होना नहीं लिखा है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होना लिखा है।प्रश्न–उपरोक्त अपराध संख्या में आरोप पत्र प्रेषित होने के पश्चात सी ओ द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुझे रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गई इसके बाद क्या आपने विवेचना रिओपन करने का प्रार्थना पत्र किसी उच्च अधिकारी को दिया था। उत्तर– विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, मेरे द्वारा उक्त रिपोर्ट एस.सी.डी फर्स्ट के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है। मैंने विवेचना को अग्रेसित करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र किसी उच्च अधिकारी को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मैंने दंड प्रक्रिया संहिता के विपरीत विवेचना बिना रिओपन कराये पर्चा एससीडी के पर्चे ....वह अवैधानिक हैं। मैंने मुख्य बयान में जो यह बात कही है किन वस्तु संख्या 1 से 6 तक में रक्त पाया गया। यह पंक्ति परीक्षण रिपोर्ट में मेरे सामने नहीं लिखी गई है। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में वस्तु संख्या 1 से 4 पर मानव रक्त पाया गया व वस्तु संख्या 5–6 पर रक्त (वियोजित) डिस इंडीग्रेटिड पाया गया शब्द लिखा है, यह भी मेरे सामने नहीं लिखा गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का०सं० 20क मेरे सामने तैयार नहीं किया गया है। जिस व्यक्ति के हस्तलेख में तैयार की गयी है उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बता सकता। तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर किसी अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं, मैं नहीं बता सकता। हस्ताक्षर भी मेरे सामने नहीं किए गए हैं। तथा इस रिपोर्ट पर विभाग की मोहर भी मेरे सामने नहीं लगाई गई है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि किस अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना गलत है की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट विधि विरुद्ध किया गया है, इसलिए रिपोर्ट का सत्यापन भी विधि विरुद्ध है।

37.अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में सफाई साक्षी के रूप में डी०डब्लू–1 उदयवीर, डीडब्लू–2 विपिन कुमार, डीडब्लू–3 सोदन सिंह को परीक्षित कराया है। बचाव पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में–

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या	साबित किये गये प्रपत्र
1	उदयवीर,	डी0 डब्लू 0 – 1	–
2	विपिन कुमार	डी0 डब्लू 0 – 2	–
3	सोदन सिंह	डी0 डब्लू 0 – 3	

38. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी डी०डब्लू–1 उदयवीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 1.5.19 को ग्राम अमौआहार में विजय सिंह यादव के घर लड़के के तिलक कार्यक्रम में डीजे व लाइट का काम मैंने किया था। उस दिन मैं सुबह लगभग 8:00 बजे विजय सिंह के घर पर पहुंच गया था और पहले लाइट का काम किया था। मैंने डीजे शाम 8:00 बजे लगाया था लेकिन विजय सिंह ने डीजे लगुन वालों के आने के बाद बजाने को कहा था। लगुन वाले लगभग 9:00 बजे मार्शल गाड़ी, वैन व मोटरसाइकिल से लगभग 40– 50 लोग आए थे, जिनमें 18–10 साल से 14 साल तक के, 14– 15 बच्चे थे। शेष लोग बड़े थे। मैंने अपना डीजे विजय सिंह के मकान के आगे खुले में पूरब तरफ लगाया था और डीजे जहां लगा था उसके पिछवाड़े पूरब दिशा में खाना लगा था। लगुन वालों का पहले नाश्ता हुआ था। लगुन में आए लड़कों ने आने के 15–20 मिनट बाद डीजे बजाने को कहा था और मैंने बजाना शुरू कर दिया था। डीजे पर मेरे चारों ओर जगमगाई हुई लाइट जल रही थी। मेरे डीजे वाले मैदान से पश्चिम में गली के बाद खुली जगह में मार्शल, वैन, मोटरसाइकिल आदि वहां खड़े थे। डीजे बजाने के 10 मिनट बाद हर्ष फायरिंग हुई थी। हर्ष फायरिंग करने वाले लड़के लगुन लेकर आने वालों के साथ के थे, जो कुछ मार्शल से निकले थे व कुछ वैन से निकले थे। हर्ष फायरिंग करने वाले लड़के बिना मूंछ के 10–12 से 14–15 साल तक के गोरे रंग के थे। हर्ष फायरिंग करने वाला कोई लड़का काले रंग का नहीं था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सोमवीर को दिखाकर साक्षी से पूछा गया कि डीजे पर डांस करने वाले व फायरिंग करने वालों में हाजिर अदालत आपको दिखा था या नहीं। तो साक्षी ने कहा कि हाजिर अदालत मुल्जिम वहां नहीं था। डासं वाले पश्चिम दिशा में जो मार्शल गाडी खड़ी थी एक लड़का मार्शल पर खड़े होकर उपर को नाल करके पहले फायर कर रहा था। एक आठ दस साल का लड़का मार्शल वाले लड़के के पास गया था उसने क्या कहा मुझे नहीं पता। उसी लड़के का फायर जहां लड़के डांस कर रहे थे उसी तरफ नीचे को नाल गयी और गोली एक लड़के को लग गयी। घायल लडके को मार्शल में आने वाले लोग लेकर चले गये थे। मैंने अपना डीजे फिर बंद कर दिया था। लगुन में आने वाले लोग कुछ जो वहां रूके थे

उनसे व गांव वालों के बीच मारपीट हुई थी। जिसमें लगुन में आने वालों को चोट आई थी। इसके बाद लगुन का कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस कार्यक्रम में खाना बनाने का काम हलवाई विपिन कुमार उर्फ रामबाबू निवासी दिबियापुर का था। वह भी वहां पर मौजूद रहे थे। मैं उस रात वहीं रुका था और सुबह अपनी लाइट व डीजे खोलकर वापस आया था। शेष लगुन वाले 10 से 10:30 बजे सभी लोग चले गए थे। लगुल वालों की मारपीट लगभग 10:00 बजे हुई थी। इस घटना के बाबत दिबियापुर थाने के दरोगा जी ने लगभग 25 मिनट बाद थाने बुलाकर मुझसे पूछताछ की थी। मैंने इसी प्रकार घटना होना दरोगा जी को भी बताई थी। मैं विजय सिंह के बड़े लड़के के लगुन में उसी गांव के फूदेव प्रसाद के यहां भी काम किया है। मैं हाजिर अदालत मुल्जिम सोमवीर को शक्ल से जानता हूं।

39.**बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी डी०डब्लू–1 उदयवीर से राज्य की ओर से जिरह करने पर उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि** मैं लगभग 8–9 वर्ष पहले से डीजे व लाइट का काम कर रहा हूं। मेरे पास एक ही डीजे है। मैं डीजे व भागवत का काम ज्यादा करता हूं। मैं जब अपना डीजे व लाइट बुक करता हूं तो उसकी लिखा पढी कर उसकी रसीद भी देता हूं। मैं रजिस्टर नहीं रखता हूं। रसीद बुक रखता हूं जिससे एक कॉपी कस्टमर को दे देता हूं व एक कॉपी अपने पास रख लेता हूं। मैं यह नहीं बता सकता हूं कि मेरी लाइट व डीजे कब बुक की गई थी, मैं बुकिंग की कोई रसीद बुक लेकर नहीं आया हूं। मेरे यहां से ग्राम अमौआहार 6–7 किलोमीटर दूर है। मैं अमौआहार के सभी नागरिकों को नाम व शक्ल से नहीं जानता हूं। विजय सिंह के मकान के उत्तर में खाली जगह पड़ी है। विजय सिंह के मकान के पश्चिम में डीजे लगा था। बाद में कहां की डीजे पूर्व में लगा था। विजय सिंह के मकान के पश्चिम में रोड है फिर खाली जगह पड़ी है। मुझे यह पता नहीं है कि पश्चिम में कोई मकान है या नहीं परंतु जगह जरुर पड़ी है। डीजे के ठीक सामने तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। जहां कार्यक्रम चल रहा था उसके किस दिशा में मृतक को गोली लगी? उत्तर पश्चिम दिशा में गोली लगी। मार्शल से लोग उतरे थे इसलिए मैं जानता था कि यह लोग लगुन वाले लोग हैं। जो लोग गाड़ियों से आए थे तब कहा गया था कि लागू वाले आ गए फिर उन लोगों को नाश्ता कराया गया था फिर वही लोग डांस करने आए थे। इसीलिए जान गया था कि लगुन वाले हैं। उन्हें देखा था इसलिए पहचाना था। अगर इसमें गांव वालों भी हो तो मैं नहीं पहचान सकता हूं। तिलक कार्यक्रम में मार्शल से उतरने वालों में कोई गांव वाला भी हो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं सभी गांव वालों को नहीं पहचानता। मैं सुबह 8:00 बजे कार्यक्रम स्थल पर आ गया था। मैंने दिनभर वहां रहकर लाइट की फिटिंग करी थी। मैंने 8:00 बजे डीजे लगा दिया था। मैं अपने साथ दो लड़के और लेकर आता हूं । 8:00 बजे मैंने डीजे कंप्लीट कर दिया था। गांव वाले डीजे पर डांस नहीं कर रहे थे। यह कहा गया था कि लगुन वाले आ जाएं तभी

चालू करना। डीजे मैंने 9:00 चालू कर दिया था। जब डीजे चालू किया तब लगुन वाले 15 मिनट के अंदर डांस करने लगे। वहां पर फायरिंग दो–तीन लोग कर रहे थे। वे लोग पतली नली के कट्टे से फायरिंग कर रहे थे। जिसमें एक छोटी नली व एक लंबी नली का कट्टा था। मैंने फायर करने वालों को मना नहीं किया था। वह फायर ऊपर को कर रहे थे। मैं सोमवीर को शक्ल से लगभग एक वर्ष पूर्व से जानता हूं क्योंकि मैंने पहले उसके यहां काम किया था। मेरे सामने पुलिस आई थी लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं था। मैंने अपनी तरफ से यह नहीं बताया था कि डीजे पर कौन–कौन फायर कर रहा था। मुझे दो चार माह बाद पता चल गया था कि सोमवीर जेल गए हैं। मुझे यह पता नहीं था कि इसी फायरिंग वाले केस में सोमवीर जेल गए हैं। मुझे यह पता नहीं था कि इस घटना की रिपोर्ट हुई है। मुझे इस केस में कभी पता नहीं चला कि इसमें सोमवीर मुल्जिम है। घटना के लगभग एक माह बाद पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी कि तुम्हारे सामने डीजे पर क्या हुआ था लेकिन कुछ भी लिखा पढी नहीं की थी। मुझे आज पता चला कि सोमवीर इसमें मुल्जिम है। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत मुल्जिम सोमवीर ने दिनांक 01.05.2019 को रात्रि में 9:30 बजे तिलक कार्यक्रम में ग्राम अमौआहार में डीजे पर बच्चों के डांस करते समय हर्ष फायरिंग की हो और करता रहा हो और सोमवीर की फायरिंग से लड़की पक्ष से आये बालक सौरभ यादव को पेट में गोली लगने से लहुलुहान होकर उसकी मृत्यु हो गई हो। यह कहना भी गलत है कि मैं घटना के समय मौके पर मौजूद न रहा हूं इसीलिए घटना का सही स्थान ना बता पा रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि मैं अभियुक्त सोमवीर का मेली होने के कारण उसके कहने से व उसके समझाने के आधार पर उसे इससे बचाने के लिए आज न्यायालय में गलत झूठा बयान दे रहा हूं।

40.बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी डी०डब्लू–2 विपिन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ग्राम अमौआहार में विजय सिंह यादव के घर पर दिनांक 1.5.19 के लिए खाना आदि बनाने एवं खिलाने आदि के लिए मुझे बुक किया गया था। मैं दिनांक 30.4.19 को अपने सहयोगियों के साथ विजय सिंह के घर पहुंच गया था। यहां पूरे दिन काम किया था फिर अपने सहयोगियो को छोड़कर घर चला आया था। फिर अगले दिन पहुंच गया था और फिर पूरी रात उन्हीं के यहां रुका था। वहां लाइट व डीजे का काम उदयवीर ने किया था और उदयवीर एक मई को सुबह 8:00 बजे पहुंच कर पूरी रात वही रहा था। लगुन वाले लोग मार्शल गाड़ी में, वैन गाड़ी, व मोटरसाइकिल से लगभग 45–50 लोग आए थे। लोगों में 10–15 लड़के थे और शेष बुजुर्ग व जवान थे। लगुन वालों के आने पर सबसे पहले उनको नाश्ता कराया गया था नाश्ता व खाना खिलाने का कार्यक्रम विजय सिंह के मकान के पूर्व में खाली जगह में कराया गया था। डीजे विजय सिंह के मकान की बाउंड्री के अंदर पूरब

दिशा में लगा था। खाना नाश्ता का कार्यक्रम भी उनकी बाउंड्री के बाद पूर्व में लगा था। लगुन वालों के आने वाले वाहन विजय सिंह के मकान के पश्चिम गली के बाद जो खाली जगह थी उसमें खड़े थे। लगुन में आने वाले बच्चों ने डीजे लगभग 9:00 चालू करवा दिया था। लगुन में आने वाले लोगों को उनकी गाड़ियों से उतरते व नाश्ता करते समय पहचाना था। डीजे प्रारंभ होने के बाद डीजे बजने वाली जगह से व मार्शल गाड़ी के ऊपर से फायरिंग हुई थी। मार्शल गाड़ी के ऊपर से फायर करने वाले बच्चे से एक गोली लगुन में आने वाले एक बच्चे को लगी थी। मार्शल गाड़ी की छत से फायर करने वाले लड़के की उम्र लगभग 14–15 वर्ष रंग गोरा व लंबाई लगभग साढे चार–पांच फीट रही होगी। लगुन में आने वाले बच्चों में जो पहले डांस कर रहे थे व बिना दाढ़ी मूछ वाले थे। जिसने फायर किया था वह भी बिना दाढ़ी मूछ वाला था। जिस लड़के ने गोली चलाई और जिसको गोली लगी वह दोनों लगुन में आने वाले बच्चे थे। लड़का पक्ष का वहां कोई नहीं था क्योंकि वह लोग तिलक की तैयारी में थे। लड़के पक्ष के व्यवहारियों का खाना लगुन वालों के आने से पहले हो चुका था। लड़की पक्ष के कुछ लोग मार्शल गाड़ी से घायल बच्चे को लेकर चले गए थे। हाजिर अदालत मुल्जिम को सोमवीर को दिखाया गया और पूछा गया कि अमौआहार के विजय सिंह के घर लगुन के कार्यक्रम में खाना के समय व फायरिंग के समय सोमवीर को वहां देखा था तो साक्षी ने कहा कि सोमवीर को मैंने वहां नहीं देखा था। सोमवीर द्वारा वहां हर्ष फायरिंग नहीं की गई थी। मार्शल से घायल लड़के को लगुन स्थल से ले जाने के बाद लगुन में आने वाले जो शेष लोग वहां रुके थे उनसे व वहां के लोगों से डंडे लाठी व हाकी से मारपीट हुई जिनमें लगुन के आने वाले लोग घायल भी हुए थे। मारपीट की घटना रात 10:00 बजे के बाद की है। लगुन चढ़ने का कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ था। लगुन में आने वाले लोग मारपीट की घटना के बाद चले गए थे। मैं, मेरे लोग व डीजे वाले, रात में वहीं रुक रहे थे और सुबह अपना सामान लेकर वापस चले आए थे। घटना के बाद दिबियापुर थाने के पुलिस ने थाने बुलाकर घटना के बाबत पूछताछ की थी, तब मैंने उन्हें भी यह बात बताई थी कि विजय सिंह के बड़े लड़के की शादी व लगुन में कार्यक्रम किया था और गांव के कई लोगों के यहां मैं पहले काम कर चुका हूं।

41.**बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी डी०डब्लू–2 विपिन कुमार से राज्य की ओर से जिरह करने पर उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि** मेरा घर ग्राम अमौआहार से करीब 7 किलोमीटर दूर है। विजय सिंह से कार्यक्रम की बुकिंग मैं 15 अप्रैल को की थी। कोई रसीद बुक का रजिस्टर नहीं रखता हूं। बुकिंग मुंह जवानी से करता हूं। मैं अपने पास कोई लिखा पढी नहीं रखता हूं। विजय सिंह के यहां 01.05.2019 को कार्यक्रम था। मैं 30 अप्रैल अमौआहार कार्यक्रम के लिए पहुंच गया था। पहले दिन दिनांक 30.4.19 को चार–पांच लोग मेरे साथ गए थे और अगले दिन 10–15 लोग मेरे साथ गए थे

और 30.4.19 को मैं दिन में 11:00 पहुंच गया था। मैंने अपने खाने के बनाने का काम मैं विजय सिंह के मकान के उत्तर दिशा में खाली जगह में किया था। उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में पूर्व मकान की खाली पड़ी जगह में खाना बनाया था। जहां मैं खाना बनाया था वह जगह सामने से पूरब उत्तर में थी। विजय सिंह के मकान के सामने उत्तर तरफ मकान था, परंतु किसका मुझे नहीं मालूम। विजय सिंह के मकान के पश्चिम में भी खाली जगह है। किसी का मकान भी है परंतु मकान किसका है पता नहीं। यह कहना गलत है कि विजय सिंह के मकान के पश्चिम में कोई खाली जगह ना हो और केवल मकान हो। मैं ग्राम अमौआहार के सभी व्यक्तियों को नहीं जानता हूं। जब लगुन चढ़ रही थी तब लगुन वालों के अलावा अन्य लोग गांव में थे। मैं सभी को नहीं पहचानता। लगुन का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया था। मैं नाश्ता करवा रहा था। लगुन वालों को नाश्ता होने के बाद लगुन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था। नाश्ता खाना बनाने वाली जगह से लाकर कर रहे थे। नाश्ता का आइटम खत्म होने के बाद खाने का काम वेटर लड़के कर रहे थे जो स्टाफ थे। उन पर भी लड़के खड़े होकर सर्व कर रहे थे बाद में कहां की ये लड़के वेटर टीम के थे। लगुन कार्यक्रम स्थल व डीजे के स्थल पर कौन–कौन था मैं उनको उनके नाम पते से नहीं जानता हूं। पुलिस ने घटना के बाद किसी दिन मुझे थाने बुलाकर मेरे बयान लिए थे, लेकिन मैं दिन तारीख नहीं बता सकता। मुझे नहीं जानकारी है कि इस घटना की एफआईआर दर्ज हुई थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि एफआईआर सोमवीर के नाम से हुई थी। जिस लड़के की मृत्यु हुई थी उस लड़के का नाम मुझे पता नहीं है। मुझे यह जानकारी है कि उसकी फायरिंग से मृत्यु हुई थी। जब मुझे समन मिला तब मुझे पता चला कि सोमवीर इसमें मुल्जिम है। घटना वाली रात में बराबर पूरी रात तक रहा था। दोबारा मैं दो–चार दिन बाद जिनके यहां कार्यक्रम हुआ था मैं वहां गया था। तब मैंने विजय सिंह से यह नहीं पूछा था कि किस लड़के की मृत्यु हुई व किस लड़के ने फायरिंग की व किसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। यह कहना गलत है की घटना के समय में मैं मौके पर मौजूद न रहा हूं और ना ही मैंने कोई फायरिंग होती देखी हो। यह कहना भी गलत है कि पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ ना कि हो, मैंने अपनी तरफ से पुलिस को कोई बयान न दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं मुल्जिम से मिल गया हूं और उसे इससे बचाने के लिए उसके कहने पर आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।

42.बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी डी०डब्लू–3 सोदन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे गांव के विजय सिंह रहने वाले थे जिनकी अब मृत्यु हो गई है। उनके दूसरे लड़के के लगुन के कार्यक्रम विजय सिंह के दरखाने पर होना था। उनके लगुन के कार्यक्रम में व्यवहारियों का खाना उस दिन हुआ था। विजय सिंह के परिवार से व मुज्लिम सोमवीर के पिता उमेश सिंडे के बडे लड़के की शादी से व्यवहार खत्म हो गया था। बडे लड़के के शादी

का कार्यक्रम से 6–7 साल पहले से उमेश सिंह के परिवार का विजय सिंह के परिवार से व्यवहार खत्म हो गया था। आज भी सोमबीर के परिवार से विजय सिंह के परिवार से खानपान का व्यवहार खत्म हो गया। विजय सिंह के बड़े लडके के लगून के निमंत्रण में गांव के ही चेतराम जाटव से उमेश सिंह का विवाद हुआ था, जिसमे विजय सिंह ने चेतराम पक्ष किया था इसलिये उमेश सिंह विजय सिंह के परिवार का व्यवहार समाप्त हो गया था। चेतराम से प्रधानी के चुनाव की पहले से ही रंजिश थी। उमेश सिंह ने चेतराम का प्रधानी के चुनाव का समर्थन नहीं किया था। लगुन वाले दिनांक 1.5.19 को सोमवीर लगुन के कार्यक्रम में आया ही नहीं था। कार्यक्रम में डीजे लगा था व लगुन वालों के कहने पर डीजे शुरू हुआ था। इससे पहले आसपास के व्यवहारी लोगों ने खाना खाया था तब विजय सिंह के परिवार वाले लोगों ने डीजे बजाने से मना कर दिया था। लगुन आने पर डीजे बजेगा। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। विजय सिंह के मकान के एक तरफ लगुन वालों की गाड़ियां खड़ी थी और मकान के दूसरी तरफ खाली जगह थी। लगुन वालों के लिए खाना हो रहा था तभी लगुन वालों के साथ आई मारुति वैन की छत पर से लगुन में आने वाले एक लड़के की फायर दूसरे लड़के को लग गई थी। लगुन में आने वाले लड़के ही हर्ष फायरिंग कर रहे थे। डीजे जहां नाश्ता हो रहा था उसकी जगह से लगी विजय सिंह की दीवार से लगा हुआ घर के बाहरी हिस्से में बज रहा था। गोली लगी हुई अवस्था में लड़के को देखा था। लगुन वाले ही उस लड़के को अस्पताल ले गए थे। घायल लड़के के जाने के बाद गांव के ही लोगों ने शेष लगुन वाले जो गांव में रहे उन्हें बुरी तरह मारा पीटा था, क्योंकि लगुन वालों की हर्ष फायरिंग के कारण हुए हादसे से लगुन का कार्यक्रम रद्द हो गया था। घटना के बाद जब पुलिस आई थी तब मैंने घटना बताई थी। सोमवीर का झूठा नाम चेतराम ने लड़की पक्ष से मिलकर लिखवा दिया था। मेरे सोमवीर के परिवार से सामान्य संबंध है लेकिन विजय सिंह के परिवार से घनिष्ठ संबंध है।

43.**बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी डी०डब्लू–3 सोदन सिंह से राज्य की ओर से जिरह करने पर उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि** विजय सिंह के घर से मेरा लगा हुआ घर है। विजय सिंह के मकान से मेरा घर पूर्व की ओर है। विजय सिंह के मकान के पश्चिम तरफ (दूसरी तरफ) रास्ता के बाद रामशंकर का मकान है। विजय के सामने विजय सिंह की खाली जगह पड़ी है। विजय सिंह के मकान के बाद रास्ता है फिर विजय सिंह की खाली जगह है। विजय सिंह का कार्यक्रम मकान के सामने रास्ते पहले जो कुछ खाली है उसमें हो रहा था। रास्ते के बाद जो विजय सिंह की खाली जगह पड़ी थी उसमें खाना बन रहा था और रिहायशी मकान के बगल में खाना खाने की व्यवस्था थी। यह जगह संगीता की थी जो विजय सिंह के मकान से लगी थी। यह जगह पर कोई मकान नहीं है। खाली जगह पड़ी थी। सोमवीर का मकान मेरे घर से 20–25 मकान बाद होगा। विजय सिंह के मकान से मेरे मकान की दीवार लगी हुई नहीं

है बल्कि मेरे मकान व विजय सिंह के मकान के बीच में खाली जगह संगीता की है। संगीता मेरे चाचा की लड़की है। मैं लगुन के कार्यक्रम में सुबह 8:00 बजे विजय के यहां पहुंच गया था। मैं सुबह 8:00 से रात के 10:00 तक अपने घर नहीं गया और विजय सिंह के घर पर रहा। डीजे एक दिन पहले विजय के यहां लगा था। दूसरे दिन 11:00 से 12:00 से बजना शुरू हुआ था। 4:00 से खाना का कार्यक्रम शुरू हुआ तो डीजे शाम 4:00 से 8:00 तक बंद रहा। डीजे 8:00 बजे जब लगून वाले आए तब बजना शुरू हुआ। मैं विजय सिंह के गांव वाले व्यवहारियों को जानता हूं लेकिन गांव के बाहर के व्यवहारियों को नहीं जानता हूं। सोमवीर के यहां मेरा आना व जाना है और गांव के नाते से खाना पीना है। सोमवीर यादव जाति का है और मैं भी यादव जाति का हूं। जो लगुन से गाड़ियां आई थी वह कुछ रोड पर और कुछ संगीता की बची हुई जगह पर खड़ी थी। जहां मारुति खड़ी थी वह जगह विजय सिंह के मकान के बाद तिकुनिया जैसी जगह है वहां खड़ी थी। विजय सिंह के सामने वाली रास्ते के पास तिकुनिया वाली जगह पर खड़ी थी। लगनु वाले जब आए थे तब कार्यक्रम शुरू होना था लेकिन हो नहीं पाया। पंडित जी वगैरह लगुन कार्यक्रम के लिए बैठ गए थे। मैं उस समय विजय सिंह के घर पर आवाजाही कर रहा था। लगुन में कितने लोग आए थे मैं संख्या नहीं बता सकता है। कितने बच्चे थे, कितने बड़े थे, मैं नहीं बता सकता। डीजे पर कौन–कौन नाच रहा था मैं नहीं बता सकता। बच्चों को जब गोली लगके गिर गया तब मैंने देखा था। मैंने गोली मारते किसी को नहीं देखा था। लोगों ने बताया वैसा मैंने बयान लिखाया था। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत सोमवीर द्वारा डीजे पर डांस के समय तिलक कार्यक्रम में आए हुए बच्चे की गोली लगी हो। यह कहना गलत है कि सोमवीर द्वारा फायरिंग करने की जानकारी हो। या कहना भी गलत है कि सोमवीर मेरा व्यवहारी व जाति बिरादरी का होने के कारण उसे सजा से बचाने के लिए उसके बताने पर आज सही बात नहीं बता रहा हूं। घटना के संबंध में पुलिस को कोई बात ना बताई हो और न्यायालय में सोमवीर को सजा से बचाने के लिए सोमवीर के कहने पर झूठा बयान दे रहा हूं।

44. उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

45. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर धारा 304 भा०दं०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप है। धारा 304 भा०दं०सं० के आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्त सोमवीर के द्वारा मृतक सौरभ यादव का हर्ष फायरिंग में गोली चलाकर मानव वध जोकि हत्या की कोटि मे नही आता है, किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि जिस तमंचे से गोली चलायी गयी व बरामद हुआ उसको रखने का कोई भी वैध लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं है।

46.अभियोजन की ओर से दस्तवेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध तथ्य के साक्षियों के द्वारा विश्वसनीय बयान दिया है, वे घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है। अभियुक्त सोमवीर के कब्जे से अपराध कारित करने में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद किये गये हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य संदेह से परे साबित हैं। मौखिक साक्ष्य में अभियोजन के द्वारा 10 साक्षियो को परीक्षित कराया गया है जिनके बयानो से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योगेय है।

47.इसके विपरीत बचाव पक्ष का यह तर्क है कि वादी सुंदरलाल के साथ आये लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की गयी, जिससे मृतक सौरभ यादव की मृत्यु हुयी। अभियुक्त सोमवीर का विजय के परिवार के साथ आना जाना नहीं था। इसी गांव के लोगो ने लड़की पक्ष के लोगो की मारपीट की थी। अपने साथ के लोगों को घटना से बचाने के लिए उसी गांव के विरोधियों के कहने पर अभियुक्त का नाम झूठा लिखाया गया है। अभियोजन के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य गढ़ते हुये एंटी टाइम प्रथम सूचना रिपोर्ट व पंचनामा भरा गया है। जिन दो साक्षियों को चक्षुदर्शी साक्षी बताया जा रहा है वे हितबद्ध साक्षी है उनके बयानों में कड़ा विरोधाभास है। चिकित्सीय साक्ष्य व चक्षुदर्शी साक्ष्य आपस में संपुष्ट नहीं होते हैं। इस मामले में अभियोजन के द्वारा कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त से बरामद तमंचा के संबंध में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है। बरामद तमंचा, चले हुये कारतूस व बुलेट के बारे में जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आयी है, उसके परिणाम से भी यह साबित है कि वह अभियायेजन पक्ष का समर्थन नहीं कर रही है। बचाव पक्ष की ओर से तीन साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके द्वारा अभियुक्त सोमवीर की घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है तथा रंजिशन अभियुक्त सोमवीर का नाम इस मामले में दिखाया जाना साबित किया है अतः अभियुक्त सोमवीर दोषसिद्ध किये जाने योग्य नहीं है।

48.अभियुक्त को धारा 304 भा०दं०सं० के आरोप सिद्ध करने हेतु सर्वप्रथम यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त के द्वारा किसी व्यक्ति का अपने कृत्य से मानववध जोकि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, किया गया है।

49.मृतक की मृत्यु का कारण व उसकी पहचान के संबंध में–

प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 01.05.2019 को वादी सुंदरलाल जब अपनी पुत्री के तिलक हेतु विजय सिंह यादव के यहां ग्राम अमोआहार पहुंचा, तब वहां घटनास्थल पर पहले से ही डी.जे. बज रहा था

जहां सोमवीर हाथ में तमंचा लिये डांस कर रहा है व हर्ष फायरिंग कर रहा था। हर्ष फायरिंग के दौरान उसके नाती सौरभ यादव के पेट में गोली लगी। वह लहुलुहान हो गया। जब सौरभ यादव को दिबियापुर मे ही डाक्टर साहब के पास ले गये तो बताया गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है।

50.मृतक सौरभ यादव की मृत्यु के संबंध में अभियोजन कथनानुसार पीडब्लू–5 उपनिरीक्षक चन्द्रिकाप्रसाद द्वारा पंचायतनामा प्रदर्श क 5 भरा गया तथा इसे साबित कराया गया। पंचराय अनुसार मृतक का नाम सौरभ है। उसके पिता का नाम अरविंद है तथा उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है और उसके पेट पर गोली लगी है। मृतक का पोस्टमार्टम डा० मनीष कुमार पीडब्लू–3 द्वारा दिनांक 02.05.2019 को किया गया, जिनके द्वारा यह बयान किया है कि दिनांक 02.05.2019 को सी.एच.सी. अजीतमल में सीनियर मेडिकल आफीसर के पद पर तैनात था। उस दिन मृतक सौरभ यादव पुत्र अरविन्द निवासी सबसुखपुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र करीब 10 वर्ष, जिसके शव को सीपी 992 सचिन वर्मा व पीआरडी 738 अरूणेश थाना दिबियापुर से लेकर आये थे और शव की पहचान की थी। जिसका पोस्टमार्टम उसने दिनांक 02.05.2019 को 2 बजे दिन में प्रारम्भ किया था व 2.25 पीएम पर पूर्ण किया था। मृतक की लम्बाई 121 से.मी. थी व मृतक के शरीर पर शर्ट, बनियान, पैण्ट, बैल्ट, अण्डरवियर, कलावा, कमर में काला धागा, कुल 7 चीज थी। मृतक को देखने पर उसके शरीर में अकड़न मौजूद थी व शरीर पर डिपेण्डेण्ट पार्ट में पीएम स्टेनिंग मौजूद थी व मृतक की आँखे बंद थी। मृतक के शरीर पर उसने निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटे पाई थी–

Entry wound size– 1.75 से.मी. 1 से.मी. ओवल आकार में जिसके किनारे बाहर की तरफ उधड़े थे, जिससे पेट के अदर के अन्दरूनी हिस्से बाहर की तरफ आ रहे थे। यह चोट बाये कमर के ऊपरी उभार (ASIS) से 11 से.मी. व नाभि से 5 स.मी. की दूरी पर था जो शरीर के बांयी तरफ थां प्रोबिंग करने पर बुलेट दायी ओर की कमर की हड्डी में अन्दरूनी हिस्से में फंसी हुई थी।

Enternal Examination–दिमाग की अन्दरूनी हिस्सा एवं उसकी झिल्लियां पेल थी। दोनों तरफ के फेफड़े पेल थे। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। पेट एवं आंत में छेद था व एब्डोमिनल कैविटी में लगभग 2 लीटर रक्त जमा हुआ उपस्थित था। पेट में लगभग 150 एमएल खाना था। आंत में निचले हिस्से में छेद था। सभी आंतरिक अंग लीवर, स्पलीन, किडनी पेल थे। मृत्यु का सम्भावित समय दिये गये समय से लगभग 3/4 दिन पूर्व था। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव से होना पाया गया जो कि फायरआर्म्स इंजरी के कारण था। दौरान पोस्टमार्टम शव के पेट के निचले हिस्से से एक बुलेट मिली थी, जो कि सम्बन्धित पुलिस कर्मी को एक लिफाफे में रखकर सील करके प्राप्त करायी थी।

51.अभियोजन की ओर से पंचायतनामा व मेडिकल रिपोर्ट तथा पीडब्लू–3 डा० मनीष कुमार के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतक की पहचान सौरभ यादव के रूप में हुयी है तथा उसकी मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तश्राव से होना पाया गया, जोकि फायर आर्म्स इंजरी के कारण था। अतः इस मामले में सौरभ यादव की मृत्यु होना तथा मृत्यु का कारण उसके पेट में लगी बुलेट इंजरी होना संदेह से परे साबित है, जिसपर कोई विवाद नहीं है।

52.**पंचायतनामा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम होने के संबंध में–**
बचाव पक्ष का यह तर्क है कि चूंकि अभियुक्त सोमवीर घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था तथा जिस व्यक्ति विजय के यहां वादी लगुन लेकर गया था उस विजय तथा अभियुक्त सोमवीर के परिवार में आपसी कोई व्यवहार नहीं था। अतः सोमवीर घटनास्थल पर था ही नहीं। परंतु, चूंकि, वादी पक्ष के लोगो के द्वारा ही हर्ष फायरिंग में मृतक सौरभ यादव के गोली लगने से मृत्यु हुयी। अतः अपने पक्ष को बचाने हेतु एफ.आई.आर. तथा पंचायतनामे की कार्यवाही बाद में सोच–विचार कर की गयी है और यदि पंचायतनामा में की गयी तिथि, समय व अन्य विवरणों का मिलान प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोट में किये गये विवरणों एवं पंचायतनामा के साथ भेजे गये प्रपत्रों के विवरण का मिलान किया जाये तो उसमें अत्यधिक भिन्नता है, जो इस तथ्य को साबित करती है कि इस मामले में एफ.आई.आर. व पंचायतनामे की कार्यवाही एंटी टाइम की गयी है और अभियुक्त सोमवीर का नाम सोच–विचार कर वादी पक्ष के असल हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्तियों को छुपाने के लिए किया गया है।

53. जबकि अभियोजन की ओर से यह कहा गया है कि घटना लगभग 9.30 बजे दिनांक 01.05.2019 की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 02.03 मिनट पर दिनांक 02.05.2019 को दर्ज कर ली गयी। अतः एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई देरी का प्रश्न नहीं उठता है। प्रथम सूचना रिपार्ट तथा पंचायतनामा संदेह से परे साबित है।

54.उभयपक्ष के उपरोक्त विपरीत तर्कों की सचाई जानने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन करना तथा एंटी टाइम एफ.आई.आर. दर्ज होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **MARUDANAL AUGUSTI VS STATE OF KERALA AIR 1980 SC 638** का उल्लेख आवश्यक है जिसमें यह कहा गया है कि An Ante timed or manipulated FIR Completely destroyes the foundation of the prosecution's case, entitling the accused to the benefit of doubt and subsequent acquittal.

55.प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 4** है, जिसे पीडब्लू–4 ओम प्रताप द्वारा साबित किया गया है, जिसके विवरणों में घटना का दिन 01.05.2019 समय 21.30, थाने पर सूचना 02.05.2019 समय 02.03 मिनट तथा जी.डी. में प्रवृष्टि सं० 6 दिनांक 02.05.2019 समय 02.02 मिनट, अभियुक्त का नाम सोमवीर अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० में दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध **तहरीर वादी** सुंदरलाल द्वारा लेखक अमित दिनांक 02.05.2019 को थाने पर दी गयी दर्शित है, जिसे पीडब्लू–1 सुंदरलाल द्वारा प्रदर्श क 1 के रूप में साबित किया है, **परंतु थाने से इस तहरीर पर प्रष्ठांकन मु०अ०सं० 189/2019, अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं०, दिनांक 03.02.2019 लिखा है तथा तहरीर पर दिनांक में कटिंग भी पायी गयी।**

पत्रावली पर उपलब्ध **पंचायतनामा प्रदर्श क 5** जिसे पीडब्लू–5 उपनिरीक्षक चन्द्रिकाप्रसाद द्वारा साबित किया गया है, उसके प्रथम पृष्ठ पर थाने पर रिपोर्ट का दिनांक व समय पर 02.05.2019 समय 02.03 मिनट लिखा है तथा सब कुछ जांच करने का समय 07.30 एएम तथा जांच की समाप्ति का समय 09 एएम दर्शित है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध **पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 2** जिसे पीडब्लू–3 डा० मनीष द्वारा साबित कराया गया है, के प्रथम पृष्ठ पर शव तथा पंचायतनामे के प्रपत्र मिलने का समय व दिनांक 02.05.2019, 03.00 एएम दर्शाया गया है तथा शव परीक्षण शुरू होने का समय 02.05.2019, 02.00 पीएम तथा शव परीक्षण पूर्ण होने का समय 02.05.2019, 02.25 मिनट पर दिखाया गया है। पोस्टमार्टम पर छठे व सातवे कालम पर पंचायतनामे के शुरू करने का समय व दिनांक तथा किस व्यक्ति के द्वारा पंचायतनामा किया गया, के दोनों कालम खाली दर्शाये गये। **अतः पंचायतनामे पर भरे गये विवरण के अनुसार शव की जांच सुबह 7.00 बजे शुरू की गयी और 9.00 बजे समाप्त की गयी तब ऐसे में पंचायतनामा तथा उसके साथ संलग्न पेपर व शव पीएम हाउस दिनांक 02.05.2019 को 3.00 AM बजे ही कैसे पहंच गये।** जबकि शव का पंचायतनामे के पृष्ठ सं० 2 पर की गयी तहरीर के अनुसार यह अंकित है कि चूंकि इस समय रात्रि का वक्त है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः पंचायतनामे की कार्यवाही नहीं हो सकी। आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार को शव की सुरक्षा में छोडकर समस्त पुलिस बल रवाना घटनास्थल व तलाश अभियुक्तगण में हुआ। अब मैं उपनिरीक्षक वापस थाना गेट पर आया, अब उजाला हो चुका है। अतः पंचायतनामे की कार्यवाही मशरूफ हो रहा हूं। मौजूद लोगो में से पंचांग नियुक्त किये गये।

56.पंचायतनामे पर दूसरे पृष्ठ पर की गयी उपरोक्त तहरीर उपनिरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद द्वारा की गयी है, जिसमे अंधेरा होने के कारण पंचायतनामे की कार्यवाही सवेरे प्रकाश होने तक न करने का कथन किया है। अतः यहां चंन्द्रिका प्रसाद

पीडब्लू–5 का थाने पर प्रकाश होने के संबंध मे व पंचायतनामे की कार्यवाही के संबंध में किये गये बयानों का उल्लेख भी आवश्यक है जिसमे उसने कथन किया है कि दिनांक 02.05.2019 को थाना दिबियापुर में एस.एस.आई. के पद पर कार्यरत था, उस दिन थाने में मु०अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०स का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी श्री संजीव सिंह राठौर कर रहे थे, थाना प्रभारी के निर्देशन पर वह मृतक सौरभ यादव के शव का पंचायतनामा भरने हेतु थाना गेट दिबियापुर पर पहुँचा था। उसने शव की दशा हुलिया, कपड़े व चोटे देखी थी और मौके पर उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त करके शव का पंचायतनामा भरा था और पंचान की राय लेकर और अपनी राय प्रकट कर शव को सर्व सील मुहर करके शव विच्छेदन हेतु कां० सचिन वर्मा, पी.आर.डी. अरूणेश के सुपुर्द कर दिया था। इस साक्षी ने पंचायतनामा कागज संख्या 13क/1 व 13क/2 को प्रदर्श क–5 के रूप में सिद्ध किया है तथा पंचायतनामा से सम्बन्धित प्रपत्र चिट्ठी सी०एम०ओ. कागज सं० 14क/4 को प्रदर्श क–6 के रूप में, चालान शव कागज सं0 14क/5 को प्रदर्श क–7 के रूप में, फोटो नाश कागज सं0 14क/6 को प्रदर्श क–8 के रूप में तथा पुलिस फार्म–33 चालान शव कागज सं0 14क/7 को प्रदर्श क–9 के रूप में सिद्ध किया है। तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **जिस समय का यह केस है उस समय मेरे थाने पर बिजली के बाबत जनरेटर, इनवर्टर की व्यवस्था थी। थाना परिसर गेट व कार्यालय में रोशनी का साधन रहता है। थाना कैंपस कस्बे के अंदर है। कस्बे में लाइट व्यवस्था के साधन रहते हैं। मृतक के पिता का नाम अरविंद है जो मेरे द्वारा पंचायत नामा भरे जाते समय पंचांग के रूप में मौके पर मुझे मिले थे। मृतक सौरभ अरविंद का बेटा है। और मुकदमा की तहरीर सुंदरलाल ने लिखी है। सुंदरलाल व मृतक का क्या रिश्ता है। मैं नहीं बता सकता हो सकता है। मृतक के सुंदरलाल नाना हो मुझे नहीं पता। यह सच है कि राय पंचान व राय एस०आई० स्वयं ने यह नहीं लिखा है कि ग्राम अमौआहार में सुदुरलाल की पुत्री के तिलक चढ़ने के दौरान डीजे पर डांस करते समय सोमवीर की गोली सौरभ को लगी हो जिससे उसकी मौत हो गयी हो। जबकि तहरीर प्रदर्श क 1 में उपरोक्त बात लिखी है। यह भी सच है कि राय पंचान में अरविंद सहित जितने लोगों के हस्ताक्षर है, उनमें से किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि ग्राम अमौआहार में सुन्दरलाल की लड़की के तिलक में सौरभ यादव को हर्ष फायरिंग में सोमवीर के द्वारा गोली लगी हो।** अतः यहां उल्लेखनीय है कि इस गवाह के द्वारा ही पंचायतनामे को भरा गया, साबित किया गया, जिससे स्पष्ट है कि पंचायतनामे के दूसरे पृष्ठ पर रात में ही पंचायतनामा न करने का कारण रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होना कहा है, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में इसके उलट बयान किया है कि थाना परिसर गेट व कार्यालय में रोशनी का साधन हमेशा उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त इस पीडब्लू–5 के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त बयान में यह स्वीकार किया है कि

राय पंचान व राय एस०आई० स्वयं ने यह नहीं लिखा है कि ग्राम अमौआहार में सुदुरलाल की पुत्री के तिलक चढ़ने के दौरान डीजे पर डांस करते समय सोमवीर की गोली सौरभ को लगी हो जिससे उसकी मौत हो गयी हो। जबकि तहरीर प्रदर्श क 1 में उपरोक्त बात लिखी है। इस गवाह के उक्त बयान को यदि तहरीर में किये गये बयान तथा पंचायतनामे पर लिखी गयी तहरीर से मिलाने से यह स्पष्ट है कि जब तहरीर थाने पर 02.05.2019 को 02.03 मिनट पर ही दे दी गयी, तब अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध नामित एफ.आई.आर. दर्ज होने, के बावजूद भी पंचायतनामे में मृतक सौरभ के पिता का नाम पंचान साक्षी होने के बावजूद भी उसके द्वारा यह उल्लेख क्यों नहीं किया गया कि अभियुक्त सोमवीर के द्वारा गोली चलाये जाने के कारण सौरभ यादव की मृत्यु कारित हुयी है। यह तथ्य दर्शाता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही पहले हुयी है तथा अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध तहरीर बाद में सोच विचार कर दी गयी है।

57. पीडब्लू–1 सुंदरलाल के द्वारा पंचायतनामे के संबंध में किये गये बयान का उल्लेख भी आवश्यक है, जिसमें उसने कथन किया कि मेरे नाती सौरभ को अस्पताल में हुई मृत्यु घोषित करने के बाद में उसकी लाश को लेकर थाने गया था। मैं जब थाने में गया तो उन्होंने कहा की लाश वहां रखो। उसके बाद लाश को पुलिस वालों ने वही सील किया था। लाश को जब सील कर पंचायतनामा भरा गया था तब उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं कराए गए थे। अन्य लोगों के हस्ताक्षर कराए गए थे। पंचायतनामा पर मेरी ग़ैर मौजूदगी में पंचों के हस्ताक्षर कराए गए थे इसलिए मैं किसी पंचनामा गवाह का नाम नहीं बता सकता हूं। सील होने पर लिखा पड़ी होने के बाद लाश पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए औरैया लेकर चले गए थे। मैं थाने लाश लेकर जब पहुँचा तो थाने में अन्दर बैठे दीवान जी को मैनें तहरीर देते हुये यह कहा था कि यह लाश थाने में रखी है मेरी तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करें, यह बात कहते समय लगभग दो बज गया होगा। **मैं लाश के पास ही रहा था, पुलिस ने मेरे सामने ही लाश को सील किया गया था उस सबेरा हो गया होगा समय लगभग पाँच–छः बजे का रहा होगा और शव लगभग सात बजे सुबह पोस्टमार्टम के लिये थाने से भेज दिया गया था। मैं शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस नहीं गया था। लाश का पंचनामा भरते समय मेरे भी हस्ताक्षर करवाये गये थे। पंचनामा भरने वाले दरोगा जी ने राय पंचान मुझसे पूछकर व लिखाकर मेरे हस्ताक्षर कराये थे।** साक्षी को पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा प्रदर्श–क 5 दिखाकर पूछा गया कि न तो आपका नाम पंचान में अंकित है और न ही राय पंचान में आपके हस्ताक्षर हैं तो साक्षी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि प्रदर्श–क 5 पर मेरा नाम व राय पंचान में मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं है। यहां पीडब्लू–2 अमित कुमार के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये बयान का उल्लेख भी आवश्यक है जिसमें उसने कहा है कि मैं अस्पताल दिबियापुर गया था 6:00 बजे पहुंचा था। अमौआहार से दिबियापुर कितनी दूर है मुझे नहीं

मालूम। अस्पताल में सौरभ को मृत घोषित होने के बाद डॉक्टर के कहने पर थाने के लिए आया था। अस्पताल में 15 –20 मिनट लगने के बाद इसी गाड़ी से थाने के लिए आए थे। थाने गया था वहां 6:00 बजे पहुंचे थे। थाने पहुंचने पर मेरे फूफा सुंदरलाल ने रिपोर्ट अमित पुत्र शिवगोपाल से बोल बोल कर लिखायी थी। इन दोनों साक्षियों के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि लाश सील करते व पंचायतनामा बनाते सवेरे हो गया था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव को दिनांक 02.05.2019 को आवश्यक प्रपत्रों के साथ 03.00 एएम पर ही पहुंचना दर्शाया गया है।

58.अतः वादी की तहरीर जिसपर तिथि में कटिंग है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद जी.डी. की प्रवृष्टि सं० का उल्लेख नहीं है तथा दिनांक **03.02.2019** अंकित किया गया है। ऐसे में जब पचायंतनामा दिनांक **02.05.2019, 9.00** एएम पर जांच समाप्ति हुयी हो, तब शव को **पोस्टमार्टम के लिए 02.05.2019 को 3.00 एएम बजे कैसे भेजा जा सकता है।** इसके अतिरिक्त प्रदर्श क 9 जोकि पुलिस फार्म सं० 33 है पर प्रतिसार निरीक्षक द्वारा शव को भेजे जाने की जीडी सं० 12 तथा समय 11.10 बजे दर्शाया गया है। यह तथ्य भी इस ओर इंगित करता है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल अलग समय पर भेजा गया है एवं एफ.आई.आर. तथा पंचायतनामे की कार्यवाही बाद में सोच विचार कर एंटी टाइम एफ.आई.आर. तथा पंचायतनामा भरा गया है। जो अभियोजन के पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में दिये गये सिद्धांत के अनुसार इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों में **संदेहपूर्ण बनाता है।** अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क से यह न्यायालय सहमत है कि इस मामले में पंचायतनामा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही एंटी टाइम है।

59.अभियुक्त के घटना के दिन, स्थान व समय पर मौजूद होने या न होने व चिकित्सीय साक्ष्य की चक्षुदर्शी साक्षियों से पुष्टि होने या न होने के संबंध में अभियोजन या बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में–

प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से 10 मौखिक गवाह प्रस्तुत किय गये हैं, जिसमें चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में वादी सुंदरलाल जो मृतक का नाना है तथा पीडब्लू–2 अमित कुमार जिसका वादी फूफा है, को परीक्षित कराया गया तथा अन्य साक्षी राजकीय कर्मचारी व पुलिसकर्मी हैं। बचाव पक्ष की ओर से तीन साक्षी डीडब्लू–1 उदयवीर, जोकि लगुन में लाइट व डीजे का काम कर रहा था। डीडब्लू–2 विपिन कुमार, जो समारोह में हलवाई का काम देख रहा था तथा डीडब्लू–3 सोदन सिंह, जो समारोह में शामिल होना कहता है, को परीक्षित कराया है।

60.बचाव पक्ष का यह तर्क है कि ग्राम अमौआहार में विजय यादव के यहां घटना के दिन वादी सुंदरलाल अपनी पुत्री का लगुन लेकर आया था, जहां डीजे पर डांस वादी पक्ष के लोग ही कर रहे थे और उन्हीं में से हर्ष फायरिंग करने के दौरान मौके पर मौजूद मृतक सौरभ यादव के पेट में गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गयी। चूंकि हर्ष फायरिंग वादी पक्ष ही कर रहा था और उनके द्वारा गोली लगने से ही मृतक सौरभ की मृत्यु हो गयी और अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए बाद में कहानी अभियुक्त सोमवीर के विरूद्ध गढी गयी। जबकि, अभियुक्त सोमवीर मौके पर मौजूद ही नहीं था और उसका कारण यह है कि विजय सिंह के परिवार से व मुल्जिम सोमवीर के पिता उमेश सिंह के बडे लड़के की शादी से व्यवहार खत्म हो गया था। बडे लड़के के शादी का कार्यक्रम से 6–7 साल पहले से उमेश सिंह के परिवार का विजय सिंह के परिवार से व्यवहार खत्म हो गया था। आज भी सोमवीर के परिवार से विजय सिंह के परिवार से खानपान का व्यवहार खत्म हो गया। विजय सिंह के बड़े लडके के लगुन के निमंत्रण में गांव के ही चेतराम जाटव से उमेश सिंह का विवाद हुआ था, जिसमे विजय सिंह ने चेतराम पक्ष किया था इसलिये उमेश सिंह विजय सिंह के परिवार का व्यवहार समाप्त हो गया था। चेतराम से प्रधानी के चुनाव की पहले से ही रंजिश थी। उमेश सिंह ने चेतराम का प्रधानी के चुनाव का समर्थन नहीं किया था। लगुन वाले दिनांक 1.5.19 को सोमवीर लगुन के कार्यक्रम में आया ही नहीं था। विजय सिंह के मकान के एक तरफ लगुन वालों की गाड़ियां खड़ी थी और मकान के दूसरी तरफ खाली जगह थी। लगुन वालों के लिए खाना हो रहा था तभी लगुन वालों के साथ आई मारुति वैन की छत पर से लगुन में आने वाले एक लड़के की फायर दूसरे लड़के को लग गई थी। लगुन में आने वाले लड़के ही हर्ष फायरिंग कर रहे थे। डीजे जहां नाश्ता हो रहा था उसकी जगह से लगी विजय सिंह की दीवार से लगा हुआ घर के बाहरी हिस्से में बज रहा था। गोली लगी हुई अवस्था में लड़के को देखा था। लगुन वाले ही उस लड़के को अस्पताल ले गए थे। घायल लड़के के जाने के बाद गांव के ही लोगों ने शेष लगुन वाले जो गांव में रहे उन्हें बुरी तरह मारा पीटा था, क्योंकि लगुन वालों की हर्ष फायरिंग के कारण हुए हादसे से लगुन का कार्यक्रम रद्द हो गया था। घटना के बाद जब पुलिस आई थी तब मैंने घटना बताई थी। सोमवीर का झूठा नाम चेतराम ने लड़की पक्ष से मिलकर लिखवा दिया था। मेरे सोमवीर के परिवार से सामान्य संबंध है लेकिन विजय सिंह के परिवार से घनिष्ठ संबंध है। और इसी प्रकार का बयान डीडब्लू 1 और डीडब्लू–2 के द्वारा किया गया है कि अभियुक्त सोमवीर घटनास्थल पर समारोह में मौजूद ही नहीं था।

61.जबकि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी दिनांक 01.05.2019 दिन बुधवार सायं 9.30 बजे अपनी पुत्री का तिलक लेकर अमौआहार उड़नवापुर ग्राम के विजय सिंह यादव के यहां उनके पुत्र उपेन्द्र सिंह यादव पुत्र विजय के

दरवाजे पर आये थे। उनके दरवाजे पर डी०जे० साउण्ड की व्यवस्था थी, जिसमें लड़के पक्ष के लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच लड़के पक्ष के कुछ छोटे-छोटे बच्चे भी डी0 जे0 साउंड के पास पहुंच गए और वहां खड़े होकर डांस देखने लगे। इसी बीच ग्राम अमौआहार उड़नवापुर के एक युवक सोमवीर पुत्र उन्मेद सिंह हाथ में तमंचा लेकर आया और हर्ष फायरिंग शुरू कर दी, जोकि काफी देर तक करता रहा और इतना मदान्त हो गया कि पास में लड़की पक्ष से आया बालक सौरभ यादव पुत्र अरविंद जोकि ग्राम सबसुकपुरवा का रहने वाला है के पेट में गोली मार दी। सौरभ यादव लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया, जिसे दिबियापुर स्थित सी.एस.सी. केंद्र लाया गया जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान लड़की पक्ष के कुछ लोगों को गांव अमौआहार उड़नवापुर के कुछ अज्ञात युवकों ने बेरहमी से जानलेवा तरीके से पीटा और गांव के बाहर खदेड़ दिया।

62. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सोमवीर के द्वारा डीजे पर डांस करते हुये हर्ष फायरिंग करते हुये देखे जाने का बयान पीडब्लू-1 सुंदरलाल तथा पीडब्लू-2 अमित कुमार करते हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित तीनों साक्षी यह बयान करते हैं कि सोमवीर मौके पर नहीं था, क्योंकि सोमवीर के परिवार तथा विजय सिंह यादव के परिवार के बीच आपसी व्यवहार नहीं था। अतः दोनों तरफ के साक्षियों पर इस स्तर पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और प्रस्तुत मामले में इन साक्षियों की विश्वनसनीयता की कसौटी भागतः विश्वसनीय तथा भागतः विश्वास न किये जाने की श्रेणी (Partly Reliable & Partly Unreliable) का प्रतीत होता है। परंतु, फिर भी दोनों ओर से परीक्षित कराये गये चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों से निम्नलिखित तथ्य अविवादित रूप से सिद्ध हैं- **1**-घटना के दिन 01.05.2019 को वादी सुंदरलाल ग्राम अमौआहार विजय सिंह के बड़े लड़के से अपनी पुत्री की शादी का लगुन लेकर गये तथा लगुन का कार्यक्रम था। **2**- वादी पक्ष लड़की वाले थे जो विजय सिंह के घर मार्शल, वैन तथा मोटर साइकिलों के माध्यम से पहुंचे। **3**-वादी पक्ष लगभग शाम को 9.00 बजे विजय सिंह के घर घटनास्थल पर पहुंचे तथा 20-30 मिनट के भीतर इन लोगों के द्वारा नाश्ता पानी किया गया। **4**- विजय सिंह के द्वारा लगुन में नाश्ता पानी के अलावा डीजे व लाइटिंग की व्यवस्था की हुयी थी। **5**-डीजे पर डांस करते हुये किसी के द्वारा हर्ष फायरिंग की जा रही थी जिससे मृतक बालक सौरभ यादव को पेट में गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। (क्या यह फायर अभियुक्त सोमवीर के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर अभी निष्कर्ष में आगे तलाशना है।) **6**- वादी पक्ष सौरभ को अस्पताल लेकर गये जहां उसे मृत घोषित किया जाना बताया तथा लाश को थाने ले जाने के लिए कहा। **7**- लडके पक्ष वालों के द्वारा वादी पक्ष के लोगों के

साथ मारपीट की गयी जिसकी कोई न तो अलग से एफ.आई.आर. हुयी और न ही इस मामले में विवेचना में कोई उल्लेख किया गया।

63.अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये दोनों साक्षियों के बयानों के बारे में बचाव पक्ष का यह तर्क है कि दोनों हितबद्ध साक्षी है तथा इनके बयानों में कड़ा विरोधाभास है। तहरीर, एफ.आई.आर, जीडी, पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना के दिनांक व जो कार्यवाहियां पूरी की गयी हैं, के समय को लेकर इतनी भिन्नता है, जिससे स्पष्ट है कि वादी पक्ष के द्वारा सोच विचार कर अभियुक्त का नाम इस मामले में वादी पक्ष के लोगों को बचाने के लिए लिया तथा एंटी टाइम एफ.आई.आर दर्ज करायी। इन दोनो चक्षुदर्शी साक्षियो के बयानों मे कड़ा विरोध है तथा इन साक्षियो का बयान विश्वसनीय नहीं है। इनके बयानों के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

64.बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में कि पीडब्लू–1 व 2 हितबद्ध साक्षी हैं इसलिए उनके बयान विश्वसनीय नहीं हैं, से यह न्यायालय सहमत नहीं है, परंतु दोनों साक्षियों के बयानों में यदि कड़ा विरोधाभास है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः पीडब्लू–1 के द्वारा तहरीर में जो कथन किये गये हैं तथा जो बयान मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में किया गया है उनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। **प्रथम** वादी की तहरीर में यह लिखा गया है कि विजय यादव के यहां डीजे साउण्ड की व्यवस्था थी, जहां लड़के पक्ष के लोग डांस कर रहे थे। छोटे बच्चे वहां डांस देखने लगे। इसी बीच अभियुक्त सोमवीर तमंचा लेकर आया व हर्ष फायरिंग शुरू कर दी और काफी देर तक करता रहा। जिसमें लड़की पक्ष से आये बालक सौरभ यादव को पेट में गोली मार दी। परंतु अपनी मुख्य परीक्षा में इस गवाह ने यह बताया है कि तिलक में डांस हो रहा था और सोमवीर पहले से ही डांस कर रहा था व हर्ष फायर कर रहा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी इस गवाह के द्वारा यह बताया कि वह लडके वालों के यहां 9.00 बजे पहुंच गये थे। सोमवीर डीजे पर डांस कर रहा था उसी दौरान गोली लग गयी। सोमवीर डांस स्थल पर मेरे पहुंचने से पहले ही डांस कर रहा था। प्रतिपरीक्षा में एक स्थान पर इस साक्षी ने बताया कि गोली लगने की घटना रात 11 बजे की है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि ग्राम अमौआहार के निवासियों को पहले से नहीं जानता हूं। विजय सिंह के परिवार को पहले से जानता हूं। तब प्रश्न यह उठता है कि सोमवीर को यह गवाह पहले से कैसे जानता था। **दूसरे** चुटहिल को अस्पताल ले जाने के संबंध मे इस गवाह के द्वारा बयान किया गया कि मैं घटना के बाद चुटहिल को लेकर अपनी इस मार्शल गाडी से लेकर चला गया था। तब वह बोल रहा था। रास्ते में उसने बोलना बंद कर दिया। जब बोलना बंद कर दिया तब वह बेहोश हो गया। जबकि तहरीर में लगभग 9.30 बजे गोली लगना बताता है तथा मृतक सौरभ यादव को मौके पर ही लगुलुहान होकर

बेहोश होना बताता है। **तीसरा** मृतक को गोली लगने की घटना रात 11 बजे की बताता है तथा 11.30 बजे दिबियापुर सरकारी अस्पताल ले जाना बताता है। परंतु यहां उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पताल दिबियापुर का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत करने में असफल रहा है। आगे यह गवाह डाक्टरों के द्वारा सौरभ को मृत घोषित करना तथा डाक्टरों के कहने पर सौरभ को मार्शल गाडी से थाने लेकर जाने की बात कहता है और साथ में यह भी कहता है कि अमौआहार से लेकर थाने पहुंचने तक सौरभ का खून मार्शल गाडी में सीटों पर नहीं आया था। इस गवाह का यह बयान चकित करने वाला है कि जहां मौके पर गोली लगना तथा मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त श्राव होना साबित हो, वहां यह कैसे संभव है कि जिस मार्शल गाडी से सौरभ को ले जाया गया उस गाडी की सीटो पर कोई खून न आया हो। **चौथा** पंचायतनामे पर इस गवाह के द्वारा एक जगह पंच गवाह में अपना नाम व हस्ताक्षर होना बताया है, परंतु दूसरी तरफ बयान करने पर कहा कि मेरे सामने पंचायतनामे की कार्यवाही नही हुयी थी। अतः मैं पंचायतनामे पर गवाहों के नाम नहीं बता सकता। और असल में पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामे पर पीडब्लू–1 सुंदरलाल का नाम व हस्ताक्षर पंच गवाह में नहीं पाये जाने की पुष्टि होती है। अतः इस बिंदु पर भी इस गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं है।

65.इसी प्रकार पीडब्लू–2 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान किया है कि डीजे बजाने वाले व डांस करने वाले व्यक्तियों को मैने देखा था। जब मैंने घटना देखी तो केवल सोमवीर डांस कर रहा था। इसके अलावा और कोई डांस नहीं कर रहा था। यह बयान वादी के तहरीर व न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों से अलग है। पीडब्लू–2 के द्वारा अपने बयान में यह भी बताया कि घटना होने से आज तक मैंने यह नहीं जाना कि घटना के तत्काल बाद मेरे पक्ष के किन किन लोगों को और क्यों मारापीटा गया था। पीडब्लू–2 का यह बयान इसका स्वाभाविक व्यवहार न्यायालय के मत में नहीं है। यहां पीडब्लू–2 अमित कुमार के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये बयान का उल्लेख भी आवश्यक है जिसमें उसने कहा है कि मैं अस्पताल दिबियापुर गया था 6:00 बजे पहुंचा था। अमौआहार से दिबियापुर कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम। अस्पताल में सौरभ को मृत घोषित होने के बाद डॉक्टर के कहने पर थाने के लिए आया था। अस्पताल में 15 – 20 मिनट लगने के बाद इसी गाड़ी से थाने के लिए आए थे। थाने गया था वहां 6:00 बजे पहुंचे थे। **इ**स साक्षी के उक्त बयान से यह स्पष्ट है कि वादी पक्ष अस्पताल कब पहुंचा, अस्पताल से थाने कितने बजे पहुचे, के संबंध में कडा विरोधाभास है। अतः अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त दोनों साक्षियों के बयानों में कई तथ्यों को लेकर कड़ा विरोधाभास है, असंगतता है तथा इनके बयान एकरूपता लिए हुये नहीं हैं।

66.अब प्रश्न बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तीन गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता का है, जिसमें डीडब्लू–1 उदयवीर, जोकि घटना के दिन समारोह में डीजे लाइट व साउण्ड का काम कर रहा था तथा उसके यह काम समारोह में न करना को अभियोजन गलत साबित नहीं कर पाया है। इसके द्वारा अपने बयानों में यह कहा है कि लगुन में आए लड़कों ने आने के 15–20 मिनट बाद डीजे बजाने को कहा था और मैंने बजाना शुरू कर दिया था। डीजे पर मेरे चारों ओर जगमगाई हुई लाइट जल रही थी। मेरे डीजे वाले मैदान से पश्चिम में गली के बाद खुली जगह में मार्शल, वैन, मोटरसाइकिल आदि वहां खड़े थे। डीजे बजाने के 10 मिनट बाद हर्ष फायरिंग हुई थी। हर्ष फायरिंग करने वाले लड़के लगुन लेकर आने वालों के साथ के थे, जो कुछ मार्शल से निकले थे व कुछ वैन से निकले थे। हर्ष फायरिंग करने वाले लड़के बिना मूंछ के 10–12 से 14–15 साल तक के गोरे रंग के थे। हर्ष फायरिंग करने वाला कोई लड़का काले रंग का नहीं था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सोमवीर को दिखाकर साक्षी से पूछा गया कि डीजे पर डांस करने वाले व फायरिंग करने वालों में हाजिर अदालत आपको दिखा था या नहीं। तो साक्षी ने कहा कि हाजिर अदालत मुल्जिम वहां नहीं था। डांस वाले पश्चिम दिशा में जो मार्शल गाडी खड़ी थी। एक लड़का मार्शल पर खड़े होकर ऊपर को नाल करके पहले फायर कर रहा था। एक आठ– दस साल का लड़का मार्शल वाले लड़के के पास गया था उसने क्या कहा मुझे नहीं पता। उसी लड़के का फायर जहां लड़के डांस कर रहे थे उसी तरफ नीचे को नाल गयी और गोली एक लड़के को लग गयी। घायल लडके को मार्शल में आने वाले लोग लेकर चले गये थे। मैंने अपना डीजे फिर बंद कर दिया था। लगुन में आने वाले लोग कुछ जो वहां रूके थे उनसे व गांव वालों के बीच मारपीट हुई थी। जिसमें लगुन में आने वालों को चोट आई थी। इसके बाद लगुन का कार्यक्रम नहीं हुआ था। **इ**स गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान किया है कि मैं सोमवीर को शक्ल से लगभग 1 वर्ष पूर्व से जानता हूं, क्योंकि मैंने पहले उसके यहां काम किया है।

67.डीडब्लू–2 विपिन कुमार के द्वारा समारोह में खाना बनाने व खिलाने का कार्य किया था तथा इस तथ्य को भी अभियोजन इंकार नहीं कर पाया है। अतः स्पष्ट है कि यह साक्षी घटनास्थल पर मौजूद था। इसके द्वारा अपने बयानों में मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि ग्राम अमौआहार में विजय सिंह यादव के घर पर दिनांक 1.5.19 के लिए खाना आदि बनाने एवं खिलाने आदि के लिए मुझे बुक किया गया था। लगुन में आने वाले बच्चों ने डीजे लगभग 9:00 चालू करवा दिया था। लगुन में आने वाले लोगों को उनकी गाड़ियों से उतरते व नाश्ता करते समय पहचाना था। डीजे प्रारंभ होने के बाद डीजे बजने वाली जगह से व मार्शल गाड़ी के ऊपर से फायरिंग हुई थी। मार्शल गाड़ी के ऊपर से फायर करने वाले बच्चे से एक गोली लगुन में आने वाले एक बच्चे को लगी थी। मार्शल गाड़ी की छत

से फायर करने वाले लड़के की उम्र लगभग 14–15 वर्ष रंग गोरा व लंबाई लगभग साढे चार–पांच फीट रही होगी। लगुन में आने वाले बच्चों में जो पहले डांस कर रहे थे व बिना दाढ़ी मूछ वाले थे। जिसने फायर किया था वह भी बिना दाढ़ी मूछ वाला था। जिस लड़के ने गोली चलाई और जिसको गोली लगी वह दोनों लगुन में आने वाले बच्चे थे। लड़का पक्ष का वहां कोई नहीं था क्योंकि वह लोग तिलक की तैयारी में थे। लड़के पक्ष के व्यवहारियों का खाना लगुन वालों के आने से पहले हो चुका था। लड़की पक्ष के कुछ लोग मार्शल गाड़ी से घायल बच्चे को लेकर चले गए थे। हाजिर अदालत मुल्जिम को सोमवीर को दिखाया गया और पूछा गया कि अमौआहार के विजय सिंह के घर लगुन के कार्यक्रम में खाना के समय व फायरिंग के समय सोमवीर को वहां देखा था तो साक्षी ने कहा कि सोमवीर को मैंने वहां नहीं देखा था। सोमवीर द्वारा वहां हर्ष फायरिंग नहीं की गई थी। मार्शल से घायल लड़के को लगुन स्थल से ले जाने के बाद लगुन में आने वाले जो शेष लोग वहां रुके थे उनसे व वहां के लोगों से डंडे लाठी व हाकी से मारपीट हुई जिनमें लगुन के आने वाले लोग घायल भी हुए थे। मारपीट की घटना रात 10:00 बजे के बाद की है। लगुन चढ़ने का कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ था। लगुन में आने वाले लोग मारपीट की घटना के बाद चले गए थे। मैं, मेरे लोग व डीजे वाले, रात में वहीं रुक रहे थे और सुबह अपना सामान लेकर वापस चले आए थे। घटना के बाद दिबियापुर थाने के पुलिस ने थाने बुलाकर घटना के बाबत पूछताछ की थी, तब मैंने उन्हें भी यह बात बताई थी कि विजय सिंह के बड़े लड़के की शादी व लगुन में कार्यक्रम किया था और गांव के कई लोगों के यहां मैं पहले काम कर चुका हूं। इसी तरह **डीडब्लू–3 सोदान सिंह** जोकि उक्त समारोह में शामिल था के द्वारा बयान किया है कि मेरे गांव के विजय सिंह रहने वाले थे जिनकी अब मृत्यु हो गई है। उनके दूसरे लड़के के लगुन के कार्यक्रम विजय सिंह के दरवाजे पर होना था। उनके लगुन के कार्यक्रम में व्यवहारियों का खाना उस दिन हुआ था। विजय सिंह के परिवार से व मुज्लिम सोमवीर के पिता उमेश सिंह के बडे लड़के की शादी से व्यवहार खत्म हो गया था। बडे लड़के के शादी का कार्यक्रम से 6–7 साल पहले से उमेश सिंह के परिवार का विजय सिंह के परिवार से व्यवहार खत्म हो गया था। आज भी सोमबीर के परिवार से विजय सिंह के परिवार से खानपान का व्यवहार खत्म हो गया। विजय सिंह के बड़े लडके के लगून के निमंत्रण में गांव के ही चेतराम जाटव से उमेश सिंह का विवाद हुआ था, जिसमे विजय सिंह ने चेतराम पक्ष किया था इसलिये उमेश सिंह विजय सिंह के परिवार का व्यवहार समाप्त हो गया था। चेतराम से प्रधानी के चुनाव की पहले से ही रंजिश थी। उमेश सिंह ने चेतराम का प्रधानी के चुनाव का समर्थन नहीं किया था। लगुन वाले दिनांक 1.5.19 को सोमवीर लगुन के कार्यक्रम में आया ही नहीं था। कार्यक्रम में डीजे लगा था व लगुन वालों के कहने पर डीजे शुरू हुआ था। इससे पहले आसपास के व्यवहारी लोगों ने खाना खाया था तब विजय सिंह के परिवार वाले लोगों ने डीजे बजाने से मना कर दिया था।

लगुन आने पर डीजे बजेगा। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। विजय सिंह के मकान के एक तरफ लगुन वालों की गाड़ियां खड़ी थी और मकान के दूसरी तरफ खाली जगह थी। लगुन वालों के लिए खाना हो रहा था तभी लगुन वालों के साथ आई मारुति वैन की छत पर से लगुन में आने वाले एक लड़के की फायर दूसरे लड़के को लग गई थी। लगुन में आने वाले लड़के ही हर्ष फायरिंग कर रहे थे। डीजे जहां नाश्ता हो रहा था उसकी जगह से लगी विजय सिंह की दीवार से लगा हुआ घर के बाहरी हिस्से में बज रहा था। गोली लगी हुई अवस्था में लड़के को देखा था। लगुन वाले ही उस लड़के को अस्पताल ले गए थे। घायल लड़के के जाने के बाद गांव के ही लोगों ने शेष लगुन वाले जो गांव में रहे उन्हें बुरी तरह मारा पीटा था, क्योंकि लगुन वालों की हर्ष फायरिंग के कारण हुए हादसे से लगुन का कार्यक्रम रद्द हो गया था। घटना के बाद जब पुलिस आई थी तब मैंने घटना बताई थी। सोमवीर का झूठा नाम चेतराम ने लड़की पक्ष से मिलकर लिखवा दिया था। मेरे सोमवीर के परिवार से सामान्य संबंध है लेकिन विजय सिंह के परिवार से घनिष्ठ संबंध है।

68.बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त परीक्षित कराये गये तीनों गवाहों से प्रतिपरीक्षा में अभियोजन यह नहीं कहलवा पाया है कि वे मौके पर मौजूद न हो, यदि फिर भी इन तीनों गवाहों के बयानों को भी विश्वसनीय न माना जाये, तब भी चिकित्सीय परीक्षण में मृतक के पेट में लगी गोली की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, जो इस तथ्य को साबित करती है कि डीजे पर डांस करते हुये यदि किसी के द्वारा भी हर्ष फायरिंग की जा रही थी, तो वह चिकित्सीय परीक्षण में गोली के मृतक के शरीर में प्रवेश की दिशा ऊपर से नीचे की ओर नहीं आयेगी।

69.अतः यहां पीडब्लू–3 डा मनीष कुमार का बयान का उल्लेख करना आवश्यक है। जिनके द्वारा मृतक सौरभ का पोस्टमार्टम तैयार किया गया है और इनके बयानों के अनुसार **Entry wound size–** 1.75 से.मी. 1 से.मी. ओवल आकार में जिसके किनारे बाहर की तरफ उधड़े थे, जिससे पेट के अदर के अन्दरूनी हिस्से बाहर की तरफ आ रहे थे। यह चोट बाये कमर के ऊपरी उभार (ASIS) से 11 से.मी. व नाभि से 5 स.मी. की दूरी पर था जो शरीर के बांयी तरफ थां प्रोबिंग करने पर बुलेट दायी ओर की कमर की हड्डी में अन्दरूनी हिस्से में फंसी हुई थी।

Enternal Examination–दिमाग की अन्दरूनी हिस्सा एवं उसकी झिल्लियां पेल थी। दोनों तरफ के फेफड़े पेल थे। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। पेट एवं आंत में छेद था व एब्डोमिनल कैविटी में लगभग 2 लीटर रक्त जमा हुआ उपस्थित था। पेट में लगभग 150 एमएल खाना था। आंत में निचले हिस्से में छेद था। सभी आंतरिक अंग लीवर, स्पलीन, किडनी पेल थे। मृत्यु का सम्भावित समय दिये गये समय से लगभग 3/4 दिन पूर्व था। मृत्यु का कारण

अत्यधिक रक्तस्राव से होना पाया गया जो कि फायरआर्म्स इंजरी के कारण था। दौरान पोस्टमार्टम शव के पेट के निचले हिस्से से एक बुलेट मिली थी, जो कि सम्बन्धित पुलिस कर्मी को एक लिफाफे में रखकर सील करके प्राप्त करायी थी। इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **इंजरी वाली गोली का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर था तथा वह कूल्हे की हड्डी में दांयी तरफ हड्डी में धंसी हुयी मिली थी। यह संभव है कि गोली ऊपर की तरफ से ऊचाई से नीचे की ओर मारी गयी हो।** अतः चिकित्सीय साक्षी पीडब्लू–3 के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतक को लगी गोली कि दिशा ऊपर से नीचे की ओर है तथा वह ऊचाई से नीचे की ओर मारी गयी संभव है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के कथन का मिलान चिकित्सीय साक्षी के गोली की दिशा के संबंध में नहीं हो रहा है। इतना अभी सिद्व होने के उपरांत भी यह सिद्व होना बाकी है कि क्या अभियुक्त सोमवीर के द्वारा हर्ष फायरिंग में प्रयोग किये गये तमंचे की गोली से ही मृतक सौरभ यादव की मृत्यु हुयी है।

70.अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त के द्वारा बरामद कराया गया तमंचा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की आवश्यक शर्तों को पूर्ण करता है–

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 11.05.2019 को पुलिस की अभिरक्षा में सोमवीर द्वारा बताये जाने के आधार पर हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ, जिसके संबंध में इस पत्रावली के साथ सत्र परीक्षण संख्या–160/2019 मु०अ०सं० 227/2019, अंतर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम भी विचारणीय है। परंतु, बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्त के बयानों के आधार पर बरामद किया गया तमंचा के संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं हुयी है। अतः यह बरामदगी फर्जी है। अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक था–**प्रथम** अभियुक्त के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में किसी वस्तु की बरामदगी के संबंध में बयान दिया हो। **दूसरा** वह बयान साबित कराया गया हो, परंतु प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से इन दोनों आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं की गयी है। तमंचे की अभियुक्त से बरामदगी फर्जी व झूठी है।

71.अभियुक्त के बयानों के आधार पर इस मामले में बरामद तमंचे की बरामदगी मानको के अनुसार साबित है या नहीं, के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के बयानों का उल्लेख आवश्यक है जिसमें **पीडब्लू 5 चन्द्रिकाप्रसाद** जो तमंचा बरामदगी मामले के वादी संजीव सिंह राठौर का हमराही रहा, के द्वारा बयान किया गया है कि दिनांक 11.05.2019 को अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं० के अभियुक्त सोमवीर को पुलिस कस्टडी में लाये थे। वह उस दिन एस.एच.ओ. संजीव सिंह राठौर, एस.आई. शाकिर, कां० रमन शर्मा मय अभियुक्त के सरकारी जीप, जिसे अजय सिंह कां०

चला रहे थे, थाने से रपट नं0 17 समय 1.25 बजे थाने से रवाना होकर आप अभियुक्त के बताये अनुसार ग्राम अमौआहार आये। आप अभियुक्त ने गाँव किनारे स्थित प्राइमरी स्कूल केपास गाड़ी को रूकवा कर कहा कि यहीं पर गाडी रोक दो, वह आगे–आगे चलकर आलाकत्ल तमंचा बरामद करायेगा। वहाँ उपस्थित लोगों को मकसद बताया गया और साथ में गवाही के लिए चलने को कहा गया, परन्तु कोई व्यक्ति गवाही भलाई–बुराई के कारण साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद आप अभियुक्त ने आगे–आगे चलकर दिबियापुर कन्चौसी रोड से गाँव अमौआहार जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया के पास प्राइमरी स्कूल की तरफ खड़ी जंगली बबलू व बेशर्म की झाड़ियों से निकालकर एक तमंचा 315 बोर का समय करीब 11.5 बजे आप अभियुक्त ने निकालकर दिया था और उसने यह भी बताया था कि दिनांक 01.05.2019 को लगुन के एक कार्यक्रम में उससे इसी तमंचे से फायर हो गया था. जिसमें एक लड़के को गोली लग गयी थी और उसकी मौत हो गयी थी। मौके पर ही थाना प्रभारी द्वारा बरामद कराये गये तमंचे को खोलकर देखा गया था तो उसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर निकला था। बरामद कराये गये तमंचे के लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो लाइसेंस नहीं दिखा सका था। थाना प्रभारी संजीव सिंह ने मौके पर ही उससे फर्द बोल–बोलकर लिखवाई थी और तमंचा व कारतूस को सर्व सील मुहर कराया था और फर्द को पढ़कर पुलिस कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराये थे। मौके पर ही फर्द की नकल देकर अभियुक्त सोमवीर के हस्ताक्षर कराये गये थे। यह फर्द एस.टी. नं0 160/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की पत्रावली में कागज सं0 4क/3 के रूप में संलग्न है, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क–10 के रूप में सिद्ध किया। आलाकत्ल बरामद तमचा का सील बण्डल न्यायालय के आदेश पर खोला गया. उस सील बण्डल में से एक तमंचा 315 बोर निकला जिसे इस साक्षी ने देखकर कहा कि यह वही तमंचा है, जिसे अभियुक्त सोमवीर ने दिनांक 11.05.2019 को उसके समक्ष झाड़ियों से निकाल कर दिया था और खोखा कारतूस तमंचे की नाल से निकला था। इस साक्षी ने तमंचा को वस्तु प्रदर्श–9 व खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–10 के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने भी कथन किया कि मौके पर सील किया हुआ कपडा जिस पर अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०दं०सं० व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सोमवीर लिखा हुआ है, जिस पर अभियुक्त सोमवीर के हस्ताक्षर है, और थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर के हस्ताक्षर है। थाना प्रभारी की मृत्यु हो चुकी है। वह उनके साथ कार्यरत रहा है। उसने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। इस प्रकार इस साक्षी ने द्वितीयक साक्षी के रूप में सील किये हुए कपडे को वस्तु प्रदर्श–11 के रूप में सिद्ध क्रिया।" **इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि मैंने जिस आलाकत्ल की अपने बयान में सोमवीर से बरामद होना तथा नाल में चला हुआ खोखा लगा होना कहकर बयान दिया है उस समय मौके

पर मैं मौजूद था और यानी की रवानगी व वापसी थाना तक SHO के साथ रहा था। **बरामद दर्शाया गया माल तमंचा व खोखा जिसे मौके पर सील करना कहा गया है वह नमूना सील इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कट्टे को, खोखा कारतूस को, वस्तु प्रदर्श 10 को, साक्षी को दिखाकर वह पूछा गया कि आपने बरामद कट्टा व खोखा कारतूस 315 बोर का होना बताया है क्या खोखा की पेंदी पर 315 बोर लिखा था, तो साक्षी ने कहा कि खोखा की पेंदी पर 315 बोर नहीं लिखा था। यह सच है कि जो खोखा पीतल धातु का है उसकी पेंदी पर 8 mm खुदा हुआ दिख रहा था। खोखो की यह पहचान फर्द बरामदगी प्रदर्श क 10 में अंकित नहीं है।** मैं जिस प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचा था वहां पर अमौआहार के लोग मिले थे। SHO ने उनसे गवाही के लिए कहा था। उनके मैं नाम, रंग, कद काठी इस समय नहीं बता सकता हूं। लगभग 4–5 लोग थे। गवाही के लिए कहा था। **हवालात से अभियुक्त सोमवीर को मैं व SHO दिनांक 11..5.19 को लेकर चले थे तब SHO साहब ने बयान मेरे सामने नहीं लिया था। SHO साहब ने यह भी नहीं बताया था कि सोमवीर ने आलाकत्ल बरामद करने की बात कही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं दी थी। प्रश्न. क्या जीप से उतरने के बाद प्राइमरी स्कूल अमौआहार के पास सोमवीर ने किसी निश्चित स्थान जिसकी पहचान दूरी व दिशा पर कट्टा छुपा होना कोई बयान दिया हो और एसएचओ ने उसे लिखा हो? उत्तर–अभियुक्त सोमवीर को स्कूल के पास आगाह करने के बाद सोमवीर ने आगे आगे चलकर बनी पुलिया के पास से निकलकर तमंचा व खोखा दिया था व बताया था कि दिनांक 01.05.2019 को लगुन कार्यक्रम में इसी तमंचे से गोली चल गई थी जो एक बच्चे को लग गई थी यही बात बताई थी, जिसका उल्लेख फर्द में है। अलग से बयान लिखा है या नहीं मुझे नहीं मालूम।** प्रश्न– क्या हथकड़ी से हटकर आलाकत्ल बरामद दर्शाये गये स्थान पर जाने के पूर्व क्या सोमवीर ने यह बताया कि प्राइमरी स्कूल से अमुज दिशा व अमुज दूरी पर चलकर मैने कट्टे को एक निश्चित स्थान का विवरण बताया हो वह स्थान SHO ने अपने बयान मैं लिया हो इस बाबत उत्तर दो? उत्तर –ऐसा कोई बयान सोमवीर ने नहीं दिया ना मेरे सामने लिखा। यह सच है कि प्रदर्श क 10 में दर्शायी गई बरामदी स्वीकारोक्ति के बाबत फर्द की समाप्ति पर जहां पर मेरे , SHO व रमन शर्मा आदि के हस्ताक्षर हैं वहां पर अभियुक्त सोमवीर के हस्ताक्षर नहीं है। **सोमवीर से दर्शाये गए कट्टे को चलाकर नहीं देखा गया था कि वह चालू हालत में है या नहीं है।** यह सच है की पत्रावली में नमूना सील नहीं है इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि कट्टे पर वही सील लगी है जो मौके पर लगाया जाना दर्शाया गया है या लॉक पर बदली हुई सील है। **आज सील बंडल से जितने पीतल के खोखे निकले हैं उनकी पेंदी पर 315 बोर नहीं लिखा है।** मेरा SHO ने इस केस में बयान नहीं लिया था।

72.पीडब्लू–6 उपनिरीक्षक मो० शाकिर भी तमंचा बरामदगी के फर्द का हमराही रहा है, जिसके द्वारा अपनी बयानों में कहा कि दिनांक 11.05.2010 को वह थाना दिबियापुर में तैनात था। उसी दिनांक को एस.एम.ओ. संजीव सिंह राठौर के साथ वह एस.एस.आई. चन्द्रिकाप्रकाश, कां० रमन शर्मा मय सरकारी जीप चालक अजय सिंह के साथ अभियुक्त सोमवीर को पुलिस कस्टडी में लाये थे, उसको मर्दाना हवालात से निकाल कर थाने से रपट नं0 17 समय 10.25 बजे थाने से रवाना होकर अभियुक्त सोमवीर के बताये अनुसार ग्राम अमौआहार आये। गाँव के किनारे स्थित प्राइमरी स्कूल के पास आप अभियुक्त ने गाड़ी रोकने को कहा तो आपके कहने पर वही पर गाड़ी रोकी गयी और आपको भी गाडी से उतारा। वहाँ उपस्थित लोगों को मकसद बताकर गवाही के लिए कहा गया, परन्तु वहाँ पर कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, तब उन लोगों ने आपस में जामातलाशी ली और इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। आप अभियुक्त ने आगे–आगे चलकर अमौआहार के पास पुलिया के पास जंगली बबलू व वेशर्म की झाड़ियों से एक तमंचा 315 बोर का समय करीब 1.05 बजे उन सबके सामने निकाल कर थाना प्रभारी को दिया था और पूछने पर बताया था कि दिनांक 01.05. 2019 को लगुन के कार्यक्रम में उससे इसी तमंचे से गोली चल गयी थी, जो एक बच्चे को लग गयी थी। तमंचे की नाल को खोलकर देखा गया था, तो 315 बोर का एक खोखा कारतूस निकला था। बरामद तमंचा व कारतूस को मौके पर सील लिया गया था। थाना प्रभारी संजीव सिंह ने एसएसआई चन्द्रिकाप्रसाद से बोल बोल कर फर्द बनायी थी और हस्ताक्षर बनवाये थे। यह फर्द एस.टी. नं0 160/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली में कागज सं0 4क/3 के रूप में संलग्न है, जिसे इस साक्षी ने भी प्रदर्श क 10 के रूप में सिद्ध किया है। तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर उसके साथ कार्यरत रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है, वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। उनकी मृत्यु हो गयी है। उनके द्वारा अ०सं० 189/2019 धारा 302 भा०द०सं० की विवेचना ग्रहण करके प्रारम्भ की गयी है। उनके द्वारा दिनांक 02.05.2019 को नक्शानजरी घटनास्थल बनाया। इस साक्षी ने नक्शानजरी कागज सं० 16 (प्रदर्श क–11) को द्वितीयक साक्षी के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर द्वारा विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आप अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 304 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने एस.टी. नं0 159/2019 बनाम सोमवीर में संलग्न आरोपपत्र कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/3 (प्रदर्श क–12) को द्वितीयक साक्षी के रूप में सिद्ध किया है। **इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि " **मैं SHO महोदय द्वारा अभियुक्त सोमवीर को हवालात से निकालकर जीप में बैठने से लेकर बरामदगी स्थल तक व बरामदगी स्थल से हवालात वापस लाने तक मै साथ रहा। इस दौरान SHO साहब मेरे सामने कोई सोमवीर**

से सवाल किये हो, या सोमवीर ने उन्हें कोई जवाब दिये हो, मुझे ध्यान नहीं है। प्रश्न–क्या अभियुक्त सोमवीर की हवालात से निकलते समय से लेकर बरामदगी स्थल पर पहुंचने से पूर्व क्या SHO महोदय ने सोमवीर से क्या यह प्रश्न पूछा था की घटना में प्रयोग होने वाला तमंचा आपने ग्राम अमौआहार के आसपास प्राइमरी स्कूल से कितनी दूर, किस दिशा में, किसी निश्चित स्थान पर, कपड़े में, पॉलिथीन में या खुली अवस्था में कट्टा कहां छुपाया है? उत्तर –एस.एच.ओ महोदय ने मेरे सामने सोमवीर से ऐसा कोई बयान नहीं लिया है। घटनास्थल से थाना वापसी व हवालात में सोमवीर को बंद किए जाने तक मैं साथ रहा था। संतरी पहरा ने मेरे सामने अभियुक्त सोमवीर को हवालात में बंद किया था। संतरी ने अभियुक्त की जामातलाशी की थी या नहीं नहीं मालूम। फर्द की प्रति जो सोमवीर को प्राप्त करना लिखा है वह प्रति हवालात में बंद थाने से पूर्व कहां गई ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है की झूठी फर्द की प्राप्ति कराना किया गया हो और अभियुक्त को प्रति ना दी गई हो और इसीलिए संतरी को मुल्जिम सोमवीर की हवालात दाखिले के पूर्व प्रति न मिली हो।

73.इसी प्रकार पीडब्लू–7 रजनीश जोकि शस्त्र अधिनियम वाले मामले के विवेचक रहे है, के द्वारा यह बयान किया गया है कि दिनांक 11. 05.2019 को वह थाना दिबियापुर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उसे मु०अ०सं० 227/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सोमवीर थाना दिबियापुर की विवेचना एस.एच.ओ. दिबियापुर के मौखिक आदेश पर मिली थी। इस साक्षी ने गवाहों के बयान लिये और वादी मुकदमा संजीव सिंह की निशानदेही पर नक्शानजरी कागज सं० 10क तैयार किया जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क 13 के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट औरैया से अभियोजन स्वीकृति कागज सं० 9क प्राप्त की गयी, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क 14 के रूप में सिद्ध किया है। इस साक्षी ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आप अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम कागज सं० उक प्रेषित किया, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क 15 के रूप में साबित किया है।" **इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि** इस पूरे प्रकरण के दौरान SHO संजीव सिंह राठौड़ मेरे थाना प्रभारी थे और मैं उनके मातहत था। **यह भी सच है कि SHO संजीव सिंह राठौर आलाकत्ल बरामदगी के बाबत थाना दिबियापुर की रपट नंबर 17 समय 10:25 बजे एस. एच. ओ ने जो रवानगी दर्शायी है। उस जीडी की कोई प्रति दौरान विवेचना ना मैंने संकलित की ना उसकी सत्यता के बाबत उसका कोई विवरण सीडी किता किया।** अतः खुद कहा कि दिनांक 11 .5 .19 को रपट संख्या 19 की प्रति लगाई है जिसमें बरामदगी के बाद SHO महोदय की वापसी के बाबत मुकदमा कायमी आर्म्स एक्ट का हवाला अंकित है। **मेरी पूरी विवेचना में मेरे SHO महोदय ने यह नहीं बताया था कि**

सोमवीर के जेल में रहते हुए सोमवीर के लिए गए बयान 161 सीआरपीसी अथवा थाने की हवालात से रपट संख्या 17 समय 10:25 बजे सोमवीर को हवालात से लेकर चलने से पूर्व सोमवीर ने ऐसा बयान दिया हो, ग्राम अमौआहार से निश्चित दूरी व दिशा में स्थित प्राइमरी स्कूल व प्राइमरी स्कूल से निश्चित दूरी व निश्चित दिशा में निश्चित पहचान वाली जगह पर पेड़ों, फसल वा झाड़ियां अथवा खुले स्थान पर जमीन के अंदर निश्चित बोर का तमंचा छुपाया है जिसे वह बरामद कर सकता है, ऐसा बयान नहीं बताया था, इसीलिए मैंने अपने विवेचना में इसका हवाला दिया है। अतः खुद कहा कि उन्होंने फर्द बरामदगी में लिखा है। पब्लिक के गवाहों से प्राइमरी स्कूल से पुलिस बल से गवाह बनने के लिए जिन लोगों से कहा जात, नाम हुलिया व गवाहों की संख्या नहीं बताई थी। इसलिए मैंने विवेचना में उनका विवरण अंकित नहीं किया है। यह सच है कि मेरी पूरी विवेचना में मुझे घटनास्थल के क्रॉस स्थान के आसपास मुझे बेशर्म की झाड़ियां नहीं मिली थी। मैंने उपरोक्त आलाकत्ल तमंचे की अभियोजन स्वीकृति लेने के पूर्व मालखाना इंचार्ज थाना दिबियापुर को कोई लिखित प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। अतः खुद कहा कि अभियुक्त सोमवीर सिंह से बरामद तमंचा मालखाने से प्राप्त किया था। इस बात का हवाला अभियोजन स्वीकृति में नहीं है कि मैंने किस समय आलाकत्ल लेकर मय केस डायरी लेकर जिला मजिस्ट्रेट औरैया के यहां गया। **अतः खुद कहा कि अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 20.5.19 को तैयार होकर मुझ विवेचक को 30.5.19 को प्राप्त कराई गई थी। यह सच है कि प्रर्दश क 14 में यह भी नहीं लिखा है कि अभियोजन स्वीकृति अभियोग दैनिकी व समस्त कागजात का मय नमूना मोहर, माल का मिलान जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कब किया अर्थात 18.5.19 को विवेचक द्वारा लाया गया माल 20.5.19 तक जिला मजिस्ट्रेट महोदय के पास अथवा उनके सहायक के पास रखा गया, अथवा उसके बाद माल देखा गया।**

74.पीडब्लू–8 का० ओमप्रताप द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 11.05.2019 को उसकी तैनात बतौर कॉ० क्लर्क थाना दिबियापुर में कार्यलेख पर थी। उस दिनांक को प्रभारी निरीक्षक संजीव सिंह राठोर की बरामदगी फर्द उनके द्वारा उसे दी गयी थी. के आधार पर मु०अ०स० 227/2018 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की कायमी जी०डी० नं0 19 समय 13.07 बजे टाइप की गयी थी तथा उसी दिनांक को उपरोक्त अपराध की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट टाइप की गयी थी। इस साक्षी ने जी०डी० कायमी मुकदमा कागज सं0 6/1 को प्रदर्श क 16 के रूप में तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज स० 4 क/1 व 4 क/2 को प्रदर्श क 17 के रूप में सिद्ध किया है।" **इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि यह सच है कि जीडी नंबर 19 दिनांक 11.5.19 समय 13:07 बजे की जीडी में प्रदर्श क 16 से यह साबित नहीं हो रहा है कि SHO संजीव सिंह मय फोर्स माल मुल्जिम के थाने वापस आए हैं। वह SHO इस**

जीडी नंबर से और किन–किन सहयोगी कर्मचारी के साथ किस समय और कहां से आलाकत्ल बरामदगी के लिए गए थे प्रदर्श क 16 से यह भी साबित नहीं हो रहा है कि जीडी नंबर 19 के पूर्व की जीडी नंबर 10 से 18 तक किस समय और किस कार्य के लिए लिखी गई।

75.धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभियुक्त के बयान के आधार पर किसी तथ्य वस्तु की बरामदगी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Bodh Raj Vs. State of J & K, AIR 2002 SC 3164 (para 18)** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि the exact information given by the accused while in custody which led to recovery of the articles has to be proved. It is, therefore, necessary for the benefit of both the accused and prosecution that information given should be recorded and proved and if not so recorded, the exact information must be adduced through evidence. Mere statement that the accused led the police and the witnesses to the place where he had concealed the articles is not indicative of the information given. उपरोक्त विधि व्यवस्था तथा इस मामले में अभियुक्त से बरामद कराये गये तमंचे के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये उपरोक्त गवाहों के बयानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अभियुक्त से तमंचे की बरामदगी के लिए ग्राम अमौआहार के किनारे स्थित प्राइमरी स्कूल के पास जंगली बबूल व बेशर्म की झाडियों के पास ले जाया गया, उस समय की थाने की रवानगी अभियोजन की ओर से साबित नहीं करायी गयी है। अभियुक्त की ओर से पुलिस अभिरक्षा में जो तमंचा बरामद करने का बयान दिया है उसे भी अभियोजन की ओर से साबित नहीं कराया गया है। अभियुक्त के द्वारा बरामदगी के किसी भी स्थान का विशिष्ट विवरण नहीं दिया है। जिस स्थान से तमंचे की बरामदगी बतायी गयी वह स्थान खुला है तथा आम पब्लिक का वहां आना जाना है, परंतु तमंचा बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र जनसाक्षी अभियोजन की ओर से न तो परीक्षित कराया गया है, न ही जिन लोगों से गवाही के लिए संपर्क किया उनका किसी का नाम पते का उल्लेख किया है। तमंचे को जब सील किया गया वह सील भी पत्रावली पर मिलान हेतु उपलब्ध नहीं है। अभियोजन स्वीकृति जिलाधिकारी से लेने के समय लगभग 2–3 दिन तक तमंचा जिलाधिकारी आफिस रहा है। तमंचे में फंसा कारतूस 8 एमएम का पाया गया, जबकि फर्द बरामदगी में तमंचे में फंसा कारतूस 315 बोर का बताया गया था। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त से बरामद तमंचे के तथ्य को साबित करने में अभियोजन की ओर से अनगिनत कमियां छोडी गयी हैं, जोकि अभियुक्त से हर्ष फायरिंग में प्रयोग किये गये तमंचे की बरामदगी के तथ्य को संदेहपूर्ण बनाती है।

76.अब प्रश्न यह है कि यदि अभियुक्त के बयान पर बरामद हर्ष फायरिंग में प्रयोग किया तमंचे की बरामदगी को सही मान भी लिया जाये तो क्या मृतक के शरीर में से फंसी गोली इसी तमंचे से चली होना साबित हो रहा है–

अभियोजन साक्षी पीडब्लू–3 डा० मनीष कुमार के बयानों के अनुसार मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान शव के पेट के निचले हिस्से में एक बुलेट मिली थी, जोकि संबंधित पुलिस कर्मी को एक लिफाफे में रखकर सील करके प्राप्त करायी गयी थी। अभियोजन साक्षी पीडब्लू–9 नवीन कुमार के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को साबित किया है। इसके द्वारा अपने बयान में यह कहा है कि दिनांक 23.01.2019 को वह थाना दिबियापुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिनांक को उसे थाना कार्यालय से अ०सं० 189/2019 बनाम सोमवीर व मु0अ0स0 227/2019 से सम्बन्धित एक सर्व मोहर बण्डल जिस पर दिनांक 03.06.2015 एक अदद 315 बोर देशी पिस्तौल व 315 बोर केएफ का चला कारतूस व 315 बोर एक चली बुलेट जो पूर्व में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गयी, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस साक्षी ने परीक्षण रिपोर्ट कागज सं0 37क को टेण्डर प्रदर्श क–1 के रूप में सिद्ध किया है। **इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बयान किया है कि** मैं नहीं बता सकता कि कारतूस व तमंचे पर 315 बोर अंकित है या नहीं, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अंकित है। यह कहना सही है की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मेरे सामने तैयार नहीं हुई है। प्रश्न–जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कट्टा व कारतूस भेजे गए थे उस समय कट्टे व कारतूस पर 315 बोर की भाषा खुदी हुई थी या नहीं, क्या इसका विवरण जीडी पर अंकित है। उत्तर–315 बोर का पिस्टल व 315 बोर का चला हुआ कारतूस भेजा गया था। मुझे नहीं पता कि तमंचे व कारतूस पर 315 बोर खुदे होने के संबंध में जीडी में किता किया गया है या नहीं। आज मेरे सामने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने वाले कट्टा व कारतूस नहीं है। प्रश्न–जीडी में कट्टा हुआ कारतूस को 315 बोर को किस आधार पर बनाया गया है? उत्तर – पूर्व विवेचक द्वारा जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था उस पर 315 बोर पिस्टल व 315 बर खोखा कारतूस लिखकर भेजा गया था।

77.पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रपत्र संख्या–37क जिसे टेण्डर प्रदर्श क 1 के रूप में साबित कराया गया है, उपलब्ध है, जिसका परिणाम निम्नलिखित है–

उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित निम्न प्रदर्श दिनांक 01.06.19 को विशेष वाहक हे० कां० केशव प्रसाद द्वारा प्राप्त कराये गये।

(1) एक सर्वमुहर बंडल जिस पर मय दिनांक 03.06.19 कोडिंग अधिकारियों के हस्ताक्षर उपस्थित हैं, को खोलने पर एक .315 बोर देशी पिस्तौल व एक

.315 बोर KF का चला कारतूस प्राप्त हुये देशी पिस्तौल को 1/22 से व चले कारतूस को EC–1 से चिन्हित किया गया।

(2) एक सर्वमुहर लिफाफा, जिस पर मय दिनांक 03.06.19 कोडिंग अधिकारियों के हस्ताक्षर उपस्थित है, को खोलने पर एक .315 बोर की चली बुलेट प्राप्त हुयी जिसे EB–1 से चिन्हित किया गया।

निरीक्षण

विवादित .315 बोर देशी पिस्तौल चिन्हित 1/22 द्वारा 315 बोर के दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये जिन्हें TC–1, TC–2 से चिन्हित किया गया। TC–1, TC–2 की परीक्षार्थ बुलेट्स रिकवर की गयीं जिन्हें क्रमशः TB–1,TB–2 से चिन्हित किया गया।

विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों तथा विवादित एवं परीक्षार्थ बुलेट्स पर उपस्थित चिन्हों का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा किया गया ।

विवादित कारतूस चिन्हित EC–1 पर फायरिंग पिन के दो चिन्ह व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित हैं।

परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC–1, TC–2 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित हैं।

विवादित बुलेट चिन्हित EB–1 का भार 15.704gm व व्यास लगभग 8.20mm है, इस पर Striations के चिन्ह उपस्थित हैं। EB–1 .315 बोर की चली बुलेट है।

परीक्षार्थ बुलेट्स चिन्हित TB–1, TB–2 पर Striations के चिन्ह उपस्थित हैं।

कारण

विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों तथा विवादित एवं परीक्षार्थ बुलेट्स पर उपस्थित चिन्हों का मिलान तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा किया गया।

विवादित कारतूस चिन्हित EC–1 पर उपस्थित फायरिंग पिन का एक चिन्ह व इस पर उपस्थित ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC–1, TC–2 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान हैं। EC–1 पर उपस्थित फायरिंग पिन के दूसरे आंशिक चिन्ह में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC–1,TC–2 से तुलानार्थ व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

विवादित बुलेट चिन्हित EB–1 पर उपस्थित Striations के चिन्हों में, परीक्षार्थ बुलेट्स चिन्हित TB–1,TB–2 पर उपस्थित Striations के चिन्हों से तुलानार्थ व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

परिणाम

(1) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित EC–1, विवादित .315 बोर देशी पिस्तौल चिन्हित 1/22 द्वारा चलाया गया है।

(2) विवादित .315 बोर EB–1 पर, विवादित .315 बोर देशी पिस्तौल चिन्हित 1/22 से तुलना करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

78.अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के बयान तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त से बरामद तमंचे को और उसमें फंसे कारतूस को 315 बोर का बताया गया है, परंतु पीडब्लू–5 चन्द्रिका प्रसाद के बयान का यहां उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें उसके द्वारा बयान किया गया कि **बरामद दर्शाया गया माल तमंचा व खोखा जिसे मौके पर सील करना कहा गया है वह नमूना सील इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कट्टे को, खोखा कारतूस को, वस्तु प्रदर्श 10 को, साक्षी को दिखाकर वह पूछा गया कि आपने बरामद कट्टा व खोखा कारतूस 315 बोर का होना बताया है क्या खोखा की पेंदी पर 315 बोर लिखा था, तो साक्षी ने कहा कि खोखा की पेंदी पर 315 बोर नहीं लिखा था। यह सच है कि जो खोखा पीतल धातु का है उसकी पेंदी पर 8 mm खुदा हुआ दिख रहा था। खोखो की यह पहचान फर्द बरामदगी प्रदर्श क 10 में अंकित नहीं है।** इस साक्षी के बयानों से इस मुकदमें से संबंधित जब माल खोला गया तो वस्तु प्रदर्श 10 पर 315 बोर न लिखा होकर 8 एमएम खुदा हुआ बताया गया है। 315 बोर के तमंचे में 8 एमएम का कारतूस किसी भी प्रकार से फिट नहीं हो सकता है, जो अभियोजन के कथानक को संदेहपूर्ण बना रहा है। इसके अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट टेण्डर प्रदर्श क 1 में सर्वमोहर लिफाफे में .315 बोर की चली हुयी बुलेट प्रयोगशाला में प्राप्त हुयी जिसे EB 1 से चिन्हित किया गया था। और परीक्षण करने पर परिणाम यह प्राप्त हुआ कि विवादित **विवादित .315 बोर EB–1 पर, विवादित .315 बोर देशी पिस्तौल चिन्हित 1/22 से तुलना करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।** विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपरोक्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त से बरामद तमंचा व उससे चली हुयी गोली जो मृतक से शरीर से प्राप्त हुयी थी, की तुलना करने पर व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव पाया गया। जिसका स्पष्ट आशय यह है कि मृतक के शरीर से मिली गोली अभियुक्त के बताये अनुसार बरामद तमंचे से नहीं चली है। अतः ऐसे में जब मृतक के शरीर से मिली गोली व अभियुक्त से बरामद तमंचे का मिलान नहीं हो रहा है, तब स्पष्ट रूप से यह सिद्ध है कि अभियुक्त से हर्ष फायरिंग में प्रयोग किये गये तमंचे की बरामदगी झूठी साबित होती है तथा अभियोजन के कथानक को पूरी तरीके से संदेहपूर्ण बनाती है।

79.अब तक के उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पंचायतनामा की कार्यवाही एंटी टाइम की गयी। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के दोनों साक्षियों पीडब्लू–1 व पीडब्लू–2 के बयानों में कडा विरोधाभास है तथा तात्विक विसंगतियां है। उनके बयान एकरूपता लिये हुये नहीं हैं। अभियुक्त से बरामद किये गये तमंचे की बरामदगी भी संदेह से परे साबित नहीं है। मृतक के शरीर से मिली गोली का मिलान बरामद किये गये तमंचे से चला हुआ विधि

विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार नहीं हो रहा है। न्यायालय में चला हुआ कारतूस को खोलने पर 315 बोर का न पाते हुये 8 एमएम का पाया गया। अतः उपरोक्त निष्कर्ष से न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित है तथा अभियुक्त सोमवीर आरोप अंतर्गत धारा 304 भा०दं०सं० तथा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में दोषसिद्ध होने योग्य नहीं है।

आदेश

(A) अभियुक्त **सोमवीर** को सत्र परीक्षण संख्या 159/2019, मुकदमा अपराध संख्या 189/2019, थाना दिबियापुर, जिला औरैया में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से दोषमुक्त किया जाता है।

(A) अभियुक्त **सोमवीर** को सत्र परीक्षण संख्या 160/2019, मुकदमा अपराध संख्या 227/2019, थाना दिबियापुर, जिला औरैया में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–3/25 शस्त्र अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

(C) अभियुक्त **सोमवीर** की ओर से धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के जमानतनामें भीतर सात दिन पेश हो, जो स्वीकृत होने के उपरांत 06 माह की समयावधि हेतु प्रभावी रहेंगें।

(D) अभियुक्त जमानत पर हैं तथा आज न्यायालय में उपस्थित है। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूओं को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(E) इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 160/2019, मुकदमा अपराध संख्या 227/2019, अंतर्गत धारा–3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दिबियापुर, जिला औरैया की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक 17.07.2026

(कैलाश कुमार)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीक्ष,
कक्ष संख्या–02, औरैया।
J.O. Code– UP 1684

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 17.07.2026

(कैलाश कुमार)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीक्ष,
कक्ष संख्या–02, औरैया।
J.O. Code– UP 1684